खण्ड-326, अंक-4
बुधवार, 9 भाद्रपद, शक संवत् 1899
(31 अगस्त, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 326 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.. .. ..	.. 287–292
प्रश्नोत्तर	.. .. ..	.. 292–316
भूतपूर्व सदस्य, श्री जगदीश्वर दयाल त्रिपाठी एवं श्री तिरमल सिंह के निधन पर शोकोद्गार	.. ..	316–318
नोटीफाइड एरिया रसड़ा, जिला बलिया की सड़कों की दयनीय स्थिति तथा गन्दगी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. ..	318
लखनऊ नगर में शान्ति व्यवस्था भंग होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	..	318–319
बस्ती जिले के खलीलाबाद के थाना इन्चार्ज के विरुद्ध शिकायतों को सदन के संज्ञान में लाना	.. .. ..	.. 319–320
मेरठ कालेज के उत्तीर्ण छात्रों को विधि कक्षाओं में प्रवेश न मिलने के विषय की सदन के संज्ञान में लाना	.. ..	.. 320
ग्राम डेहरी, जनपद देवरिया के छात्र सुवास चन्द्र के नाले में डूबने से मृत्यु सम्बन्धी विषय को सदन के संज्ञान में लाना	..	.. 320–321
दैनिक समाचार-पत्र नवजीवन तथा स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..	.. 321–322
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)		322
1977–78 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	..	.. 322–374
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	.. .. ..	.. 374–375
लखनऊ नगर महापालिका तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों में मारपीट के फलस्वरूप हड़ताल की नोटिस के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	.. .. ..	.. 375

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 31 अगस्त, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--384

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद चौधरी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चुतुर्वेदी 'राकेश' डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी ब गैनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर

कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गन्जी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री

नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हँस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री

मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री

राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमणि, दुबे श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम विहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश , श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री

सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण, यादव श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 31 अगस्त, 1977

तारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय बालिका विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, बाबू गंज, लखनऊ की अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) तथा श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय बालिका विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, बाबूगंज (हसनगंज), लखनऊ, जोकि सरकार द्वारा मान्यता एवं सहायता प्राप्त है, की अध्यापिकाओं के गत दिसम्बर, 1976 से जून, 1977 तक का वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक दिला दिया जायगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरन)—

जी हां।

वेतन वितरण में विलम्ब का कारण प्रबन्धतन्त्र की अनियमितता है। वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व प्रबन्धतन्त्र का है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में, दो बातों का उत्तर दिया है और वे स्वीकार करते हैं कि विद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और सहायता प्राप्त भी है, साथ ही मन्त्री जी यह भी स्वीकार करते हैं कि विद्यालय की प्रबन्ध समिति में अनियमितताएं हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि जब सरकार स्कूल को एड देती है और प्रबन्ध

समिति में अनियमितताएं होती हैं, तो ऐसी दशा में सरकार स्कूल के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लेती है या दूसरी स्थिति में उसको एड देना बन्द कर देती है। तो मेरा निश्चित प्रश्न है कि शिक्षा मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, शासन के ध्यान में जब यह बात आई तो उस विद्यालय की प्रबन्ध समिति को लिखा गया कि शीघ्रातिशीघ्र बकाया वेतन का भुगतान कर दें। इसके लिए उन्होंने दिनांक 18 अगस्त, 1977 को एक पत्र लिखा, बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को कि हम को विभिन्न मदों से ऋण लेकर वेतन देने के लिए आदेश दिया जाय। 26 अगस्त, 1977 को शासन से इसकी स्वीकृति इस आधार पर चली गयी कि आप ऋण लेकर वेतन दे दें, लेकिन तीन महीने के भीतर जिन मदों से ऋण ले रहे हैं, उन्हें वापस कर दें।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित आप यह कहते हैं कि प्रबन्ध समिति ने पत्र लिखा है। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई विद्यालय, यह तो कन्या विद्यालय है, यहां पर छात्राओं से कोई फीस नहीं ली जाती है, एडेड है, तो उसमें तनख्वाह न देने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपने एड दी होगी, क्या कारण है कि एड देने के बाद भी इस प्रबन्ध समिति ने तनख्वाह नहीं दी ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, इसी अनियमितता के कारण उन्होंने वेतन नहीं दिया और उसके लिए उन्हें लिखा गया कि वेतन दें। अगर अनियमितता नहीं होती, तो यह बात नहीं आती।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस कन्या विद्यालय को जो अनुदान देते हैं, उस अनुदान में से काट कर अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान करा देंगे ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, अब विद्यालय उनके वेतन देने के लिए तैयार हो गया है। शासन से स्वीकृति ली है इसलिए अनुदान से काट कर देने का प्रश्न नहीं आता।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या शिक्षा मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अगर प्रबन्ध समिति वेतन नहीं देती है, तो इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा 5(2) के अन्तर्गत शासन कालेज का प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है, तो क्या ऐसी कार्यवाही करेंगे ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम बेसिक विद्यालयों पर लागू नहीं होता है, जूनियर हाई स्कूल जिसे कहते हैं। नियम यह है कि अगर प्रबन्ध समिति नहीं मानती है और अनियमित कार्य करती है तो उसकी रिकगनिशन वापस ले ली जायगी। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं क्योंकि रिकगनिशन वापस लेने पर अध्यापिकाओं और लड़कियों का

प्रश्न आएगा। हमारा शासन हर तरह से तैयार है। अब यह वेतन देने को तैयार हो गए हैं और उन्होंने इसकी स्वीकृति भी शासन से ले ली है। जैसा कि हमने निवेदन किया हम उनकी रिकगनिशन भी नहीं छीनना चाहते हैं, क्योंकि उन बालिकाओं के सामने पढ़ाई की समस्या आ जायगी। मैनेजमेंट से लेकर कन्ट्रोलर नियुक्त करने की व्यवस्था अब तक इनमें नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

शासन से प्रबन्ध समिति को कब लिखा गया कि वहां अध्यापिकाओं का वेतन भुगतान कर दिया जाय ?

श्री काली रचन--

इसकी निश्चित तारीख की सूचना नहीं है।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शासकीय विद्यालयों के दो हजार अध्यापक 5 तारीख से हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसका तार मेरे पास आया है, जिनकी मांगें उन्हें नियमित करने की हैं, तो इस पर शिक्षा विभाग क्या करने जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

इससे यह प्रश्न नहीं निकलता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मन्त्री जी ने कहा कि आदेश दे दिए गए हैं कि उनका वेतन भुगतान कर दिया जाय, तो अब तक वेतन भुगतान हुआ है या नहीं ?

श्री काली चरन--

यह सूचना अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1976 से लेकर जून, 1977 तक करीब एक साल तक यह चलता रहा, तो कब यह विषय कि वहां अनियमित बातें हो रही हैं, शासन के सामने आया और इस विषय में शासन ने क्या किया ?

एक सदस्य--

यह प्रश्न तो नारायण दत्त तिवारी से पूछिए।

श्री काली चरन--

श्रीमन्, यह सूचना शासन को एक जुलाई से मिली है, एक साल से कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री श्यामधर मिश्र--

अब बताना इनको है, यह चाहे जिस समय की अनियमितता हो, बताना आज की सरकार को है।

श्री अध्यक्ष--

यह एक डेढ़ साल का प्रश्न है, तो सम्बन्धित अध्यापिकाओं ने शासन से कोई शिकायत की है या नहीं ? और की, तो कब की ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, असल प्रश्न तो यह है कि विद्यालय की प्रबन्ध समिति धोखा देकर शासन से कुछ अतिरिक्त रुपया लना चाहती थी। तो अध्यापिकाओं की कोई शिकायत शासन के पास नहीं थी। इधर अध्यापिकाओं की शिकायत आई है। उन्होंने सोचा होगा कि शायद उनके माध्यम से उन्हें कुछ रुपया मिल जाय। यह सत्र 1976-77 का प्रश्न है, इस सत्र में उस विद्यालय में 13,152 रुपया का व्यय हुआ है और उसमें 22,616 रुपए की आय है। हम अनुदान इस आधार पर देते हैं--विद्यालय के व्यय में से आय को घटाकर। यह जो इससे बचता है वह या पूरे व्यय का एक बटा दो, हम अनुदान देते हैं। दोनों में से जो कम होता है, वह हम देते हैं। जहां तक इस विद्यालय की बात है, इनकी आय-व्यय से अधिक रही। इसलिए केवल एक रुपया प्रतीक अनुदान और 815 रुपया मंहगाई भत्ते का इसे दे दिया गया। अब उन्होंने लिखा है कि भुगतान कर दिया जायगा और 25 अगस्त, 1977 को उसकी स्वीकृति हमने दे दी है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

एक बात समझ लीजिए। जो प्रश्न करता है वे 2, 3 अनुपूरक प्रश्न और अन्य सदस्यों को एक अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति है, इससे अधिक अनुपूरक प्रश्न न करें वरना एक घण्टे में इतने सारे प्रश्नों को लाना सम्भव नहीं है।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में उस विद्यालय को सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया और प्रबन्ध ममिति ने इस अनुदान को किस मद में खर्च किया ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, वर्ष 1977-78 तो शुरू ही है। 1976-77 का मैंने बताया। चूंकि उनकी आमदनी अधिक थी, व्यय कम था, अनुदान उनका निरन्तर चलता रहे, इसलिए एक रुपया प्रतीक अनुदान और जो अध्यापिकाओं के मंहगाई भत्ते में वृद्धि करनी पड़ी, उसके लिए 815 रुपया दिया गया।

श्री देव कुमार--

वह कितना दिया गया और किसमें खर्च किया ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के भाषा, कला तथा पी०टी० अध्यापकों का पुनरीक्षित वेतनमान

*2--श्री राजेन्द्र कुमार--

क्या शिक्षा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वर्ष 1972-73 में जो पुनरीक्षित वेतनमान दिए गए थे वह भाषा, कला तथा पी0टी0 अध्यापकों को नहीं दिए गए? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरन--

वर्ष 1972-73 में पुनरीक्षित वेतनमान प्रश्न में उल्लिखित विषयों के अध्यापकों को भी दिए गए थे।

प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार--

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि पुनरीक्षित वेतनमान दिए जाने के एक वर्ष बाद बन्द कर दिया गया, जिसके कारण पुनरीक्षित वेतनमान नहीं प्राप्त हो रहे हैं ?

श्री काली चरन--

इस तरह का कोई आदेश नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र कुमार--

मेरी इस सूचना को सही मान कर कि भाषा, कला तथा पी0टी0 अध्यापकों को नहीं मिल रहा है, जैसे मातादीन आर्य, कृषक इण्टर कालेज, महौली, राधेश्याम भारद्वाज, एच0 आर0 डी0 इण्टर कालेज, बिसवां और सभी स्थानों पर नहीं मिल रहा है, इसकी फिर से जांच करायेंगे और पुनः आदेश जारी करेंगे कि उनका वेतन और बकाया दिया जाय ?

श्री काली चरन--

अगर माननीय सदस्य के पास कोई सूचना है तो मुझे दे दें, जांच करा लेंगे और अगर आएगा तो वेतन दिला देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार--

मैंने सूचना दे दी कि इस कोटि के किसी विद्यालय को नहीं मिल रही है। कृपा करके समीक्षा करवा लें और दिलाने की व्यवस्था करें।

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

ब्लाक स्तर पर कन्या हाई स्कूलों एवं इंटर कालेजों के स्थापना की मांग

*3--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि प्रत्येक ब्लाक में लड़कियों की शिक्षा हेतु दो-दो हाई स्कूल तथा एक इण्टर कालेज खोला जाय और जिला परिषद् द्वारा चलाए जा रहे जूनियर हाई स्कूलों (कन्या) का उच्चीकरण करके हाई स्कूल बनाया जाय ?

श्री काली चरन--

जी नहीं।

श्री ऊदल--

क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि देहाती क्षेत्रों में, जूनियर हाई स्कूल से आगे पढ़न में लड़कियों के लिए बड़ी समस्या है, और शिक्षा मन्त्री भी जानते हैं कि इसको देखते हुए कि देहात में शिक्षा मुश्किल से 9 परसेन्ट है, इन सब बातों को देखते हुए क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करेगी कि प्रत्येक ब्लाक में सरकारी स्तर पर एक-एक हाई स्कूल और इण्टर कालेज कम से कम खोलने पर विचार करेगी ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, राजकीय स्कूल प्रत्येक ब्लाक में हो, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, इस तरह की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। हां, यह अवश्य है कि जहां कहीं इस तरह की समस्या हो, 1973-74 में एक शैक्षिक सर्वे हुआ था, उसके आधार पर कुछ असेवित क्षेत्र निर्धारित किए गए, जहां बालकों और बालिकाओं के पढ़ने की समुचित व्यवस्था नहीं थी, उसी आधार पर जो भी नए स्कूल खोले जा रहे हैं,ऐसे स्थानों में जहां व्यवस्था न होगी, स्कूलों की व्यवस्था की जायगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नए स्कूल खोल रहे हैं, उनका मापदण्ड क्या है ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, हमने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, चूंकि जूनियर हाई स्कूल खोले जायं, उसकी व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। जूनियर बेसिक विद्यालय और सीनियर बेसिक विद्यालय. . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

प्रश्न हाई स्कूल का है जूनियर हाई स्कूल का नहीं है। वह क्या माप है, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, मैंने बताया कि एजूकेशनल सर्वे हुआ था, जिसमें यह था कि जहां पर सरकार आवश्यक समझेगी वहां पर विद्यालयों की व्यवस्था करेगी।

श्री ऊदल--

क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि देहाती क्षेत्रों में, लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई भी इण्टर कालेज सरकारी या प्राइवेट तरीके से नहीं खोले जा रहे हैं और न खोले गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, शिक्षा के प्रसार और प्रचार का काम सरकार का है,वह अपने वित्तीय साधनों के अन्तर्गत जहां तक सामर्थ्य है, विद्यालयों को खोल रही है और विचार भी कर रही है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

माननीय मन्त्री जी ने बताया और देहात से सम्बन्धित एक सर्वे का जिक्र किया मैं यह जानना चाहता हूं कि सर्वे में कितने स्कूल प्रदेश में खोलने की सिफारिश थी, उसकी सूची दे दें यदि माननीय मन्त्री जी के पास हो।

श्री काली चरन--

इस समय इसकी कोई सूची मेरे पास नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

माननीय मन्त्री जी क्या इस बात को बतायेंगे कि जो पिछले 30 साल से बेरोजगारी को बढ़ाने की शिक्षा नीति रही है और लोगों को बेरोजगार बनाया है, क्या लड़कियों को बेरोजगार बनाने के लिए उसी तरह के स्कूल खोलेगी या रोजगार परक स्कूल खोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि लड़कियों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, तो उनके खोलने का क्या वही मापदण्ड रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह मन्त्री जी के उत्तर से नहीं निकलता है ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां पर उनके राजकीय विद्यालय चल रहे हैं और वहां के लोगों ने इण्टरमीडिएट कक्षाएं खोलने की मांग की है, तो मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि वहां इण्टर कक्षाएं खोल दी जायं ?

श्री काली चरन--

मैंने पहले ही बता दिया कि वित्तीय साधनों को देखते हुए जहां पर जैसी आवश्यकता होगी वहां पर हम विचार कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

जैसा उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कराया और उसके आधार पर विद्यालय खोल रहे हैं । वह सर्वेक्षण कब हुआ और किसने किया और कितने स्कूल उस सर्वेक्षण के आधार पर खोले गए और कितने उसके अतिरिक्त खोले गए ?

श्री काली चरन--

1973 में भारत सरकार के आदेश पर यह सर्वेक्षण हुआ था और उस सर्वेक्षण के आधार पर विद्यालय खोलते रहे हैं ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सर्वेक्षण से जो स्थिति उनके सामने आई है, तो भविष्य में जो नए स्कूल खोले जायें, उसके आधार पर क्षेत्र के पिछड़ेपन पर ध्यान दिया जायगा अथवा नहीं ?

श्री काली चरन--

मैंने बताया कि असेवित क्षेत्र वही हैं, जो पीछे हैं । उनको प्राथमिकता दी जायगी ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा में हो, आपने ऐसी कोई सर्वेक्षण योजना बनाकर लड़कियों के स्कूल खोलेंगे और कोई नीति निर्धारित करेंगे ?

श्री काली चरन--

प्रश्न दुहरा दें ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

क्या ऐसी नीति का निर्धारण करेंगे जिसमें आमूलचूल परिवर्तन हो सकें । लड़कियों को रोजगार परक शिक्षा मिल सके, इसका सर्वेक्षण करेंगे और कोई शिक्षा नीति निर्धारित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार से सहायता प्राप्त विश्व-विद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों, हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को शासन के द्वारा वेतन दिया जाता है, उसी प्रकार सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों और अध्यापिकाओं को भी सरकार वेतन देने के बारे में विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

इससे यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 1973 में जो सर्वे हुआ था, उसके तहत विद्यालय खोले गए, तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विद्यालय खुले हैं और जिनको मान्यता नहीं दी गयी है, उन विद्यालयों को भी मान्यता देने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री काली चरन--

शीघ्र ही हम इसके आदेश देने जा रहे हैं ।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)---

मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो विद्यालय सर्वेक्षण के आधार पर खोले गए, क्या सर्वेक्षण के आधार पर ही खोले गए हैं, यदि हां, तो कहां-कहां ? क्या सर्वेक्षण के अलावा भी कहीं पर खोले गए हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

श्री काली चरन--

स्कूल तो उसी आधार पर खोले गए हैं लेकिन यदि कहीं पर अनियमितता की बात हो, तो उसको बता दें, मैं दिखवा लूंगा ?

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)---

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अपने वित्तीय साधनों के अनुसार वे कार्यवाही करेंगे, तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि अपने वित्तीय साधनों के आधार पर, वे कहां-कहां कन्याओं के विद्यालय खोलेंगे और ऐसे विद्यालयों की संख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)---

प्रदेश के स्थानीय निकायों में जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन वहां पर हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की शिक्षा उपलब्ध नहीं है । तो क्या उन जूनियर हाई स्कूल्स को हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट शिक्षा देने के लिए मान्यता देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इससे यह प्रश्न नहीं उठता । मूल प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक ब्लाक में सरकार स्कूल खोलेगी और दूसरा प्रश्न यह है कि जूनियर हाई स्कूल हैं, उनका उच्चीकरण किया जायगा ?

श्री विजय राज सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण अंचलों में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न भी इससे नहीं उठता है। मूल प्रश्न में प्रत्येक ब्लाक का जिक्र है. . .

श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों में, जो लड़कियों के हाई स्कूल चल रहे थे, उनमें से कुछ को कांग्रेसी जिलाध्यक्षों ने खत्म कर दिया और फिर उन्हें जूनियर हाई स्कूल कर दिया, तो क्या सरकार फिर से उन्हें हाई स्कूल के रूप में चलाने का प्रयास करेगी ?

श्री काली चरन--

अगर ऐसी कोई सूचना माननीय सदस्य के पास हो, तो मुझे बता दें, मैं अवश्य कार्यवाही करूंगा।

श्री श्याम धर मिश्र--

यह सही होते हुए कि जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल विद्यालयों के खोलने के लिए धन की समुचित कमी है, क्या यह सही नहीं है, कि बहुत सी जगह जूनियर हाई स्कूल होते हुए भी और हाई स्कूल होते हुए भी, जूनियर हाई स्कूल खोल दिए जाते हैं लड़कों के, तो उन्हीं को तोड़ करके जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल लड़कियों के लिए किया जा सकता है, ऐसे कई स्थान हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे उठता नहीं है।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ब्लाक विद्यालयों में कितने ऐसे हैं, जिनकी प्रबन्ध समितियों में अनियमिततायें और भ्रष्टाचार के आरोप हैं ? उसकी सूची रखने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरन--

इस प्रश्न में यह सब बातें आती नहीं है। मैं कहां से बताऊं ?

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है. . . .

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के समय कोई व्यवस्था का प्रश्न उठता ही नहीं है।

श्री जगदीश (जिला आजमगढ़)--

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां सर्वेक्षण की बात बहुत कही गयी, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उस सर्वेक्षण को कहां प्राथमिकता दी गयी है ? कहीं पर स्कूल नहीं है और मन्त्री जी ने कहा कि स्कूल खोले जा रहे हैं, तो उसको

बतायेंगे और सदस्यों को जानकारी करायेंगे कि प्रदेश में जब सर्वेक्षण हुआ, तो किस आधार पर कहां उसको प्रायोरिटी दी जा रही है और उसकी जानकारी के लिए प्रतिलिपि सदस्यों को प्रस्तुत की जायगी ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, यह आख्या तो प्रत्येक जिला निदेशक कार्यालय में उपलब्ध हो सकती है और जो सदस्य जानना चाहें उन्हें यहां से भी मिल सकती है।

वाराणसी जिले के ब्लाक बड़ागांव के अन्तर्गत कन्या जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की मांग

*4—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री स्थान घंघकलगंज दांदूपुर में जू0 हाई स्कूल कन्या तथा स्थान कुवार ब्लाक, बड़ागांव, जिला वाराणसी में जूनियर हाई स्कूल खोलने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरन—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या 6, श्री बाबू राम वर्मा।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, प्रश्न संख्या 4 रह गया, उसका उत्तर रह गया।

श्री अध्यक्ष—

उसका तो उत्तर दे चुके हैं कि "जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।"

श्री ऊदल—

सप्लीमेन्टरी तो पूछा ही नहीं ? दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं। तीसरा पूरे प्रदेश के लिए और चौथा एक पर्टिकुलर स्थान के लिए है, दांदूपुर और कुवार ब्लाक जो बड़ा गांव में है, उसके बारे में है ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न 4 पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहें, तो कर लें।

श्री ऊदल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि दांदूपुर क्षेत्र में कोई भी जूनियर हाई स्कूल नहीं है और दूसरे कुवार ब्लाक, बड़ागांव में 4-5 मील के एरिया में कोई जूनियर हाई स्कूल लड़कों का भी नहीं है। तो इन दोनों स्थानों के लिए क्या शिक्षा मन्त्री जी पुन: विचार करेंगे कि दोनों स्थानों पर जूनियर हाई स्कूल खोल दिए जायं।

श्री काली चरन—

श्रीमन्, जहां तक दांदूपुर का प्रश्न है। उस गांव में एक जूनियर हाई स्कूल है। तो जहां अलग-अलग लड़के और लड़कियों के लिए व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहां सम्मिलित रूप से काम चलाया जाता है। उस गांव में ही जूनियर हाई स्कूल है। जहां तक

दूसरे कुवारपुर का प्रश्न है, यह सही है, वहां के कमला उच्चतर माध्यमिक स्कूल 6 किलो मीटर की दूरी पर है। यह दूरी की समस्या जरूर है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार विचार करेगी कि वहां जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था हो जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

जूनियर हाई स्कूल की समस्या पूरे प्रदेश की समस्या है। तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां जूनियर हाई स्कूल खुलते हैं, वहां कौन से नार्म्स आप इस्तेमाल करते हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता। यह बनारस जिले से सम्बन्धित एक निश्चयात्मक प्रश्न पूछा था।

श्री गोन्विद सिंह नेगी—

मेरा प्रश्न यह है कि जूनियर हाई स्कूल की सब जगह मांग होती है। तो क्या कोई ऐसी नीति आपने निर्धारित कर रखी है जिसके हिसाब से जूनियर हाई स्कूल खोले जाते हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता। आप इसकी सूचना अलग से दीजिए।

*5—श्री बाबूराम वर्मा—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती एवं डिप्टी डाइरेक्टर (शिक्षा) गोरखपुर के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*6—श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को जानकारी है कि 1 अप्रैल से 30 जून, 1977 के मध्य जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती एवं डिप्टी डाइरेक्टर (शिक्षा), गोरखपुर मन्डल, गोरखपुर के विरुद्ध कुछ संसद सदस्यों ने शिक्षा निदेशक, सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के पास लिखित शिकायत भेजी है? यदि हां, तो शिकायत का सम्पूर्ण तथ्य क्या है तथा उन तथ्यों पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री काली चरन—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबू राम वर्मा—

मैं शिक्षा मन्त्री को बताना चाहता हूं कि दिनांक 13 मई, 1977 को बस्ती जिले के श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री महादेव प्रसाद वर्मा, संसद सदस्य, श्री भीषम, भूतपूर्व विधायक, श्री राम किंकर, संसद सदस्य बाराबंकी इन लोगों ने सामूहिक रूप से एक प्रार्थना-पत्र मुख्य सलाहकार, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश को दिया था। उसमें मुख्य जानकारी की बात यह थी कि हम निम्न अविलम्बनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बस्ती जनपद में...

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य उसको पूरा न पढ़ें। केवल इतना कहें कि फलां ने प्रार्थना-पत्र दिया था।

श्री बाबू राम वर्मा—

दिनांक 13 मई, 1977 को मुख्य सलाहकार, राज्यपाल को श्री महादेव प्रसाद वर्मा, एम0 पी0 ने दिया था।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ?

श्री काली चरन—

माननीय सदस्य ने ही अभी-अभी बताया है कि दिनांक 13 जुलाई, 1977 को एक शिकायती-पत्र दिया गया है, जब कि प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि 1 अप्रैल से 30 जून तक कोई शिकायती-पत्र मिला है। तो इस बीच में कोई नहीं मिला। वह तो खुद ही बता रहे हैं कि दिनांक 13 जुलाई, 1977 को दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 13 मई, 1977 को दिया गया, यह कहा उन्होंन।

श्री काली चरन—

श्रीमन्, इसकी जानकारी करायी गयी। न तो शिक्षा निदेशक के पास, न राज्यपाल के सलाहकार के पास, न और कहीं कोई प्रार्थना-पत्र माननीय संसद सदस्यों और माननीय विधायको के नाम से प्राप्त हुआ है।

श्री बाबू राम वर्मा—

गोरखपुर के डिप्टी डायरेक्टर श्री डी0 डी0 तिवारी के खिलाफ कोई शिकायत उनको प्राप्त हुई है, इस सम्बन्ध में ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, यह जो पत्र दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, उसमें श्री कोदई उपाध्याय, जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के विरुद्ध शिकायत की गयी है। श्री डी0 डी0 तिवारी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

जो शिकायती-पत्र डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ प्राप्त हुए हैं, क्या उसी आधार पर उनका स्थानान्तरण किया गया है ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, उनके विरुद्ध पहले से भी आरोप थे और वर्तमान काल में भी उनके विरुद्ध शिकायतें आयीं। इसलिए उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है और उनके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए उनकी जांच भी हो रही है।

श्री प्रदीप कुमार बजाज (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से आरोप उनके खिलाफ लगाए गए हैं, जब कि उनका 30 सितम्बर को रिटायरमेंट होने वाला था ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न पर कोई प्रश्न न कीजिएगा।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, स्थगित कर दिया जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर का स्थानान्तरण कर दिया गया है, जब कि उनका रिटायमेंट 30 सितम्बर को है ? वह कौन सी परिस्थिति आ गयी कि एक महीने के अन्दर उन्हे स्थानान्तरण करना पड़ा ?

श्री काली चरन—

मान्यवर, विद्यालय के किसी न किसी पक्ष से सम्बन्धित अनेक आरोप उन पर लगाए गए, जिसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने मुझसे मौखिक रूप से भी कहा। साथ ही साथ पहले से भी अनियमितताओं के सम्बन्ध में, गम्भीर आरोप चल रहे हैं। इस कारण से इनका स्थानान्तरण करना अनिवार्य हो गया।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अध्यक्ष जी, एक प्रश्न की अनुमति मुझे और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

इनको मैंने बुला लिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर माननीय मन्त्री जी स्वीकार कर चुके हैं कि इनके खिलाफ कुछ आरोप थे, जिससे इनका स्थानान्तरण कर दिया गया। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध कौन से आरोप सिद्ध हुए और कौन से नहीं सिद्ध हुए, क्या स्थानान्तरण के समय माननीय मन्त्री जी को जानकारी नहीं थी ? मान्यवर, जब आपने स्थानान्तरण किया तब जांच करा लिया था, जो उनके विरुद्ध आरोप थे, और वे कुछ सिद्ध हुए थे कि नहीं ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, श्री डी0डी0 तिवारी, विभाग में एक ऐसे विवादस्पद अधिकारी रहे हैं, दो बार संयुक्त निदेशक के पद पर इनको अतिक्रमित किया गया है। पिछले कारनामों के सम्बन्ध में जो इनके खिलाफ आरोप है, वह चल रहा है। ये जांच में आनाकानी करते हैं। इनके कारण गोरखपुर मन्डल के अनेक जिलों की शिक्षण संस्थायें जो हैं, अस्त व्यस्त होती चली जा रही हैं। इसलिए यह सोचा गया कि ये अब इन शिक्षण संस्थाओं को अधिक न बरबाद करें, इसलिए स्थानान्तरण वहां से कर दिया गया।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मान्यवर, ये अधिकारी गोरखपुर में कितने साल से थे ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, इसकी सूचना नहीं है।

श्री देवकुमार—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से साबित है कि ये अधिकारी शिक्षा विभाग की एक समस्या बने हुए हैं। इस शासन को अधिकार है, अगर 50 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लिए हों, तो उनको कम्पलसरी रिटायर कर सकते हैं। मान्यवर, उस अधिकारी की उम्र क्या है और अगर 50 वर्ष पूरी कर लिया है तो क्या उनको कम्पलसरी रिटायर करने पर विचार करेंगे ?

श्री काली चरन—

श्रीमन् लगभग सवा महीने बाद वह रिटायर होने वाले हैं। चूंकि उनके विरुद्ध आरोपों की जांच हो रही है, यह न्याय की दृष्टि में है कि उनको भी अपने प्रति लगाए गए आरोपों की सफाई देने का अवसर मिलना चाहिए। मान्यवर, इसके पहले उनको रिटायर करना उचित न होगा।

(श्री विजयराज सिंह का नाम पुकारे जाने पर)]

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह हमारे जिले का मामला है ....

श्री अध्यक्ष—

पहले मैंने इनको अनुमति दिया है।

श्री विजय राज सिंह—

मान्यवर, क्या शिक्षा मन्त्री जी ने इनका स्थानान्तरण इसलिए किया था कि जिससे इनके विरुद्ध आरोपों की जांच निष्पक्ष रूप से हो सके ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, यह तो प्रश्न है कि जांच हो सके। मुख्य कारण यह भी है कि वहां रहकर वह और अधिक विद्यालयों को क्षति न पहुंचा सके इसलिए हित में था कि उनको वहां से हट जाना चाहिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि श्री डी० डी० तिवारी जिनके रिटायर होने में एक महीना रह गया है। वह वहां एक महीने में ज्यादा क्षति नहीं कर सकते थे। [×××] जब कि अनेक विधायकों ने लिखकर दिया है कि इनके विरुद्ध जो आरोप हैं, उनकी जांच होनी चाहिए ?

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

यह आक्षेप है, इसकी अनुमति मैं नहीं दूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आक्षेप मैं नहीं कर रहा हूं। यह कि विधायकों ने लिख कर दिया है कि डी० डी० तिवारी के खिलाफ जो आरोप हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गयी। फिर कौनसी परिस्थिति थी कि एक महीने के अन्दर ही उनको वहां से हटा दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है। वह कहते हैं कि अगर न हटाते तो दूसरे स्कूलों को क्षति पहुंच सकती थी। उत्तर दे चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, नियमों में है कि एक सदस्य दूसरे सदस्य से प्रश्न कर सकता है, यह नियमों में है। मैं पूछना चाहता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी सूचना दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मान्यवर, माननीय सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि कौन से वह मन्त्री हैं ?

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, जैसा माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ जांच हो रही है। इसलिए उनको स्थानान्तरित कर दिया गया है। तो क्या शिक्षा विभाग में जिन लोगों के खिलाफ जांच हो रही है, उन सबका स्थानान्तरण तत्काल मन्त्री जी करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है, आप एक जनरल बात कह रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट था।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बतलायेंगे कि डिप्टी डाइरेक्टर, गोरखपुर के खिलाफ जो अयिभयोग लगाए गए हैं, तो उन्होंने अब तक कितने कालेजों में झगड़ा लगाया है क्या इसकी सूची आपके पास उपलब्ध है। नम्बर दो--उनके खिलाफ अभियोगों को

जांच किस जांच समिति ने किया है और उस जांच समिति की रिपोर्ट क्या है? नम्बर तीन—जिन अभियोगों की जांच इस समय चल रही है तो जांच करने वाले अधिकारी कौन-कौन हैं?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, क्या किसी ने इसकी जांच की है, कृपया बतायें?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, उनके खिलाफ जांच हो रही है।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से, बहुत साधारण सवाल है। जो इसके पूर्व अभियोग, उनके ऊपर सिद्ध हो चुके हैं और जिस अभियोग के कारण उनका स्थानान्तरण केवल एक महीने रिटायरमेन्ट से पूर्व किया गया और शासन के 6 हजार रुपए टी0 ए0 में खर्च होंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि जांच से क्या यह पता चला कि गोरखपुर मन्डल में कितने ऐसे कालेज हैं, जहां उन्होंने झगड़ा लगाया। इसकी सूची है?

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर दिया है कि जांच हो रही है।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मान्यवर, 2 चीजें हैं। एक रिपोर्ट आई है और अभी अभियोग पत्र जिस पर जांच जारी है, तो श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके अनुसार उन्होंने गोरखपुर मन्डल में कितने स्कूलों में झगड़ा लगाया? दूसरी जो जांच चल रही है, वह तो चलेगी ही।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, माननीय सदस्य के प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक तो यह है कि कोई जांच रिपोर्ट आपको मिली और दूसरा यह है कि जांच अभी चल रही है। तो क्या पहली जांच रिपोर्ट आपको मिली है? यदि हां, तो क्या है, इसका उत्तर दें?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, उनके विरुद्ध जांच चल रही है।

एक सदस्य—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि .....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए और माननीय सदस्यों की उत्सुकता को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी अन्तरिम रिपोर्ट जिस पर जांच हो रही है उसकी (अन्तरिम रिपोर्ट) सदन में प्रस्तुत करेंगे?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, जांच के औचित्य को देखते हुए और जो अभियोग हैं, उनको देखते हुए मुझे कहना है कि एक तो अन्तरिम रिपोर्ट अभी कोई नहीं आयी है और दूसरे जॉच जब तक पूरी नहीं होती है तब तक कोई रिपोर्ट रखना उचित नहीं होगा।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मैं पूछना चाहता हूं कि एक महीना केवल उप निदेशक को अवकाश ग्रहण करने में बाकी है और ट्रान्सफर में यात्रा व्यय 6 हजार रुपए होगा जो कि एक भार सरकार के ऊपर होगा . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

श्रीमन्, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं। मैं शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जांच अधिकारी कौन है?

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

हरदोई जिले के निर्वाचन क्षेत्र, बेनीगंज के अन्तर्गत नलकूप निर्माण की मांग

*7—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में गत 5 वर्षों में लगभग 200 राजकीय नलकूपों का निर्माण हुआ जिसमें से तहसील सन्डीला मुख्यत: विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बेनीगंज में कितने नलकूपों का निर्माण किया गया है? यदि नहीं, तो क्या वित्तीय वर्ष 1977-78 में सरकार और राजकीय नलकूपों के निर्माण पर विचार करेगी?

सिंचाई उप मन्त्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)—

हरदोई जनपद में गत 5 वर्षों में मार्च, 1977 तक 88 नलकूपों का निर्माण हुआ है तहसील सन्डीला निर्वाचन क्षेत्र बेनीगंज में कोई नलकूप निर्माण नहीं हुआ है।

जी हां।

श्री बिहारी लाल हंस—

श्रीमन्, क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1977-78 में तहसील सन्डीला में कोई नलकूप लगाने की व्यवस्था है?

सिंचाई मन्त्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1977-78 में सवाल पूछा है। इसमें जहां तक बेनीगंज क्षेत्र का सवाल है। तो हम करीब 10 ट्यूबवेल लगायेंगे और सारे जनपद में यदि जानना चाहेंगे, तो हमारा प्रोपोजल 40 ट्यूवेल लगाने का है।

श्री बिहारी लाल हंस—

श्रीमन्, क्या मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र होते हुए भी अभी तक उसको क्यों उपेक्षित रखा गया ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

श्रीमन्, इस पूरी तहसील में जो कृषि योग्य भूमि है वह 90,638 हेक्टेयर है, जिसमें 84,890 हेक्टेक्यर शारदा नहर के कमान्ड एरिया में है। यही कारण है जिससे इस तहसील में नलकूप नहीं लगाए गए। साथ ही 5,748 हेक्टेयर भूमि गोमती नदी के कटाव से सम्बन्धित है और ऊसर है।

श्री देव कुमार—

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में, पूरे प्रदेश में कितने नलकूप लगाने की योजना है ?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल सीमित था, उससे यह पैदा नहीं होता है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शारदा सहायक योजना के कमान्ड एरिया में, कितनी भूमि की सिंचाई होती है और कितनी वंचित रह जाती है ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे नहीं पैदा होता है। कितने हरदोई जिले में नलकूप लगे और बेनीगंज में लगे कि नहीं, यह मूल प्रश्न है। आप दूसरा प्रश्न करें।

श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वह क्षेत्र शारदा सहायक के कमान्ड में आ जाता है, इसलिए नलकूप नहीं लगे। तो क्या मन्त्री जी को जनता की ओर से पिछले दिनों या पिछले साल में कोई दरख्वास्त नहीं मिली कि नलकूप लगाए जायं या मिलने के बावजूद भी नलकूप नहीं लगाए गए।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता, उसका उत्तर दे चुके हैं कि 10 ट्यूबवेल्स लगायेंगे।

*8—श्रीमती रामरति देवी—

[4थे शुक्रवार में तारांकित, प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*9–10—श्री गिरधारी लाल—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

*11—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

*12—श्री गोविन्द सिंह नेगी —

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के फलस्वरूप निरस्त।]

नगरपालिकाओं के अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा-शर्तों पर शिक्षा अधिनियम लागू किए जाने की मांग

*13—श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिकाओं द्वारा संचालित माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में शिक्षा अधिनियम की धारा 16-जी तथा 14 लागू न होने के कारण क्या हैं तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायगा ?

श्री काली चरन —

नगरपालिकाओं द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में आरम्भ से ही उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधनियम, 1916 के प्राविधान लागू हैं। चूंकि ये प्राविधान पर्याप्त समझे गए, अत : स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के उपरोक्त शिक्षण कर्मचारियों के सम्बन्ध में इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-ई की उपधारा (1) के प्राविधान जो शैक्षिक तथा अन्य अर्हताओं के सम्बन्ध में है, को छोड़कर अन्य प्राविधान लागू नही किए गए। किन्तु एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-जी तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 14 के प्राविधान स्थानीय निकायों के विद्यालयों के उपरोक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी लागू करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। उन्होंने बताया कि उक्त धाराओं को लगू करना शासन के विचाराधीन हैं। मैं आपके माध्यम से निवेंदन करना चाहता हूं कि इन धाराओं के लागू न होने से स्थानीय निकायों के अध्यापकों को अकारण काफी समय से शोषण का सामना करना पड़ रहा है। इन धाराओं को तत्काल लागू न करने का क्या कारण है और यह कब तक लागू हो जाएगी ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, इन्हें लागू करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना होगा। नियमावली बनाकर कार्मिक विभाग को भेज दी गयीं है। उसके परीक्षण के बाद विधि परामर्शी के पास जायगी। इसके बाद अधिनियम में संशोधन करके लागू कर दिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या शिक्षा मन्त्री जी इसके लिए कोई निश्चित समय बताने की कृपा करेंगे, जिससे कि अध्यापक वर्ग आश्वस्त हो सके ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, निश्चित समय बताना कठिन है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

बजट सेशन 10 अक्तूबर तक चलेगा। क्या मन्त्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि इसी अधिवेशन में सरकार संशोधन ले आएगी ?

श्री काली चरन--

श्रीमन्, मैंने बताया कि विधि की सम्मत सारी कार्यवाही जब पूरी हो जाएगी तो इसको संशोधित करके लागू कर दिया जायगा।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन धाराओं के लागू न होन के कारण प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कितने अध्यापक ऐसे हैं, जिनको एक साल के लिए प्रति वर्ष बढ़ाया जाता है ?

श्री काली चरन--

इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

फैजाबाद जिले की दरवन झील से नाला निकालने हेतु स्वीकृत धनराशि

*14--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में दरवन झील से बरसात में होने वाले हर वर्ष की बाढ़ के प्रकोप के निवारणार्थ पिछली सरकार द्वारा एक बड़ी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

जी हां।

दरवन ताल ड्रेन की रिमाडलिंग हेतु एक 3.04 लाख रु0 की परियोजना राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 2 जून, 1975 को इस शर्त के साथ स्वीकृत की गयी कि रेलवे विभाग से भी उसकी स्वीकृति ले ली जाए क्योंकि उक्त स्थल फैजाबाद वाराणसी रेलवे लाइन के समीप है। रेलवे विभाग से अब तक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका है।

इस ड्रेन के रिमाडलिंग हेतु वर्ष 1976-77 में 1.0 लाख रु0 आवंटित किया गया था किन्तु रेलवे विभाग से योजना पर स्वीकृति न मिलने के कारण स्वीकृत धनराशि समर्पित कर दी गई।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि जब वर्ष 1976-77 में एक लाख रुपया आवंटित किया गया और तब तक रेलवे विभाग की स्वीकृति नहीं आयी थी, तो स्वीकृति हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, सिचाई विभाग के सचिव ने रेलवे विभाग से जो जानकारी मांगी थी, वह दिनांक 18 जून, 1975 को मांगी थी। यहां पूरा सर्वे करा लिया गया था। दिनांक 12 नवम्बर, 1976 को पूरी जानकारी सर्वे की भेजी गयी। उस पर पुन: उन्होंने अतिरिक्त जानकारी चाही, जिसको उन्हें दिनांक 20 जुलाई, 1977 को भेज दी गयी और उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

जब वर्ष समाप्त होने लगा है और यह सम्भावना हो गयी कि एक लाख रुपया, जो आबंटित हुआ है, लैप्स हो जायगा तब हमारी सरकार ने उसके बारे में स्वीकृति हासिल करने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया और दोषी अधिकारियों के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार बराबर होता रहा। यह जो ड्रेन जाती है, वह रेलवे लाइन को पार करती है। रेलवे विभाग का यह कहना था कि जब ड्रेन को रिमोडेल करेंगे, तो पूरा पानी पास नहीं हो सकता और सिंचाई विभाग का कहना था कि पूरा पानी पास हो सकता है। उन्होंने कई आंकड़े मांगे जिसमें समय लगा। इसके अलावा पांच वर्ग मील जो कैच की एरिया थी, उसकी भी इन्फारमेशन मांगी गयी थी, जिसमें और समय लगा। इसलिए हम इसे 20 जुलाई, 1977 को भेज पाए और बीच में भी भेज़ते रहे।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे विभाग ने आखिरी सूचना किस तारीख को मांगी और उसका जवाब सरकार ने किस तारीख को भेजा ?

श्री बलवीर सिंह—

यह जो नियन्त्रण बोर्ड की सलाहकार समिति है, उसमें चीफ इन्जीनियर, नार्दर्न रेलवे, चीफ इन्जीनियर नार्थ ईस्टर्न रेलवे भी उसके सदस्य हैं और बाकी सिंचाई विभाग के लोग हैं। जब यह डिसिजन हुआ 2 जून, 1975 को कि यह योजना बनेगी, तो उस वक्त वे मौजूद थे। उसके बाद उन्हें इस पर और जानकारी करने की आवश्यकता हुई। तो उन्होंने दिनांक 18 जून, 1975 को हाइड्रोलिक डेटा हम से मांगा कितना पानी निकल सकता है। यह डेटा दिनांक 20 जून, 1976 को सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर ने भेजा और उसके बाद दिनांक 12 नवम्बर, 1976 को सचिव, बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने उसको भेज दिया। अब 9 फरवरी, 1977 को बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड के सचिव ने सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर से रिपोर्ट मांगी और दिनांक 28 मई, 1977 को वह रिपोर्ट दी गयी। इस प्रकार उसे फाइनल कर दिनांक 20 जुलाई, 1977 को रिपोर्ट रेलवे विभाग को भेज दी गयी। उसका कोई जवाब नहीं आया है। मुझे पता लगा है कि उस पर रिमाइन्डर भी हमारे यहां से भेज दिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

एक लाख रुपया आबंटित किया गया और वह लैप्स हो गया। माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक लाख रुपया आबंटन करने से पूर्व भी, रेलवे विभाग से इस बारे में कोई करेस्पोन्डेन्स की गयी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जैसा पहले ही बतलाया गया है 2 जून, 1975 को जो सलाहकार समिति की बैठक हुई, उसमें उत्तर रेलवे और उत्तर पूर्वी रेलवे के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता मौजूद थे और उसी पर यह विवाद हुआ और उसी वक्त यह हाइड्रोलिक डेटा मांगा गया.

जिसको हमने देने का निर्णय लिया था। और जैसा माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि किस अन्तिम तिथि को अतिरिक्त जानकारी दी गयी, तो वह तिथि 24 दिसम्बर, 1976 थी।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

भारत सरकार का रेलवे विभाग जहां कहीं ड्रेनों का मसला होता है, या गांव के निकट रेलवे लाइन पर फाटकों का सवाल होता है ऐसे सार्वजनिक हित के मामलों में वह काफी देर लगाता है। जब माननीय मन्त्री जी दिल्ली जायेंगे, तो क्या वह रेलवे विभाग से इस बारे में बातचीत करेंगे ?

श्री बलबीर सिंह—

जब रेलवे लाइन को पार करना पड़ता है, तो इन लोगों की सलाह लेनी पड़ती है और उस सलाह के बारे में कोई झगड़ा होता है, तो फिर आपस में बैठ कर निबटाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी जरूरी कार्यवाही होगी, उस पर हम विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन झगड़ों का जल्दी से निबटारा हो सके।

*15-16—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

*[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

गोण्डा जिले के लिए प्रस्तावित नलकूप

1—श्री दीपनरायन (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में इस वर्ष कितन राजकीय नलकूप लगेंगे तथा गोन्डा जिले के कटरा व हलधर मऊ ब्लाक में कितने राजकीय नलकूप लगाने का शासन ने निश्चय किया है ?

श्री बलवीर सिंह—

गोन्डा जिले में वर्ष 1977-78 में 20 राजकीय नलकूपों का निर्माण प्रस्तावित है।

कटरा व हलधर मऊ ब्लाक में राजकीय नलकूपों का छिद्रण नहीं किया जाना है क्योंकि यह क्षेत्र बायीं तटीय घाघरा नहर के कमान्ड में आता है।

गोण्डा जिले में रामापुर घाट—डबहा बाजार तथा हजूरपुर-करनैलगंज सड़क के निर्माण की मांग

2—श्री दीपनरायन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोन्डा जिला परामर्श-दात्री समिति ने सन् 1975 में प्रथम वरीयता पर रामापुर घाट से डबहा साजार तक तथा द्वितीय वरीयता पर हजूरपुर से करनैलगंज तक सड़कें बनाने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो इन सड़कों का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

जी हां।

धनाभाव के कारण इन मार्गों का निर्माण स्वीकृत करना सम्भव नहीं हो सका है। अत: इन पर कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के धुधली-शिकारपुर तथा पकड़ी-विशुनपुर सड़क के पुनर्निर्माण की मांग

3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने जुलाई, 1977 एवं इसके पूर्व भी गोरखपुर जिले की खंडित सड़क धुधली-शिकारपुर एवं पकड़ी-विशुनपुर को पूरा करने के लिए उनका ध्यान आकर्षित किया है? यदि हां, तो इन सड़कों के निर्माण में पृथक-पृथक कितना व्यय होगा एवं इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां।

इनकी लागत का अनुमान आगणन तैयार किए जाने पर हो सकेगा। कार्य स्वीकृत नहीं है। इनके पूरा किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

4—श्री बिहारी लाल हंस—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

हरदोई जिले के राजकीय बालिका इण्टर कालेज (सण्डीला) के भवन निर्माण की मांग

5—श्री बिहारी लाल हंस—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जिला हरदोई के राजकीय बालिका इन्टर कालेज, सण्डीला का अपना कोई निजी भवन नहीं है? क्या सरकार उसके भवन निर्माण हेतु शीघ्र व्यवस्था करेगी?

श्री काली चरन—

जी हां, विद्यालय का अपना निजी भवन नहीं है। भवन निर्माण के लिए कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। वर्तमान जिला परिषद् का जूनियर हाई स्कूल भवन जिसमें इस समय विद्यालय चल रहा है, के क्रय का प्रश्न विचाराधीन है।

गोरखपुर जिले की भिटौली-कमता रोड के परिवर्तन की मांग

6—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की भिटौली-कमता रोड का मार्ग परिवर्तन कर इसे भिटौली-खुरहा रोड करने की मांग प्रश्नकर्ता ने जुलाई, 1977 एवं उसके पूर्व वर्ष में किया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां।

भिटौली से पिपरिया (7.00 किलोमीटर) तक ही मार्ग स्वीकृत है। पिपरिया के आगे कमता या खुरहा तक का मार्ग स्वीकृत नहीं है।

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजनान्तर्गत नियुक्त प्रसार अध्यापकों का वेतन-क्रम एवं पदोन्नति

7—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सन् 1954 से चल रही "शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना' के अन्तर्गत कितने प्रसार अध्यापक कार्य कर रहे हैं? वे किस वेतन-क्रम में नियुक्त हैं तथा इनमें से कितने स्थाई हैं ? क्या यह अध्यापक विभाग के एल0टी0 एवं बी0एड0 शैक्षणिक वेतन-क्रम पाते हैं ? यदि हां, तो इन्हें भी उसी प्रकार की पदोन्नतियां क्यों नहीं दी जातीं ?

श्री काली चरन—

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत 2522 प्रसार अध्यापक कार्य कर रहे हैं। 1815 प्रसार अध्यापक वेतन-मान रु0 250–425 में नियुक्त हैं और इनमें से 1603 स्थायी हैं। 707 प्रसार अध्यापक वेतन-मान रु0 300–550 में नियुक्त हैं और इनमें से 658 स्थायी हैं। एल0टी0 ग्रेड के प्रसार अध्यापकों एवं सामान्य संवर्ग के एल0टी0 ग्रेड के शिक्षकों का वेतन-मान अब एक ही हैं परन्तु उनका संवर्ग पृथक होने के कारण उन्हें सामान्य संवर्ग के शिक्षकों की भांति पदोन्नतियां नियमान्तर्गत देय नहीं हैं ?

8—श्री ऊदल—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

इलाहाबाद जिले के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की साइन्स, स्याही व विकास फीस

9—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में साइन्स, स्याही व विकास फीस वेतन वितरण खाते में जमा करा रहे हैं और ऐसा शिक्षा अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत किया जा रहा है ?

श्री काली चरन—

15 विद्यालयों में।

यह कार्यवाही धन का दुरुपयोग रोकने के लिए विशेष परिस्थितियों में की गयी है, किसी अधिनियम के अधीन नहीं।

10—श्री ऊदल—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

फर्रुखाबाद जिले के विकास क्षेत्र मुहम्मदाबाद के अन्तर्गत नलकूप संख्या 66

11—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास क्षेत्र, मुहम्मदाबाद के अन्तर्गत नलकूप संख्या 66 गत कितने वर्षों से खराब पड़ा है ? उसके देख-रेख के लिए कितने रुपए प्रति माह खर्च करने पड़ रहे हैं ? उक्त नलकूप के ठीक न होने के क्या कारण हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

नलकूप गत 3 वर्षों से सही प्रकार से चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिले की दरबन झील के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र

12—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में दरबन झील से कुल कितना क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है और क्या कुछ दिन पूर्व सरकार की ओर से इसका सर्वेक्षण कराया गया था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां।

दरबन ताल झील की बाढ़ से वर्ष 1975 में 1258 एकड़ तथा वर्ष 1976 में 1120 एकड़ भूमि प्रभावित हुई। दरबन ताल ड्रेन के जीर्णोद्धार (रिमाडलिंग) हेतु एक 3.04 लाख रुपए की योजना बनायी गई है जिसे राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति ने 2 जून, 1975 को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया है कि रेलवे विभाग से भी योजना के प्राक्कलन पर स्वीकृति ले ली जाय क्योंकि उक्त स्थल फैजाबाद, वाराणसी रेलवे लाइन के समीप है। रेलवे विभाग द्वारा योजना पर अभी तक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं आरम्भ कराया जा सका है।

भूतपूर्व सदस्य, श्री जगदीश्वर दयाल त्रिपाठी एवं श्री तिरमल सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के भूतपूर्व सम्मानित सदस्य स्वर्गीय श्री जगदीश्वर दयाल हमारे बीच में नहीं रहे। उन्हें इस सदन में सेवा करने का अवसर मिला था। जिस प्रकार उन्होंने इस सदन में रह कर सदन के गौरव एवं गरिमा के लिए प्रयास किया था वह बहुत ही अनुकरणीय है। उनका जन्म 1914 में छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चूंकि उनको आयुर्वेद पढ़ने की भी धुन थी उन्होंने डी0 एम0 आई0 एस0 की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद वह बराबर समाज सेवा में लगे रहे और उसके परिणाम स्वरूप 1969 से लेकर 1974 तक इस सदन के वह सदस्य बने रहे। इस बीच बराबर उनका सम्बन्ध सार्वजनिक जीवन से रहा। लोक कल्याण-कारी कार्यों में उनकी निष्ठा थी और उस निष्ठा के नाते बराबर छिबरामऊ टाउन एरिया के सन् 1950 से 1972 तक अध्यक्ष चुने जाते रहे। अचानक बीमार पड़ने पर वह जिले के अस्पताल में भरती हुए जहां चिकित्सकों के माध्यम से उनका उपचार नहीं हो सका। स्वस्थ न होने पर वह कानपुर मेडिकल कालेज में भरती किए गए लेकिन दुर्भाग्य से वह चिकित्सकों द्वारा विधिवत् उपचार किए जाने के उपरान्त भी जीवित न रह सके और वह हमारे बीच से हमेशा के लिए उठ गए। छिबरामऊ में बहुत सी सार्वजनिक संस्थाएं थीं विशेषकर जो विद्यालय वहां थे उनसे भी उनका काफी सम्बन्ध रहा है। फर्रुखाबाद की समस्त जनता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके इस निधन से बहुत ही शोकाकुल है। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय इस सदन की और मेरी इस संवेदना को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दें।

इसके साथ ही एक दूसरे सम्मानित सदस्य श्री तिरमल सिंह का निधन 29 अगस्त को हो गया। उनके पुत्र श्री जसवीर सिंह हमारे वर्तमान विधायक हैं। उनका भी समाज सेवा से गहरा सम्बन्ध रहा है इसीलिए सन् 1952, 1957, 1962 तथा 1969 में वह विधान सभा के सदस्य चुने गए थे। यही इस बात का प्रतीक है कि सचमुच वे कितने लोकप्रिय थे। लोकप्रिय होने के कारण वे इस सदन में जो उनका कर्तव्य होना चाहिए वह उन्होंने निष्ठापूर्वक निभाया और वह प्रदेश की सेवा करते रहे। इससे हम लोग और यह सदन शोकाकुल है। आपसे अनुरोध है कि इस सदन की संवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दी जाय।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन की भावनाओं के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं। श्री जगदीश्वर दयाल और श्री तिरमल सिंह के निधन पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं। जहां लोकतन्त्र में भारी अवसर आते हैं वहां नई धाराएं भी चलती हैं और उन धाराओं में अवरोध भी होता रहता है। हमारे नेता कभी न कभी हमसे बिछुड़ जाते हैं। हमारे इस सदन के सदस्य, श्री जगदीश्वर दयाल और श्री तिरमल सिंह आज नहीं रहे और उनके प्रति पूरा सदन शोक व्याकुल होता है। अभी उनके सम्बन्ध में उनके गुणों और उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में तमाम बातें नेता सदन ने कही हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को भी जोड़ता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि शोक सन्तप्त परिवार तक हम लोगों की भावनाएं पहुंचा दी जायं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, श्री जगदीश्वर दयाल और श्री तिरमल सिंह जी के निधन पर जो भावनाएं माननीय नेता, सदन और उप नेता विरोधी दल ने व्यक्त की हैं मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना भी शोक सन्तप्त परिवार को भेजने की कृपा करें।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

मान्यवर, जो भावना माननीय नेता सदन और उपनेता, कांग्रेस पार्टी और श्री नेगी जी ने श्री जगदीश्वर दयाल और श्री सिंह के निधन पर व्यक्त की है हम अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उससे सम्बद्ध करते हैं। श्री जगदीश्वर दयाल फर्रुखाबाद के एक बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति थे। वे इस सदन में भी रहे उनके निधन से उस जिले को विशेष क्षति हुई है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे दल की ओर से उन दोनों के, जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, परिवार को संवेदना भेजने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

डाक्टर जगदीश्वर दयाल त्रिपाठी तथा श्री तिरमल सिंह जो इस सदन के सदस्य रहे अब वह इस दुनियां में नहीं रहे। श्री त्रिपाठी से मेरा प्रथम परिचय सन् 1952 में हुआ था और यह टाउन एरिया छिबरामऊ में निरन्तर चुने गए और वहां अपने नगर की निरन्तर सेवा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

करते रहे। उनका शिक्षण संस्थाओं से और सार्वजनिक कार्यों से गहरा सम्बन्ध था। वे बड़े ही मृदुभाषी थे और सदा दुखियों की सहायता करते थे। विधान सभा में वे 1969 में चुने गए।

श्री तिरमल सिंह जी से भी मेरा परिचय 1952 से था। वह सन् 1952, 1957, 1962 और 1969 में विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और वह एटा जिले के एक कर्मठ सदस्य थे। वहां की सहकारी समितियों, वहां के विकास और वहां की शिक्षण संस्थाओं से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था जिसमें वह सक्रिय रहते थे। आज वह उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र श्री जसवीर सिंह को हम को दे गए हैं। इन दोनों के निधन से हमारे प्रदेश को बड़ी क्षति हुई है और जो भावनाएं उनके शोक सन्तप्त परिवार को, माननीय नता सदन, माननीय उप नेता विरोधी दल, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से श्री नेगी तथा श्री जगन्नाथ प्रसाद जी ने भेजने के लिए व्यक्त की हैं, वह भेज दी जायेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनकी स्मृति में दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य 2 मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

नोटीफाइड एरिया रसड़ा, जिला बलिया की सड़कों की दयनीय स्थिति तथा गन्दगी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—

मान्यवर, नोटीफाइड एरिया रसड़ा, जिला बलिया की हालत अत्यन्त दयनीय हो गयी है। इसकी आबादी बलिया शहर से कुछ अधिक है। इस नोटीफाइड एरिया की आने-जाने की मुख्य सड़कों के बीच-बीच में गड्ढे हो गए हैं। यदि कोई व्यक्ति भोजन करके सवारी पर बैठकर इन मार्गों से गुजरना चाहे तो निश्चित ही उसका भोजन बाहर हो जायगा। कोई गर्भवती स्त्री सवारी से इन मार्गों से नहीं गुजर सकती। पूरा कस्बा कूड़ा-कचड़ा, कीचड़ के दल दल में फंस गया है। पानी के गिरने से सड़कों पर गन्दा पानी गन्दगी कीचड़ का जमाव हो गया है, पानी के निकास का कोई मार्ग न होने से सम्पूर्ण गन्दगी इस कस्बे में ही एकत्र होती रहती है। लोगों का आना-जाना निकलना बैठना बन्द हो गया है, दूकानदार पूरे दे में अपने-अपने घरों और दूकानों में बैठकर सरकार की राह देख रहे हैं। बाहर से आने जाने वाले लोग छी-छी करके लौट जाते हैं। निकटस्थ अधिकारीगण तथा परगनाधिकारी, रसड़ा की गलत सूचना देने की वजह से सम्पूर्ण वातावरण दूषित बन गया है।

अस्तु मैं सरकार का ध्यान इस ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु आकर्षित करता हूं।

लखनऊ नगर में शान्ति व्यवस्था भंग होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं।

लखनऊ नगर में पुलिस के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी निवास कर रहे हैं और हमारे मन्त्रीगण का निवास स्थान भी लखनऊ में है, फिर भी लखनऊ शहर की शान्ति व्यवस्था बहुत ही चिन्ताजनक है। दिनांक 28 अगस्त, 1977 को जिला जेल के निकट आम सड़क पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

7 गुण्डों द्वारा सड़क पर जा रही दो बहिनों को लूट लिए जाने और दिनांक 30 अगस्त, 1977 को माननीय राज्य मन्त्री बिक्री-कर के शैडों को उसके ऐशबाग स्थित मकान में दिन-दहाड़े गोली मार देना बहुत बड़ी दुखद और करुणापूर्ण घटनाएं हो रही हैं। इस तरह की घटनाओं से लखनऊ के निवासियों के जन जीवन के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गयी है। मैं माननीय मन्त्री जी का इस बारे में ध्यान आकर्षित करता हूं और मांग करता हूं कि वह इस स्थिति को स्पष्ट करें, जिससे लखनऊ निवासियों का भय दूर हो सके और लोगों की पुलिस में आस्था कायम रह सके।

बस्ती जिले के खलीलाबाद के थाना इन्चार्ज के विरुद्ध शिकायतों को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बस्ती जिले के थाना खलीलाबाद में पुलिस व्यवस्था की गिरती हुई दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे मुख्य मन्त्री जी जब अभी गोरखपुर गए थे, तो उस समय भी वहां के नागरिकों ने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और शिकायत करने वालों में अनेक विधायक लोग और मन्त्री परिषद् के भी कई सम्मानित सदस्य थे। यही नहीं आपातकाल के दौरान जब यह स्टेशन अफसर गोरखपुर में शहर कोतवाल था, उस समय भी वह राजनैतिक बन्दियों को बुरी-बुरी गाली देता था और उनके साथ मारपीट करता था, जिसके बारे में मंत्रि परिषद् के सदस्य श्री लारी और रावत और हम विधायक लोग अच्छी तरह से जानते हैं और शिकायत भी की है जो वहां से चुनकर आए हैं। हम सब लोग इस बात के गवाह हैं वह स्टेशन अफसर आपातकाल में जब शहर कोतवाल था, उनके हाथ से गिरफ्तार हुआ कोई भी आदमी ऐसा नहीं था, जो मारा पीटा और अपमानित न किया गया हो। इसके बारे में मैंने जेल से छूटने के बाद पिछली सरकार के समय में भी लिखित शिकायत आई0 जी0 वगैरह से की थी। उसने तमाम छात्र संघों के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार करके भी उनके साथ मार पीट की जिनकी मरहम पट्टी श्री लारी आदि ने की थी। जब मुख्य मन्त्री जी गोरखपुर गए थे और जब उस समय खलीलाबाद गए थे, उसे मुअत्तल किया गया था। किन्तु मुझे आश्चर्य है कि विभागों में अफसरों की मुअत्तली पर 4–4, 6–6 महीने कोई कार्यवाही नहीं होती है ऐसे घिनौने अपराध करने वाले, आतंकित करने वाले अधिकारी के निलम्बन आदेश . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय रवीन्द्र सिंह इसमें व्याख्यान मत दीजिए। केवल जो घटना है. . .

श्री रवीन्द्र सिंह—

केवल दो मिनट सुन लें। ऐसे अधिकारी को आश्चर्य है मुझे, 15 दिन तक निलम्बित रखने के बाद आज से पांच सात दिन पहले बहाल कर दिया गया। सबसे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए यह है कि इमर्जेंसी में जो भी ज्यादतियां हमारे ऊपर हुई, इससे मालूम होता है कि सरकार उनसे सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र सिंह—

अगर हमारे ऊपर हुई ज्यादतियां सही हैं, जिन कारणों से निलम्बित किया गया और पुनः बहाल किया गया, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, आपने उसे बहाल कर दिया, आप जानें, आपकी गरिमा जाने, रिश्वतखोरी के बल पर सरकारी और राजनीतिक दबाव के बल पर पुनः बहाल हो गए। सबसे अधिक शर्मनाक बात यह है कि निलम्बित होने के 15 दिन के अन्दर बहाल कर दिया गया और उसी थाने पर उसे इंचार्ज बना दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री रवीन्द्र सिंह—

जब कि आज बन्सी लाल को पकड़ रहे हैं, सुन्दर सिंह जैसे डाकू की हत्या की जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रवीन्द्र सिंह—

यह हमारी पार्टी के लिए बहुत शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

मेरठ कालेज के उत्तीर्ण छात्रों को विधि कक्षाओं में प्रवेश न मिलने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष जी, मेरठ कालेज में लगभग एक हजार पंजीकृत छात्रों को विधि संकाय में प्रवेश नहीं मिल पाया है। समस्त विधिपूर्ण तरीके छात्रों ने अपनाए परन्तु फिर भी सफलता प्राप्त न होने के कारण उन्होंने शान्तिपूर्वक भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया जो कि 16 अगस्त, 1977 से शुरू है।

मैं मेरठ से कल सबेरे लौटा था। अनेक छात्र तथा उनके संरक्षक मुझे मिले और अपना असन्तोष उत्तजनापूर्ण तरीकों से प्रकट किया।

शिक्षा मन्त्री ने विधान सभा के पिछले सत्र में सदन में आश्वासन दिया था कि प्रदेश का कोई भी छात्र प्रवेश से वंचित नहीं रहेगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए उत्तर इसी वक्त मिले क्योंकि नवम्बर के अन्दर इम्तहान होने हैं। इससे पूर्व जरूरी है कि सितम्बर के पहले सप्ताह में प्रवेश हो जायं।

ग्राम डेहरी, जनपद देवरिया के छात्र सुवास चन्द्र के नालेमें डूब ने सेमृत्य सम्बन्धी विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 अगस्त, 1977 को सुवास चन्द्र नामक बी0 ए0 का छात्र जो अपने ग्राम डेहरी, जनपद देवरिया से कटिहारी जा रहा था, रास्ते में कसिली नाले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को नाव के अभाव में पार करते हुए डूब कर मर गया। उक्त नाले पर नाव की व्यवस्था किए जाने हेतु क्षेत्रीय विधायक श्री मोहन सिंह ने 18 अगस्त को एक पत्र नायब तहसीलदार, सलेमपुर को लिखा था। वहां की ग्रामीण जनता, गांव प्रधानों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस सम्बन्ध में लिखित एवं मौखिक रूप से परगनाधिकारी, सलेमपुर से निवेदन किया था। इसके बावजूद भी परगनाधिकारी ने जनहित में नाव की व्यवस्था नहीं की जिसके फलस्वरूप यह दुर्घटना हुई।

आज सदन में मैं आपकी आज्ञा से माननीय राजस्व मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि परगनाधिकारी सलेमपुर को निलम्बित कर घटना की न्यायिक जांच करायें तथा मृत छात्र श्री सुवास चन्द्र के परिवार को मुआविजा दिलाएं।

देवरिया में बाढ़ का पानी बढ़ने लगा है। लेकिन प्रशासन ऐसा लगता है कि पंगु बन गया है। नावों की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री से चाहता हूं कि अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दें कि सभी जगह पर नावों की समुचित व्यवस्था हो जाय। ताकि इस तरह की कोई घटनाएं भविष्य में न होने पायें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजस्व मन्त्री जी वहां पर यह देखें कि वहां पर क्या नावों की कमी है।

श्री हरि केवल प्रसाद—

माननीय राजस्व मन्त्री यहां पर मौजूद नहीं हैं। हमारी गाथा कौन सुने ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहस नहीं हो सकती है।

दैनिक समाचार-पत्र "नवजीवन" तथा "स्वतन्त्र भारत" के प्रतिनिधियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न "स्वतन्त्र भारत" और "नवजीवन", दो पत्रों में प्रकाशित अपने बयान के सम्बन्ध में दिया है। उनका कथन यह है कि 29 अगस्त, 1977 को बजट पर दिए गए भाषण जो स्वतन्त्र भारत और नवजीवन में प्रकाशित हुए हैं वह सही नहीं है। उन्होंने अपने भाषण में यह नहीं कहा कि उनके जीवन को खतरा है लेकिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

मुझे एक निवेदन करना था, इस सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, निवेदन किस चीज का कर रहे हैं ?

मैंने कार्यवाही देखा। समाचार-पत्र नवजीवन और स्वतन्त्र भारत में यह भ्रमवश प्रकाशित हो गया प्रतीत होता है। श्री राम प्रसाद शास्त्री ने अपने भाषण में कहा था कि

[श्री अध्यक्ष–]
कि मेरे जीवन को खतरा है। दोनों शास्त्री थे तो भ्रमवश देवेन्द्र दत्त शास्त्री का नाम पत्रों में लिख दिया गया। इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है और पहले भी इस तरह के बहुत से प्रमाण हैं। मैं कहूंगा स्वतन्त्र भारत और नवजीवन के पत्र प्रतिनिधियों से कि वे इसका खण्डन करें और आइन्दा ध्यान रखें कि सही रिपोर्ट हो।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कल के भाषण की ओर. . .

श्री अध्यक्ष—

विवाद का प्रश्न नहीं है। अगर आपको सूचना देनी है तो लिखकर दे दीजिएगा।

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड में, भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित दो सदस्यों के कार्यकाल के समाप्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (4) तथा धारा 20 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड में भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित दो सदस्यों के कार्यकाल के समाप्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (4) तथा धारा 20 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1977–78 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसको मैंने देखा। देखने से ऐसा लगता है कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का प्रयास तो बड़े जोर से किया गया है लेकिन वास्तव में इस बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जिससे आम लोगों को कुछ सुविधा मिलती, उनको कुछ न्याय मिलता और उनकी आमदनी बढ़ती।

---

†30 अगस्त, 1977 की कार्यवाही से।

मान्यवर, जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने, सरकारी पक्ष के लोगों ने कई बार कहा कि 3 वर्षों में जब कि कांग्रेस दल के लोगों की सरकार चलती थी, कोई भी काम नहीं किया है और कोई भी काम नहीं हुआ। पहले तो इस बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन 30 वर्षों में अगर आप माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त और डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी को छोड़ दें जो इस समय नहीं हैं बाकी मुख्य मन्त्री लोग आज आपके दल में हैं चाहे वह माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा हों, चाहे माननीय चरण सिंह हों और चाहे टी० एन० सिंह हों और चाहे वे माननीय चन्द्र भानु गुप्त हों। ये चारों मुख्य मन्त्री पद सम्भाल चुके हैं। तो क्या मैं यह उम्मीद करूं कि आप उनके खिलाफ भी कोई आयोग बैठाकर इस बात की जांच करायेंगे कि उन्होंने इस प्रदेश में कोई काम किया है या नहीं। मान्यवर, यह तो एक बात थी जो उसका जवाब है।

अगर आप गौर करें, मैं सरकारी पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि इन 30 वर्षों में कितना काम हुआ, इसके बारे में एक मिसाल रायबरेली जिले की ही आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आपको जानकारी होगी कि वर्ष 1947 में प्राइमरी स्कूलों की संख्या कन्याओं और लड़कों को मिलाकर 237 थी और आज वह 862 है। तो यह तो एक बात हुई। यही नहीं इन 30 वर्षों में कितना काम हुआ, कितनी सड़कें बनी, कितनी नहरें बनी, कितने ट्यूबवेल्स बने और कितने अन्य काम हुए, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके जिलों में भी काम हुए हैं और उनसे आप परिचित ही हैं। इस देश और प्रदेश में यहीं के लोगों ने हवाई जहाज बनाए, जहां पर सुई तक नहीं बनती थी, सन् 1947 के पहले। मिग विमान के बनाने में भी यहां के लोगों ने हिस्सा लिया है और लड़ाई में उन्होंने कितना काम किया है यह आपसे छिपा नहीं है। फिर भी यह कहने में लोगों को संकोच नहीं होता और शर्म भी नहीं आती कि कोई काम ही नहीं हुआ है। यह बात सही है कि जो काम हुआ है उससे बहुत अधिक आपको करना है और वह आपकी जिम्मेदारी है। शिक्षा में इतना काम होने के बाद भी बहुत काम बाकी है जिसे आपको पूरा करना है। प्राइमरी स्कूलों की संख्या तो बहुत है लेकिन फिर भी एक हजार की आबादी वाले गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं हो पाए हैं।

मैं आशा करता था कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी अपने बजट भाषण में कुछ ऐसी घोषणा करेंगे कि जिससे एक हजार की आबादी वाले गांवों में प्राइमरी स्कूल हो जायेंगे लेकिन उसका जिक्र कहीं भी इस बजट भाषण में नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि वे इस का बजट में समावेश अवश्य करें भले ही उन्हें इस बजट को बढ़ाना पड़े। प्राइमरी स्कूल तो खुले हैं लेकिन गांव के छोटे-छोटे बच्चों को 5वीं, 6ठवीं, 7वीं व नाइन्थ-टेन्थ की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गांवों से 4–4 मील जाना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे देहातों में जूनियर हाई स्कूल की संख्या बढ़ाने के बारे में विचार करें और अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो आपके जो न्याय पंचायत केन्द्र हैं, वहां पर कम से कम एक-एक जूनियर हाई स्कूल अवश्य चलवा दें, जैसा कि हमारी कांग्रेस सरकार उसको करना चाहती थी। सम्भव है ऐसा होता भी। ऐसा करने से वहां के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इसी प्रकार से आपने हाई स्कूल्स के बारे में जिक्र किया, यह बड़ी अच्छी

[श्री मन्नू लाल द्विवेदी–]

बात है कि जिला परिषद् के जो जूनियर हाई स्कूल्स हैं उनको हाई स्कूलों में परिवर्तित करने का आपने विचार किया है। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो जरूर लाभ होगा।

हाई स्कूलों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि मैं डलमऊ क्षेत्र से चुनकर आता हूं। वहां पर कहा गया था कि जो वहां हाई स्कूल चल रहा है उसमें विज्ञान को मान्यता दे दी जायगी, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था। तो मैं समझता हूं कि इस समय के शिक्षा मन्त्री महोदय वहां पर विज्ञान को मान्यता दिला देंगे। मैं तो समझता था कि जुलाई में मान्यता मिल गयी होगी, लेकिन नहीं मिली। वहां पर विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाई है। उसी स्कूल को इण्टर कालेज में परिवर्तित करने के लिए कहा गया था, उसको मान्यता नहीं मिली है। वह तहसील हेडक्वार्टर है डलमऊ, वहां इण्टर कालेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय और मुख्य मन्त्री महोदय से कि वह इस ओर भी ध्यान देंगे।

सड़कों के बारे में भी आपने कहा है कि लिंक रोड बनायेंगे, यह अच्छा ही है। अगर आप इसमें कुछ और बढ़ोत्तरी कर सकें, पी0 डब्लू0डी में तो अच्छी बात है ।

एक बात जरूर है कि इस समय जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उससे आप सभी अवगत हैं कि यह बढ़ी क्यों। आप व्यापारियों को प्रोत्साहन देते चले जा रहे हैं। व्यापारी लोग न लिस्ट लगाते हैं, न मूल्य सूची लगाते हैं, क्योंकि आप उनको लिफ्ट देते जा रहे हैं। इसमें सरकार की पूंजीवादी मनोभावनाएं काम कर रही हैं जिसके कारण व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं इसकी अधिक चर्चा न करके कहूंगा कि इस तरफ भी आप ध्यान रखें और अगर आप केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे और जितने भी स्मगलर्स हैं, जितने इस तरह के कारोबार करने वाले हैं जिनसे प्रदेश और देश को क्षति पहुंचती है उनकी अच्छी देख-रेख की जायगी तो वह सबके लिए हितकर होगा। आपने कई बार कहा है, उन लोगों से निवेदन किया है, लेकिन वह आपके निवेदनों पर झुकने वाले नहीं हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि आप उनसे मिले हैं। आपने क्या काम चालू किया कि छोटे-छोटे दूकानदारों के सैम्पिल भरे गए तेल और अन्य सामान के। अरे, जहां से वे लाते हैं उन बड़े-बड़े व्यापारियों की पकड़-धकड़ की जाती तो उससे कुछ लाभ होता, लेकिन वह प्रयास आपने नहीं किया, क्योंकि बड़े व्यापारियों के साथ सरकारी साठ-गांठ है। आवश्यकता तो यह है कि आप उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ें, लेकिन उनको पकड़ना नहीं चाहते हैं, गरीब, छोटे-छोटे लोग जो 200–300 रुपए का सामान बेचते हैं उनको तंग करने के लिए इस प्रकार के अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि मन्त्री लोग रायबरेली जिले में बड़ा दौरा करते हैं। यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ कोई काम भी किया जाय। मुझे लगता है कि यह सारे दौरे केवल भत्ता बनाने के लिए हो रहे हैं। तो यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। इस सम्बन्ध में अगर जांच करवा सकें तो बड़ा अच्छा होगा। दौरे केवल भत्ता बनाने के लिए न किए जायं। वहां हफ्ते में दो–दो बार जाकर वह क्या काम करते हैं और उससे कौन सा लाभ होता है, इसकी जांच करवायें तो बहुत ही अच्छा होगा।

पुलिस की तो यह हालत है कि आपने पुलिस को इतने अधिकार दे रखे हैं कि उनकी चान्दी ही चान्दी है। उनके अधिकार बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी बड़े आदमी को पकड़ना, उसकी फोटो खींची और जहां चाहा किसी डकैती में रख दिया। आप कहते हैं कि पुलिस की दलाली कम हुई है। हमारे यहां तो जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनके ऊपर बन्दूक छीनने का आरोप है, डकैती डालने के आरोप हैं, एक अवधेश सिंह है डलमऊ का, जिस पर मुकदमा चल रहा है डकैती का और वह आपका बड़ा कार्यकर्ता बनता है। जगह-जगह पर शिकायत करता है, पुलिस से मिल कर थाने में दलाली करता है। अगर ऐसे लोगों को रोक न कर सके और पुलिस के अधिकार बढ़ते चले गए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं डलमऊ की बात बताता हूं कि वहां एक रात ही में 15/16 को 7 चोरियां हुयीं, जहां कि चौकी स्थित है। यह थानेदार का काम है। वह डकैतों और चोरों से मिलकर सारे काम करवाते हैं।

तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तहसील हेडक्वार्टर्स में एक रात में सात-सात घटनाएं हों और उन सातों घटनाओं को एक ही कागज पर लिख रखा हो जबकि घटनाएं अलग-अलग घरों में हुई हों तो अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो यह हम और आप दोनों के लिए बड़े शर्म की बात होगी।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मन्नू लाल द्विवेदी—

एक मिनट लूंगा। लखनऊ में आपके मन्त्री का शैडो मारा जाता है। जब शैडो की रक्षा आप नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? जनतन्त्र में आप लोगों की कितनी आस्था है मेरी समझ में नहीं आता। जिला परिषद् को अभी तीन साल हुए और आपने उनको भंग कर दिया। यह कहिए कि हम तानाशाही करना चाहते हैं, अत्याचार करना चाहते हैं तब तो बात समझ में आती है, लेकिन यह कहना कि उनका समय समाप्त हो गया सरासर सफेद झूठ बोलना है। चुनावों के दौरान आप कह रहे थे, गरीब को बहकाने के लिए कि हम शकर के दाम कम कर देंगे। आप किसी न्याय पंचायत को जांच करवा लें। वहां साल में तीन बार शकर बंटती है, होली, दिवाली और गुड़िया। इसके अलावा गांवों में शकर और बंटती ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री मन्नू लाल द्विवेदी—

बस एक मिनट। आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। आपके यहां एक ईमानदार मन्त्री स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार मिटाना चाहते थे। मैं जानता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी बड़े सज्जन और चरित्रवान हैं। लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह उस भ्रष्टाचार मिटाने वाले मन्त्री की मदद कर सकें और उन मन्त्री को इस्तीफा देना पड़ा। आप किसी भी अस्पताल में मन्त्री बन कर नहीं, रोगी बन कर चलें, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां कितना भ्रष्टाचार है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिए ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, किसी देश का बजट उसकी आर्थिक नीति का प्रतीक तो होता ही है लेकिन भिन्न-भिन्न देशों में परिस्थिति बजट के सम्बन्ध में अलग-अलग होती है । मैं एक सैद्धान्तिक चर्चा इस सिलसिले में करना चाहूंगा । हमारे देश का बजट बनाने की प्रणाली में एक बुनियादी कमी है । पश्चिमी देशों में मार्च ऐग्रीकल्चर इयर भी होता है । हमारे देश में ऐग्रीकल्चर इयर दूसरा है और फाइनेंशल इयर दूसरा है । 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तो बजट इयर है और 1 जुलाई से 30 जून तक एग्रीकल्चर इयर है । उसमें बुनियादी फर्क यों होता है कि जुलाई तक सारी फसलें हमारे देश में पक जाती हैं ईख और गेहूं की और सब के आंकड़े एकत्र हो जाते हैं । लेकिन मार्च में जो हमारा बजट बनता है उससे एक ब ा भारी नुकसान होता है । मेरे लायक दोस्त ने बताया था, वह मौका तो नहीं था कहने का, लेकिन जो रियासत हुसैन साहब ने कहा था वह एक बुनियादी बात है । हमारे देश के बजट में आधे से अधिक समय तो निकल जाता है बजट पास होने में और अधिकतर वोट-आन-एकाउन्ट पर सारा प्रशासन चलता है । सीधी सी बात है । मार्च में बजट पास होता है । जून, जुलाई तक जब बजट खर्च करने की जगह पहुंचता है तो बारिश का मौसम शुरू हो जाता है । तब निर्माण कार्य हो नहीं सकता । फिर बारिश के बाद अक्तूबर में निर्माण कार्य प्रारम्भ होता है और सारा रुपया 6 महीने में खर्च होता है जिसके कारण अधिकतर रुपया लैप्स हो जाता है और अगर लैप्स नहीं होता है तो उसका दुरुपयोग होता है । तो हमारे वित्त मन्त्री जी समाजवादी भी हैं और क्रान्तिकारी भी हैं, जो पुरानी पटरी पर चलने की बात नहीं करते वह इसको सोचें यहां के बजट और एग्रीकल्चर इयर में एक सामान्जस्य होना चाहिए ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश बहुत ब ा प्रदेश है । मैं निवेदन करूंगा कि नौकरशाही कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठा सकती । हमारे यहां पर बजट पुराना 3–4 साल का देखकर बनता है । बजट बनाते समय पिछले 3–4 साल का बजट देख कर उसमें कुछ इधर का उधर कर दिया जाता है । मान्यवर, हमारे यहां का बजट बनाते समय, उसमें कोई बुनियादी कदम नहीं उठाया गया, जिससे मैं कह सकता हूं कि जनता पार्टी ने कोई नया कदम नहीं उठाया है । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कहना चाहता हूं । बजट बनाने में नौकरशाही का निर्देशात्मक हाथ नहीं होना चाहिए । पश्चिम में कोई प्लान्ड बजट नहीं होता। वहां पर प्लानिंग बजट की जरूरत इसलिए नहीं है कि वहां पर कप ा, रोटी, मकान के साधन हैं । वहां पर परिवहन, स ्क आदि की सुविधाएं हैं । रूस में प्लानिंग शु ू करने का कारण यह था कि राष्ट्र के सामने सम्पदा की कमी थी, आर्थिक साधनों की कमी थी, वह बजट विकास का बजट था । माननीय पंडित नेहरू ने प्लानिंग पर प्रेरणा रूस से ली ।

मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी ने जब नया समाज बनाने के लिए निश्चय किया है, तो बजट के बारे में बुनियादी सोच-विचार किया जाय । मान्यवर, यह सारा बजट खर्च के हैं, उपलब्धियों के नहीं । हमें मालूम है कि कितना खर्च कार पर, कितना खर्च कुक्कुट पालन पर होगा । यह मालूम नहीं होगा कि उपलब्धियां उसकी क्या

हुई। उपलब्धियों के प्राप्त हुए बिना हम इस बात का मूल्यांकन नहीं कर सकते कि हमारा राष्ट्र कितना बढ़ा। मैं मान्यवर, माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसमें कोई बुनियादी परिवर्तन मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने और दिघे जी ने मिल कर यह बजट बनाया है। मान्यवर, हमारे बजट में सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें नौकरियों के लिए, मकान बनाने के लिए व्यवस्था की गयी है। मकान बनाने के सम्बन्ध में पिछली सरकार ने 54 लाख रुपए को व्यवस्था 1975–76 में की थी, मकान बनाने के लिए। 1976–77 में 50 लाख और 1977–78 में 54 लाख रुपए का बजट है जबकि मकान बनाने की कीमत बढ़ गयो है। मान्यवर, इसमें अधिक मिडिल क्लास के कर्मचारियों को मकान बनाने को जरूरत पड़तो है। इमरजेंसी में 40 लाख रुपए की मोटर के लिए व्यवस्था की गयी और हमारे प्रगतिशील बजट में भी मोटर गाड़ियों के लिए 40 लाख रुपए की व्यवस्था है। जबकि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गयी है। मकान बनाने के लिए, सर ढकने के लिए, वर्षा और धूप से बचने के लिए मकान जरूरी है और उसके लिए केवल 54 लाख रुपए को व्यवस्था का गई है और मोटर गाड़िया जो ऐश्वर्य का प्रतीक हैं उनके लिए 40 लाख रुपए रखे गए हैं। यह कौन सा समाजवाद है यह मुझे प्रतीत नहीं होता।

मान्यवर, करों के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे बजट में कोर्ट फीस बढ़ाई गई है। कोर्ट फीस वसूल की जाती है साधारण गांव के आदमी से। मैं वकील हूं, मैं जानता हूं कि जो कोर्ट फीस बढ़ी है, वह हमारी जेब से नहीं जाता है। वह उस गरीब किसान से जाता है, जो गांव से आता है। रिट की कोर्ट फीस सन् 1952 में 5 रुपए था और इस समय 100 रुपए है। नए बजट के बाद कितना होगा, यह तय होगा। तो यह प्रगति का मार्ग समाजवाद की तरफ है या किस तरफ है, मेरी समझ में नहीं आता है। हमारे वित्त मन्त्री जी बतायेंगे। इसके अलावा और भी फीस बढ़ाई गई है। 60 लाख रुपए इससे आमदनी होगी। स्टाम्प फीस बढ़ाई गयी है। जब यह बजट लागू होगा तो 3 महीने बचेंगे। यह 60 लाख रुपया कहां जायेगा? साहूकार मामूली कर्जदारों का गला घोंट कर यह रुपया वसूल करेंगे। हम एक प्रगतिशील समाज बनाने की तरफ हैं या हम पुरानी तरफ जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण अंश, जो हमारे वित्त मन्त्री जी ने भाषण दिया है, उसके अन्त में है। जिसमें सरकार इस बात का दावा करती है कि हमने नया कदम उठाया है। इसमें है कि "राज्य सरकार ने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि मोटर टायर और मोटर पार्ट्स, बेबी फूड, दुग्ध पाउडर आदि" इन पर बिक्रीकर घटाया है। मोटर टायर, ट्यूब पर घटाया है। लेकिन बुग्गी के टायर पर से सेल्स टैक्स घटाया नहीं गया है। होना यह चाहिए था कि बुग्गी टायर पर से सेल्स टैक्स घटाया जाता। मोटर टायर ट्यूब पर से घटाया गया है इसका व्यापार पर अच्छा असर पड़ेगा लेकिन अगर बुग्गी के टायर ट्यूब पर घटाया जाता तो छोटे लोगों को राहत होती। आगे है, 'पिकनिक सेट, थर्मस फ्लासक, क्राकरी, कटलरी आदि" इन पर सेल्स टैक्स घटाया गया है। मान्यवर, अल्यूमिनियम के बर्तन, सस्ती क्राकरी पर से सेल्स टैक्स हटाने की व्यवस्था नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ चन्द लोगों को फायदा होगा जो ऊंची अट्टालिकाओं में बैठकर ऐशो आराम करते हैं। मध्यम श्रेणी और गरीब लोगों को इससे क्या राहत होगी? आगे चलिए 'लोहे और इस्पात का फर्नीचर, बिजली के विशिष्ट उपकरण, सिनेमा

[श्री सोहन वीर सिह तोमर]

तथा फोटोग्राफिक कैमरे तथा अन्य उपकरण बाइनाक्यूलर,' आदि पर से सेल्स टैक्स घटाने की व्यवस्था है।

मान्यवर, बिजली के विशिष्ट उपकरणों की बात की गई है, लेकिन बल्ब पर नहीं घटाया गया, होल्डर पर नहीं घटाया गया। बिजली के विशिष्ट उपकरणों को साधारण एम0 एल0 ए0, गरीब आदमी, कमजोर वर्गों के लोग तो नहीं खरीद सकते। विशिष्ट उपकरणों को केवल थोड़े से लोग ही खरीद सकते हैं। कैमरे, टैलीस्कोप से गांव का आदमी क्या देखेगा। कहीं छत पर बैठकर जाने वाली लड़कियों को तो वह ताकेगा नहीं, इन चीजों पर टैक्स घटाया गया है लेकिन जो उसकी जरूरत की चीजें हैं, उन पर नहीं घटाया गया है। हमारे वित्त मन्त्री जी को विचार करना चाहिये था कि वह जो बजट बना रहे हैं, उसका असर कैसा पड़ेगा। हमारे साथी जो 19 महीने जेलों में रहकर आए हैं, वह एक नए समाज की रचना चाहते हैं। सरकार की नई नीति के प्रतिपादन का प्रतीक बजट होता है। मैं निवेदन करूंगा कि वित्त मन्त्री जी से कि वह इस बजट पर पुनः विचार करें और इस बजट में नए समाज की रचना दिखाई देनी चाहिए। यह बजट ऐसा है जैसा कि पहले की सरकारें बनाती रही हैं। इसलिए इसमें कोई नया कदम या नहीं योजना नजर नहीं आती है।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मन्त्री महोदय की बजट स्पीच सुनी और मैं ऐसा समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में वित्त मन्त्री महोदय ने जन कल्याणकारी बजट बनाया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कुछ इसमें जो अभाव खटके हैं, उनकी तरफ मैं शासन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने घोषणा की थी कि कानपुर मैट्रोपोलिटन सिटी होगा। मैंने पूरी बजट स्पीच सुनी लेकिन कानपुर मैट्रोपोलिटन सिटी होने का और कानपुर शहर के विकास के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। कानपुर नगर कैसा है? इसका वर्णन करने की मैं ज्यादा आवश्यकता नहीं समझता हूं लेकिन सदन को मैं बताना चाहता हूं कि कानपुर नगर का चित्र यदि प्रस्तुत करना है तो वहां की सड़कें टूटी हैं, वहां के सीवर जाम पड़े हैं और वहां कूड़े के ढेर लगे हैं। इतना गन्दा शहर मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर भारत में कोई दूसरा शहर नहीं होगा। मैं छावनी क्षेत्र से चुना गया हूं। उस बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। वहां एक जाजमऊ इलाका है। वह गंगा नदी के किनारे बसा है। वहां के निवासियों के लिए पिछले 30 वर्षों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी और मई-जून में वहां के निवासी एक-एक बूंद को तरस जाते हैं। यही स्थिति शांतिनगर, लाल बंगला तथा अन्य कई मुहल्लों की है। वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। लाल बंगला मध्यम वर्ग की बस्ती है। वहां एक ट्यूबवेल बना है जो पिछले 3 वर्षों से बना पड़ा है, लेकिन चालू नहीं है।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, बजट में कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की बात कही गयी है। अपराधों की दृष्टि से उत्तर भारत में कानपुर नगर में सबसे ज्यादा अपराध होते है। केवल पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति से वहां के अपराधों को

नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यदि इस बजट में व्यवस्था यह होती कि पुलिस कमिश्नर के साथ-साथ आवश्यकतानुसार कानपुर नगर में पुलिस फोर्स की वृद्धि की जाएगी, तो मैं समझता हूं कि अच्छा होता।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, कानपुर नगर में कुछ मिलें बीमार हैं। एक मिल जे0 के0 मैन्युफैक्चरर्स है जो कि पिछले 11 महीनों से बन्द है। इसलिए वहां के मजदूर अनशन कर चुके हैं और मुख्य मन्त्री जी को एक ज्ञापन भी दे चुके हैं। लेकिन सरकार की तरफ से उसको चलाने का कोई प्राविधान नहीं है। अच्छा होता यदि यह घोषणा की गई होती कि जे0 के0 मैन्युफैक्चरर्स मिल को सरकार द्वारा अधिग्रहीत करके चालू किया जाएगा। तो साढ़े तीन हजार मजदूर जो पिछले 12 महीनों से भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, शायद उनको कुछ राहत की सांस मिलती। एक बात का अभाव और मुझको खटका है। कानपुर में कलेक्टरगंज बस स्टेशन है। बड़ी संकरी जगह पर है। पिछली सरकार ने वहां से निकलने वाली नहर को पाटकर बस स्टेशन को नया रूप देने की योजना बनायी थी, किन्तु बाद में उसे स्थगित कर दिया था। मैं परिवहन मन्त्री से मिला। उन्होंने आश्वासन दिया कि उस बस स्टेशन को आधुनिक डिजाइन का बनाया जायगा। लेकिन इस बजट में उसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है। शायद परिवहन मन्त्री जी भूल गए या वह योजना स्थगित कर दी। मान्यवर, कानपुर नगर दूर-दूर तक फैला हुआ है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि कानपुर महानगर में केवल 80 सिटी बसें हैं जो सड़कों पर चलती हैं और कम बसें होने की वजह से लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। रिक्शे चलते हैं, लेकिन वह महंगे पड़ते हैं। अन्य कोई साधन नहीं है। मैं आशा करता था कि इस बजट में कुछ कहा जायगा कि वहां कम से कम 300 सिटी बसें चलायी जायेंगी।

हमारे मुख्य मन्त्री जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा था कि कानपुर के नगर और कानपुर देहात को एक कर दिया गया है लेकिन इससे वहां की विकास योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बजट में कानपुर नगर के विकास की योजना का कोई जिक्र नहीं है। कानपुर देहात बहुत अविकसित है। वहां एक डिग्री कालेज है और ट्यूबवेल्स नहीं है। मैं सोचता था कि इस बजट में घोषणा की जायगी कि कानपुर देहात को विशेष पिछड़ा इलाका घोषित किया जायगा लेकिन ऐसा कुछ इस बजट में दिखाई नहीं दिया। मैं आप के माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर देहात को विशेष पिछड़ा इलाका घोषित किया जाय और कानपुर मैट्रोपोलिटन सिटी के विकास की योजना इसमें शामिल की जाय जिससे कि वहां का शहर साफ सुथरा बने और वहां रहने वालों को विकास का लाभ मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन, आज 30 वर्षों के बाद एक नई पार्टी आयी है और मैं समझता हूं कि नई आशाएं लेकर आयी है। जनता ने कांग्रेस को अपना मत नहीं दिया और आज कांग्रेस विपक्षी दल के रूप में बैठी है। मैं समझता था कि जितने कार्य होंगे वह सचमुच में क्रान्तिकारी कार्य होंगे और इसी दृष्टि से बजट भी प्रस्तुत किया जायगा। मैं यह भी सोचता था कि कांग्रेस की बजट प्रस्तुत करने की जो पुरानी परिपाटी रही है, वह समाप्त होगी और बजाय

[श्री श्याम धर मिश्र]

किताबों के बन्डल मिलने के 'ऐट ए ग्लान्स' कोई पुस्तिका मिलेगी जिससे मालूम होगा कि क्या बजट है, कितना रेवेन्यू बजट है, कितना कैपिटल बजट है, कितना कैपिटल से न्यू इन्वेस्टमेन्ट है, कितनी कौन चीज है। 20 पृष्ठ की कोई पुस्तिका मिल जाती जिससे हम जैसे साधारण सदस्य भी जानकारी कर लेते। मैं एक साधारण सदस्य हूं। लेकिन मैंने इसको पढ़ने की चेष्टा की।

मैं यह कह सकता हूं कि इतना पढ़ने के बाद भी मेरा दिमाग बहुत साफ नहीं है और यदि मैं कह दूं तो मेरी बात सौ फीसदी सही होगी। मेरी धारणा यह है कि वित्त मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके तौर-तरीके में तब्दीली होनी चाहिए। उस दिन मैंने सवाल किया था 52 करोड़ के बारे में जो पांच महीने के लिए नई पूंजी लगाई जा रही है, उसके सम्बन्ध में जवाब दिया गया। मुझे बाद में पता लगा कि जवाब सही नहीं था। वे बेचारे टेक्नेक्लटीज में नहीं जा सके। तो बजट के तरीके में तब्दीली होनी चाहिए और यहां पर सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार बजट रखा गया है। आप पुस्तकें दे दें। आप सात-सात, दस-दस पुस्तकें जिलों में भेज दें। मेरा मतलब इससे नहीं है बल्कि इससे है कि सदन के सदस्यों के लिए मेहरबानी करके एक पुस्तिका बना दें जिससे ऐट ए ग्लान्स आपको, हमको मालूम हो सके कि बजट किस प्रकार का है। आप इस साल नहीं कर सके तो अगले साल जरूर करिए।

एक सदस्य—

अगले साल नहीं रहेंगे।

श्री श्याम धर मिश्र—

क्यों नहीं रहेंगे। जरूर रहेंगे। इन शब्दों के साथ श्रीमन्, से आशा करता हूं कि जो इनको मौका मिला है, ये सचमुच सेवा कर सकेंगे।

अभी माननीय तोमर जी ने बहुत सी बातें कहीं। यदि मैं केवल वही भाषा इस्तेमाल करूं, उससे कड़ी नहीं, तो ये लोग खड़े हो जायेंगे, बोलने न देने की कोशिश करेंगे, मेज थपथपाने लगेंगे। जब तोमर जी बोल रहे थे तो ये लोग कुछ नहीं बोले। तो मैं ऐसी बात नहीं करता कि कोई कटुतावश है लेकिन सचमुच आपको क्रान्तिकारी बजट लाना चाहिए। आज हमारे प्रदेश की हालत तीस सालों के बावजूद पतली है। आप हमसे न कहें कि कांग्रेस जिम्मेदार है। अब आप जिम्मेदार होंगे। इन तीस सालों में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। अब आपको कुछ करना है। आप नई आशा ले कर आए हैं, नई रौशनी ले कर आए हैं, आपने विश्वास दिया है, आपने देश में क्रान्ति करने का वचन दिया है तो अपने बजट में आमूल परिवर्तन करना चाहिए। कैसा परिवर्तन होगा, आप देखें?

पुस्तिका श्रीमन्, बंटी है जिसमें लिखा हुआ है कि हमारे गजेटेड आफिसर इस प्रदेश में 26,000 हैं और नान-गजेटेड लोग 5 लाख 23 हजार हैं। यदि मैं पुस्तिका का रिफरेन्स देने लगूं तो काफी समय लगेगा इसलिए जल्दी कर रहा हूं। अध्यापकों को छोड़कर मैं केवल मुलाजिमों की बात कह रहा हूं। 5 लाख 23 हजार में 26 हजार जोड़ दें तो करीब साढ़े पांच लाख होता है। हमारे जिले 58 हैं। अगर 58 में भाग कर दिया जाय तो एक

जिले में 8,000 की संख्या होगी मुलाजिमों की। अध्यापकों और चौकीदारों की संख्या और अधिक है। मास्टर करीब पांच लाख होंगे और कुछ चौकीदार भी होंगे। क्या यह जरूरी नहीं है कि इस बजट का आप इवेल्यूएशन करें? आपके एक जिले में 9–9 ए0 डी0 एम0 हो गए हैं। ए0 डी0 एम0 प्लानिंग को तो हम जानते थे लेकिन आज ए0 डी0एम0 (प्लानिंग), ए0डी0एम0 (सिटी), वित्त आदि इस तरह से आठ, दस होंगे। क्यों बढ़ा रहे हैं? आपको जिम्मेदारी लेनी होगी घटाने बढ़ाने की। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कांग्रेस की गलतियों को ठीक करने की। यह आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने गलती की है हम क्या करें। करना तो बहुत सरल है आप कुर्सी छोड़ दीजिए कांग्रेस आ जायगी। लेकिन जल्दी-जल्दी एक्सचेन्ज हम नहीं चाहते। आप रहे वहां, पूरी क्रान्ति करें तब जनता जानेगी कि आप क्रान्ति कर सकते हैं या नहीं। वैसे तीन महीने में जनता जान गई है कि कितनी क्रान्ति आप कर सकते हैं।

एक विषय मैंने देखा टैक्सेज के बारे में। इस पुस्तिका में, अर्थ मन्त्री के भाषण में और अखबारों में आया कि नए टैक्सेज नहीं लगेंगे। लेकिन जरा कथनी और करनी में फर्क देखिए। मदों को देखिए। प्रोहिबिशन नहीं ला रहे हैं और उसकी आमदनी बढ़ रही है। स्टाम्प और कोर्ट फीस बढ़ रही है। 3.1/8 एकड़ जोत पर रेवेन्यू रेमिशन हो रहा है। यानी लगान माफ हो रहा है यानी 16 करोड़ रुपए सालाना की माफी हो रही है लेकिन फिर भी जो 37 करोड़ पिछले साल लगान था, वह इस साल बढ़ कर 40 करोड़ हो जायगा। यह कौन सी कला है, कौन सा चमत्कार है, हम उसे समझना चाहते हैं कि 37 करोड़ में से 16 करोड़ निकल जाय और 21 करोड़ रह जाय लेकिन वह बढ़ कर 40 करोड़ बिना किसी टैक्स के हो जाय? बजट में आपने लिख दिया है कि इस प्रकार की जोतों पर भूमि विकास कर नहीं लगेगा लेकिन 3 1/8 एकड़ से ब ी जो जोतें हैं, उनकी मालगुजारी में जो असमानतायें और विषमताएं हो रही हैं, वे दूर की जायेंगी। अब होगा क्या? बहुत बड़े फार्म रहे नहीं, सीलिंग में आ चुके हैं। अब 3 1/8 एक यानी 5, 6 बीघे की जोतों को छोड़कर जो 7, 8, 9, 10 तथा 12 बीघे की जोतें हैं असमानता के नाम पर आप रेशनालाइजेशन करेंगे और इस तरह से 16 करो की आमदनी पैदा कर दी गयी। तो आप कैसे कहते हैं कि आप नए टैक्ससेज नहीं लगावेंगे। सीधी नाक पकड़ ए। कोर्ट फीस बढ़ायेंगे तो न्यायालय मंहगा होगा। सीधे कहिए कि टैक्सेज बढ़ा रहे हैं। आप कहते हैं टैक्सेज नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन अगर कार्य विपरीत होता है तो इसे आपको देखना होगा।

एक बात को देख कर मुझे बड़ा दुख हुआ। पता नहीं आप आज्ञा देंगे या नहीं। आप का विषय हो, हालांकि मेरी समझ से नहीं है। विधान मण्डल मैंने देखा। 20 वर्ष के बाद पहली बार मैं यहां दुबारा आया हूं। एक बार पहले दो वर्ष के लिए रह चुका हूं। जिस हालत में यहां की लायब्रेरी है रिसर्च विंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, उसे छो कर एक सदस्य के नाते मुझे यह निवेदन करना है कि बजट पर अगर किसी को भाषण करना है और उसे पिछले साल नेता सदन ने क्या भाषण किया था अथवा बजट पर क्या-क्या बातें कही गई थीं, उनको दो दिन में रिसर्च विंग नहीं दे सकता। आप लोक सभा में चले जाइए। एक नोटिस दें तो 12 घंटे के नोटिस पर आपको पूरी सामग्री मिल जायगी। पूरा रिसर्च विंग वहां बना हुआ है। 10, 12 आदमी लगे हुए है सदस्यों की सहायता के लिए और आपको प्वाइन्ट्स

[श्री श्याम धर मिश्र]

मिल जाते हैं फार-एण्ड-अगेंस्ट। यहां ऐसी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है और यहां लायब्रेरी की इस सुविधा को लक्जरी की बात कहते हैं। यही नहीं आप दारुलशफा की हालत देखिए। केन्द्र से तुलना न करके आप बिहार से तुलना कीजिए। इसे आपको सुधारना होगा अगर आपको क्रान्ति लाना है तो और क्रान्ति के इन कदमों में हम लोग आपके साथ पग मिला कर चलेंगे। आप कहेंगे कि पुरानी गलतियां हैं, लेकिन हम आपके साथ आपके पीछे रहेंगे। उस सबको आपको सुधारना है और आप उन सब बातों में सुधार लाइए।

हम ऐसे नहीं हैं कि जो अपनी गलतियां हैं, उनको स्वीकार न करें। गलतियां अगर हुई हैं तो हम स्वीकार करने को तैयार हैं। श्रीमन्, इस बजट में चेष्टा की गयी और माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य बराबर अखबारों में आए कि प्रदेश में दिवालियापन है। लेकिन जब बजट आया तो दिवालियापन नजर नहीं आया। इस साल 25 करोड़ रु0 का सरप्लस दिखाया गया। और जो डेफिसिट है वह केवल इसलिए है कि जो कन्टीन्यूवस रोक दिखाया गया है उसमें 80, 86 करोड़ बकाया था। वह करीब-करीब 50 करोड़ रहेगा। श्रीमन्, मैं जानता हूं जिस व्यक्ति की आमदनी 15 सौ रु0 सालाना है वैसे इस प्रान्त की 15 हजार करोड़ मान लीजिए, एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। जिस व्यक्ति की आमदनी 15 हजार हो उसके पास 50/100 रु0 का घाटा क्या है। मैं तो बधाई देता हूं अगर आप 100 करोड़ का डिफिसिट भी मिलता और उसमें योजनाओं का समावेश करते। आखिर उत्तर प्रदेश की परकैपिटा इनकम घटी हुई है। कुछ बढ़ोत्री हुई है, 268 रु0 पर-कैपिटा इनकम है। किन्तु कन्जरवेटिव पालिसी लेकर मत चलिए कि इनवेस्टमेंट कम हो। हमारे पास तीन वर्षों के 1975–76, 1976–77 और 1977–78 के आंकड़े हैं। हमारा प्लान साईज जो कि 428 था, 1975 में और 1976 में 541 करोड़ था वह 1977 में जाकर 675 करोड़ हो गया और पूंजीगत नई योजनाओं के लिए उसमें 52 करोड़ हुआ। तो क्या यह 675 करोड़ ऐसे ही हो जायगा? मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से अगर कर्जा लेकर भी ट्यूबवेल, सड़कों और बिजली के लिए निकाला जाय तो उससे आपका पर-कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पुरानी गलतियों को आप मत दोहराइए। लकीर के फकीर मत बनिए। मैं माननीय तोमर साहब की बात मानता हूं। अगर 100 दो सौ करोड़ ओवरड्राफ्ट लेना पड़े तो लें। कांग्रेस ने लिया है और उसके कान पकड़ भी गए लेकिन फिर भी मैं तो कहूंगा कि आप इसको लें।

मैं एक बात इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र, बनारस में और मिर्जापुर में बराबर सूखा पड़ता है उस सूखे के लिए करोड़ों रुपया सालाना खर्च हो जाता है। वहां एक योजना बनाई गई। ट्यूबवेल उस इलाके में 5, 7 सौ हैं लेकिन 4 महीने वह सूखे रहते हैं। वहां एक गंगा नहर योजना बनाई गई है हरिया तहसील से ज्ञानपुर पम्प कैनाल के नाम से वह शुरू हुई है। करीब 6 महीने पूर्व माननीय कमलापति त्रिपाठी ने उसका उद्घाटन किया। अभी एक मन्त्री जी वहां गए 18 अगस्त, 1977 को और उनका वक्तव्य आया यह जो काम शुरू हुआ है, यह स्वीकार नहीं है, यह काम आगे नहीं होना चाहिए। तो यह बात नहीं चल सकती है। आप कांटीन्यूड स्कीम को, उत्पादन योजना को बन्द न करें। सालाना तो आप एक करोड़ रु0 सूखे में खर्च करेंगे लेकिन उस 18 करोड़ की

योजना को जो 4 वर्ष के लिए है, यह कह कर कि यह ज्ञानपुर की है, ज्ञानपुर का इसमें नाम है क्योंकि दुर्भाग्य से वह मेरी कांस्टीट्यूएंसी है उसको बदल देना चाहते हैं। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह केवल ज्ञानपुर के लिए ही नहीं है, नाम ज्ञानपुर से जो ा हुआ है, वह बनारस, मिर्जापुर के उत्तरी हिस्से और पूरी भदोही तहसील को लाभ पहुंचाएगी।

एक सदस्य—

कौन मन्त्री गए थे ?

श्री श्यामधर मिश्र—

सिंचाई मन्त्री जी का वक्तव्य है। इन बातों पर आप ध्यान न दें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं इस बात का पहले से ही हामी हूं और आज भी आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं—लेनिन ने कहा था—'सही में क्रान्ति करना चाहते हो तो गांवों को बिजली दो। आज क्या हालत है ? आप 5 हजार गांवों को बिजली दे रहे हैं और 5 हजार बस्ती को दे रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम हुआ है, लेकिन क्रान्ति के रूप में कोई काम नहीं हुआ है, जैसा आप करने का दम भरते हैं। क्योंकि आप तो क्रान्ति के प्रतीक रूप में हैं। आप जो लंगड़ी क्रान्ति को लेकर चले हैं, तो वह ठीक नहीं है। यह तो आप कांग्रेस का काम बताते हैं। क्या आप भी वही करेंगे ?

कांग्रेस के प्रशासन में रूरल-मैन-पावर स्कीम के अन्तर्गत 33 जिलों में 23 हजार मील लम्बी सड़कें बनाई गई थीं। उसके अन्तर्गत पश्चिमी जिलों में भी कुछ काम हुआ था। इसके लिए करीब 22 करोड़ रुपया केन्द्र ने दिया है और करीब सन् 65, नहीं 70 तक यह योजना चली है। उसके बाद क्रैश प्रोग्राम हो गया है। यह सरकारों का एक तरीका हो गया है, जिसमें जनता पार्टी भी फंस गयी है कि एक काम शुरू करो, किन्तु पूरा न करो, और दूसरा काम शुरू कर दो, दूसरा काम अधूरा पड़ा रहने दो और तीसरा काम शुरू कर दो, इस तरह करते चले जाओ और बस जनता देखती रहे कि काम हो रहा है। उस स्कीम की सड़कें कहीं अधूरी पड़ी हैं और कहीं कच्ची पड़ी हैं। उनके बारे में कोई विभाग नहीं कहता है कि वह हमारी सड़कें हैं। सब कहते हैं कि यह केन्द्र की सड़कें हैं और इनके रख-रखाव की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग रोज उनके लिए चिट्ठी लिखते हैं—सेन्टर को, स्टेट को, मन्त्रियों को, लेकिन उनका कोई जवाब तक नहीं मिलता है। आप लिखें, तो भी पता नहीं कि उसका जवाब मिले या न मिले। तो आप उनको अवश्य लें, यही सड़कें और बिजली आपकी क्रान्ति की प्रतीक होंगे। अपने यहां पर कैपिटा बिजली 70 या 73 है, जबकि पूरे देश में 118 है। क्या यही हमारा अभिशाप है कि हम बड़े हैं, हमारा बड़ा साईज है। हमें तो यह दिखाना है कि साईज और क्षेत्रफल में बड़े हैं तो काम में भी बड़े होंगे, हम दिखायेंगे कि हम गरीबी आसानी से दूर कर सकते हैं। मैं हाल ही में महाराष्ट्र गया था। वहां मैंने देखा दुग्ध की योजना है। यहां भी है, योजना बनाने में तो ये सरकारें बड़ी होशियार हैं, किन्तु उनका कार्यान्वयन नहीं होता है। आप कार्यान्वयन करें तो हमें खुशी होगी और हम उसके लिए आपको बधाई भी देंगे। महाराष्ट्र में उन्होंने सचमुच गरीबों को काम देने के लिए योजना बनाई है। हर 20 गांव में, हर ब्लाक में एक चिलिंग सेन्टर है और प्रोसेसिंग सेन्टर है। चिलिंग सेन्टर में ट्रक्स खड़े हुए हैं। गांव में

[श्री श्यामधर मिश्र]

पशुपालकों के गाय—भैंस का इंश्योरेन्स कर दिया गया है। उन्होंने अपने यहां हर व्यक्ति की तीन साल में आमदनी दुगुनी कर दी। आप भी इस हेतु 58 में से 30 जिले छांट सकते हैं और उन पर 20/40 करोड़ रुपया लगा सकते हैं और बड़े तथा अनुभवी अधिकारियों को उस कार्य पर लगा सकते हैं। आप विकेन्द्रीकरण के पक्षपाती हैं, आप इसको कहते अघाते नहीं हैं। आप उपभोक्ता वस्तुओं के बड़े पक्षपाती हैं। लेकिन आप बजट को देखिए। आपने कहा कि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में जितना पिछले साल रुपया खर्च हुआ, उससे भी कम इस साल खर्च करने जा रहे हैं। वह नहीं बढ़ाया गया। यह कैसा है पक्ष ? कैसे मजबूती होगी ? अगर मैं गलत हूं तो सही कर देंगे। लेकिन मुझे जो मालूम हुआ है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक चीज मैं आपके सामने और कहना चाहता हूं। एक बात आप संभालें।

(व्यवधान)

खतरा हो तो सरकार ही हमें संभालेगी। लेकिन सुन लें जरा आप।

श्री अध्यक्ष—

कृपया मुझे आप सम्बोधित करें।

श्री श्यामधर मिश्र—

अन्तिम बात मैं कह रहा हूं। इस प्रदेश में जो कभी नहीं हुआ, वह एक गलत क्रान्तिकारी कदम उठा रहा है। और उधर आप चल रहें हैं। आप और हम दोनों सजग हों जायं। आर0एस0एस0 के लोग सरकारी जगहों पर जा कर कवायद, परेड रोज करने लगे हैं, प्रति दिन, हमारी टाउन एरिया में रोज कवायद, परेड हो रही है। यह क्या तरीका है ? आपके तत्वावधान में सब कुछ हो रहा है। यह कैसा राज्य है, कैसे चलेगा ? आर0एस0एस0 का राज्य है या जनता पार्टी का राज्य हैं, इसको आपको तय करना होगा। बहुत धन्यवाद आपको।

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

श्रीमन्, लेनिन ने कहा था कि क्रान्ति के नेता लीक छोड़ कर चलते हैं। श्रीमन्, मैं उप नेता विरोधी दल की बात सुन रहा था। बजट की दृष्टि शासन की नीतियां की दिग्दर्शक होती हैं। वर्तमान सरकार प्रगति के पहिये को किस तरफ ले जाय, इसकी ओर हमारे वित्त मन्त्री ने जो अवधारणा प्रस्तुत की है, उसका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन पिछले तीस वर्ष के भोग और लूट के जिम्मेदार आंसू पोंछने के नाम पर आंसू बहाने की एक नयी परम्परा चला रहे हैं। इसलिए घूम-घूम कर आर0एस0एस0 पर कीचड़ उछाला गया। यों मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं तथाकथित साम्प्रदायिकता से दूर रहने वाले मुसलमानों की मोहब्बत में आंसू बहाने वालों के जमाने में जनवरी, 1975 से मार्च तक जो दंगे हुए, उनकी तादाद 47 थी। 1976 में जब इस देश में अनुशासन पर्व लागू था उसमें जो दंगे हुए उनकी तादाद 100 पहुंच गयी।

(इस समय 1 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुए।)

यही नहीं। अप्रैल से जून, 1975 में कुल 57 दंगे हुए थे। लेकिन 1976 में बढ़ कर 105 पहुंच गए। मैं इसलिए आपकी सेवा में यह सब आंकड़े रखना चाहता हूं कि पिछली

मार्च, 1977 की अहिंसक जन-क्रान्ति के बाद इस देश में जो स्थिति बनी है, उस पर सम्यक् विचार करने के लिए यह जरूरी होगा कि जनता पार्टी, जिसने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कुछ वायदे किए थे, उनको हम कैसे पूरा करेंगे, बजट में इसका संकेत है। जनता पार्टी को लोकनायक, जयप्रकाश जी का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने भी 16 अगस्त को कहा था कि सत्ता में आना सम्पूर्ण क्रान्ति के आदर्श के विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार का मानस भी नहीं बनना चाहिए कि जो लोग सत्ता में अभी गए हैं, वह भ्रष्ट हो गए हैं। सत्ता में जाने पर जो अपने विचार हैं, जो आदेश हैं, उनका ईमानदारी से पालन करने का प्रयत्न होना चाहिए। यही लोकनायक, जयप्रकाश नारायण ने श्री किशन पटनायक की भेंट में अपने शब्द कहे थे। आज जो स्थिति बनी हैं उसमें 3–4 चीजों पर, खासकर विरोधी पक्ष की तरफ से हमला इस सरकार पर किया गया है। खासकर हरिजनों का दुखड़ा और बेलची काण्ड की चर्चा लगातार चल रही है। लेकिन बगल की जामा मस्जिद अभी भी जिनके घाव सूखे नहीं हैं और बुलेट के निशान मिटे नहीं हैं 3–4 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। ये उनको देखना पसन्द नहीं करते हैं। बजट की दृष्टि शासन की दृष्टि की प्रतीक है। 24 मार्च, 1977 से 30 जून, 1977 और 24 मार्च, 1976 से 30 जून, 1976 के 3 महीनों में जिस समय आप अनुशासन पर्व चला रहे थे, जिस समय आप देश को चला रहे थे, आपको यह पता नहीं था कि इसको कहां ले जायेंगे। अब मैं उन आंकड़ों को रखना चाहूंगा कि उस अनुशासन पर्व के समय हत्याओं की तादाद 6 थी और अब हत्याओं की तादाद एक रह गयी है। इसी तरह से गम्भीर चोटों के मामले .....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शान्ति रखें। अवरोध पैदा न करें।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मैं इसी तरह से गम्भीर चोटों के मामले 1976 के 3 महीनों में 63 थे। गम्भीर चोटों के मामले 3 महीने में जब हम लोग आए हैं, एक भी नहीं है। बलात्कार दुनिया में सबसे घिनौना काम है। औरत की इज्जत उतारना सबसे गिरा हुआ काम है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि शान्ति रखें किसी तरह का व्यवधान न पैदा करें।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

बलात्कार के मामले श्रीमन्, जो दुनिया के पूरे इतिहास में. . . .

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मुझे आपत्ति है।

श्री अधिष्ठाता—

शान्ति रखिए। बैठिए आप।

श्री चेतराम गंगवार—

अगर कोई आपत्ति की बात हो तो. . .

श्री अधिष्ठाता--

शान्ति तो रखिए। आप बैठिए मैं बोल रहा हूं। सदन में यदि कोई सदस्य मिथ्या भाषण दे रहा है तो मेरे लिए तय करने की बात है। आप किसी तरह की रुकावट न पैदा करें।

श्री चेतराम गंगवार--

यह रुकावट नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको बोलने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठिए (उप मन्त्री जी से) चलिए आप।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, आप सदन चलायेंगे या जबरदस्ती चलायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य को भाषण देने दीजिए।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, आप सदन की नियमावली और प्रक्रिया के अनुसार चलायें। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी और सदन की रक्षा करें। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो अभी आंकड़े दिए वे सत्य से परे हैं। यह प्रदेश जिसमें 57 जिले हैं उसके बारे में यदि हमारे मन्त्रि मण्डल के सदस्य सत्य से परे बात कहते हों तो यह सदन उसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

श्री अधिष्ठाता--

कोई माननीय सदस्य यदि आपत्तिजनक भाषण करे या अनपार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग करे तो उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि वे सही बात नहीं कह रहे हैं तो जब आपका अवसर आएगा तो आप उत्तर दे सकते हैं लेकिन इस प्रकार का अवरोध पैदा करना उचित नहीं है।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

24 मार्च, 1976 से 23 जून, 1976 और 24 मार्च, 1977 से 23 जून, 1977 के बीच की तुलना करने की कोशिश इसलिए की कि ताकि वह मालूम हो जाता कि आपात-स्थिति के खात्मे के पहले, विधान सभा के चुनाव के पूर्व इन्होंने तमाम असामाजिक तत्वों को इसलिए जेलों से बाहर निकाला था ताकि जनता पार्टी की सरकार इन असामाजिक तत्वों के कारण टूटे और इनके बीच में केयास पैदा हो।

मुलाजिमों की तादाद के बारे में श्रीमन्, यहां पर एक सवाल उठाया गया। माननीय मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव ने आज तक एक चपरासी भी नियुक्त नहीं किया होगा, ये हमें आपकी विरासत में मिले हैं, यह फौज है, इस फौज से हमें काम चलाना है, फौज को कितना कम करना है, कितना घटाना है, यह हमें तय करना है। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को मानकर चलेंगे क्योंकि जनता पार्टी ने एक वायदा किया था कि हम विकेन्द्रीयकरण की व्यवस्था के साथ-साथ एक नया एकोनोमिक चार्टर भी जनता के सामने पेश करेंगे जिसके तहत 84 प्रतिशत गांवों में रहने वाले लोगों की गलियों को संवारने के लिए, उनकी आर्थिक

स्थिति को दुरुस्त करने के लिये न कि यहां की दारुलशफा की सड़क बनाने के लिए प्रबन्ध होगा। यह फर्क है जनता पार्टी के और आपके सोचने में क्योंकि आप सोचेंगे अपने कुछ लाख लोगों की दशा सुधरे। आपने इस 30 वर्ष की अवधि में कमल की खेती की, कुछ लाख की बेहतरी हुई और बाकी कीचड़। जितना गहरा कीचड़ होगा उतना ही खूबसूरत कमल निकलेगा। आप लोगों ने कुछ लोगों की बेहतरी के लिए कुछ सड़कें बना दीं जो उनके गांवों तक जाने लगी लेकिन हम चाहेंगे कि गांवों के आदमियों, जिनकी गलियों में 2 1/2 –3 फुट पानी बहता है, के लिए सड़कें बन जायं।

हमारे प्रदेश में आठ पर्वतीय जिले हैं जिनमें 7,171 गांव हैं। पिछले 30 वर्षों में केवल 2,160 गांवों में पीने का पानी मिल पाया है। 5,000 से ज्यादा गांवों में 3–3 पहाड़ के मुख्य मन्त्रियों के रहने के बावजूद भी वहां की जनता को पीने का पानी नहीं मिल पाया है। हमने निर्णय किया है कि. . . .

(शर्म–शर्म के नारे)

आप किसके लिए शर्म–शर्म करते हैं, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को या माननीय पन्त जी को। हमने निर्णय किया है कि 3 वर्ष में हम 1,200 गांवों के रहने वालों के लिए पीने का पानी मुहइया करेंगे। यही नहीं बल्कि लघु उद्योगों के विकास के लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। हम चाहेंगे कि पहाड़ में रहने वालों को, आपने जिनको होटल की बेरागिरी करने के लिए मजबूर किया, उसकी आर्थिक सम्पन्नता बढ़ाने के लिए और आर्थिक समानता लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि उसकी जेब में कुछ पहुंचे, ऐसे कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय प्रदान किया। मान्यवर, यह सच है कि हमारा यह बजट जो माननीय दिघे जी ने पेश किया है, उनके हिसाब से और माननीय मन्त्रिगण जो बोलते हैं, उनके जो सार्वजनिक भाषण हैं उनके हिसाब से उनका कहना यह है और हमारी सरकार का कहना यह है कि अभी तक उन्होंने सिर्फ एक गड्ढे को पाटने की कोशिश की है। पुरानी सरकार ने जो गड्ढा बना दिया था . . .

एक सदस्य––

"खाई" कहिए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

"खाई" शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि खाई पर महल नहीं बन सकता और जो खाई पर महल बनाने की कोशिश करता है तो वह महल ढह जाता है। हां, तो गड्ढे को पाटने की कोशिश की गयी है वित्त मन्त्री जी द्वारा। अब देखना यह है कि उस गड्ढे को कच्ची मिट्टी से भरा जाय या सीमेंट से पक्का कराकर भरा जाय ताकि उस पर जो भवन बने वह बैठ न जाय। मैं समझता हूं, मुझे विश्वास है उन आंकड़ों से जो वित्त मन्त्री जी ने पेश किए हैं कि शायद उन्होंने कच्ची मिट्टी से उस गड्ढे को भरने की कोशिश नहीं की है, पक्का करने की कोशिश की है। मैं निश्चित रूप से उनका आभारी हूं।

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

दो–चार बहुत अच्छी बातों का जिक्र हुआ। अभिभाषण में उसको मैंने आद्योपान्त सुना। खासतौर से उन्होंने मंगलदेव विशारद कमेटी की सिफारिश का जिक्र किया है जिसमें पृष्ठ पर समिति ने अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन के जिन बड़े मामलों की सूची अपनी रिपोर्ट में दी थी (यह अभिभाषण में कहा गया है) उन सब पर कार्यवाहियों की गति को तीव्र किया जा रहा है ताकि उनसे मिलने वाली भूमि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में बांटी जा सके। यदि यह प्रैक्टिकल शेप में आता है तो मैं इसको बड़ा ऐतिहासिक कदम मानूंगा। लेकिन यह चीज लिखत-पढ़त में तो कई बार आ चुकी है, मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट का नाम कई बार आया, लेकिन जिस तरह से वह जैसी की तैसी, ज्यों की त्यों पड़ी है, यह माननीय सदस्य इस पक्ष के और हमारे साथी उस पक्ष के भी जानते हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि दिघे जी और मुख्य मन्त्री जी से खास तौर से कि श्रीमन्, भगवान के वास्ते, खुदा के वास्ते चाहे ये मोटे-मोटे अभिभाषण जो दिए जाते हैं उनमें केवल मंगलदेव विशारद समिति का नाम न लिया जाय, बल्कि जो उसकी सिफारिशें हैं, उनके निर्णय को लागू करने की कोशिश करें और यें जो दो–दो हजार, चार-चार हजार बीघे के फार्म्स हैं उनको खत्म कर दें और गरीब लोगों और खेतिहर मजदूरों को 10–10 बीघा जमीन दे दें तो उससे समाजवाद का नारा सार्थक हो सकता है वरना यह समाजवाद की बात केवल पुस्तिका तक सीमित रहने वाली बात ही रहेगी।

दूसरे आपने पृष्ठ आठ पर चौथें हेडिंग में दिया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, गांवों में पेय जल की समस्या को दूर करने में वर्तमान सरकार कोई कोर कसर नहीं रखेंगी, अतः शासन ने निर्णय लिया है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 वर्ष के अन्दर सुदूर स्थित ग्रामीण अंचलों में जहां पर पेय जल-व्यवस्था नहीं है, विशेषतः हरिजन तथा निर्बल जन समुदाय बस्तियों में पेय जल की व्यवस्था की जाय जिससे कि पीने का पानी सुगमता से उपलब्ध हो जाय। तो मेरा कहना यह है कि पश्चिमी जिलों में नहीं तो पूर्वी जिलों के बहुत से माननीय सदस्यगण आते हैं, आज भी बहुत से गांव हैं, ग्रामीण अंचल में तालाब का पानी आज इनसान भी पीता है और जानवर भी उसी तालाब के पानी को पीता है। फर्क केवल इतना है कि इन्सान तो गागर में पानी लाकर कपड़े से छान कर पीता है और जानवर तालाब में ही स्वच्छन्दता के साथ पीता है। मैं इसके लिए बहुत आभारी रहूंगा कि अगर आप इस योजना को पुस्तिका तक ही सीमित न रखें और निश्चित रूप से पेय जल की समस्या का निराकरण करें।

तीसरी समस्या आपने कही है ग्रामीण जनता का आर्थिक स्तर उठाने तथा ग्रामीण जीवन को आकर्षित बनाने में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं भी इस बात को मानता हूं और आपने ग्रामीण अंचलों का विकास करने के लिए लिंक रोड्स का जिक्र किया है। यह बहुत अच्छी बात होगी। मैं आपकी शक्ति पर अविश्वास नहीं करता लेकिन सच बात यह है, जैसे और भी माननीय सदस्यों ने कहा कि जो अधूरी सड़कें पड़ी हैं जिनका सम्बन्ध किसी नेशनल हाई-वे या जी0टी0 रोड से है, उनको आप पूरी करें। उदाहरण के लिए एक सड़क है बाबरपुर से दिबियापुर। गुस्ताखी माफ हो, वह सड़क ऐसी है कि यदि हमारी कोई मां, बहन जिसके पेट में बच्चा हो उस सड़क से चली जाय तो कोई भी दुर्घटना

हो सकती है। बड़े-बड़े पत्थर उस सड़क पर पड़े हैं। हमारे माननीय सत्यदेव जी त्रिपाठी भी उसी सड़क के निवासी हैं। इसी प्रकार माननीय वित्त मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि भीखेपुर से जुआ, अटसू से नेवाड़ी कलां, बाबरपुर से सिकरोड़ी ये सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका बनना अत्यन्त आवश्यक है।

आपने हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की बात कही है। हरिजन बस्तियों के नाम पर बहुत ढिंढोरा अभी तक पीटा गया। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि जिस गांव में बिजली गई है उसमें चार घरों के बीच में एक लट्टू टांग दिया गया। तो हमारे ही भाई, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, यह कहने लगते हैं कि उनके घर में तो लट्टू चमक रहा है और हमारे घर में दिया टिमटिमा रहा है। मैं उन पर चार्ज नहीं लगाता हूं लेकिन जो भावना होती है वह स्वाभाविक है। उस लट्टू को तोड़ देते हैं। खम्भे जमीन पर पड़े हैं और कागज पर हरिजन बस्तियां जगमगा रही हैं। यदि कोई विदेशी इन चीजों को पढ़े तो हरिजन बस्तियों के बारे में वह यही कल्पना करेगा कि वह रौशनी से जगमगा रही हैं।

इसके अलावा आपने हरिजनों को दुधारू जानवर देने की स्कीम बनाई है। यह बहुत अच्छी बात है। हमारे मुख्य मन्त्री जी के व्यक्तित्व में लोहिया जी के व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक दिखती है। और आशा है कि वह अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही चलेंगे जिससे डाक्टर लोहिया का सपना पूरा हो सके।

माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक डेपुटेशन मिला था और उसने कहा था कि 1973-74 में शैड्यूल्ड कास्ट के 15 डी0 एम0 थे। अब आपने उन्हें घटा कर 5 कर दिए।

(शेम–शेम की आवाजें)

यह मैं इसलिए नहीं कहता कि हमारे उधर के साथी शेम–शेम कहें। अब आपने उसमें से एक और साफ कर दिया। इसी तरह से 1973–74 में एस0 पी0 12 थे। उनको घटा कर आपने 3 या 4 कर दिए। रेन्ज डी0आई0जी0 11 में से शैड्यूल्ड कास्ट के निल हैं। इसी तरह आपको जानकर दुख होगा कि 30 डी0आई0जी0 में भी शैड्यूल्ड कास्ट का नम्बर निल है। सिटी मैजिस्ट्रेट 18 में से शैड्यूल्ड कास्ट निल हैं। ए0डी0एम0 16 में से शैड्यूल्ड का कुल एक है। जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, क्लास 1 में ढाई परसेंट, क्लास 2 में 4 परसेंट, क्लास 3 में 10 परसेंट और क्लास 4 में, जिसमें स्वीपर भी आते हैं, 13 परसेंट पूरा हुआ है। तो श्रीमन्, यह हरिजन उत्पीड़न जो आए दिन अखबारों में देखने को मिलता रहता है, आप यदि इसको समाप्त करना चाहते हैं और आप यदि यह चाहते हैं कि गोरखपुर में रामनगर की घटना न हो और बाराबंकी की घटना न हो, मैकू हरिजन की जो हत्या की गयी, ऐसी घटना न हो, या मेरठ जिले जैसी घटनाएं न हों, तो आपको यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिस-जिस जिले में इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय और उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जाय। श्रीमन्, आपने अभी तक कितने अधिकारियों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की है या उनके खिलाफ कार्यवाही की है? इसके लिए यह भी जरूरी है कि इस वर्ग के अधिक से अधिक अधिकारियों को जिलाधीश, पुलिस कप्तान, एस0ओज0, सी0ओज0, सिटी मैजिस्ट्रेट, डी0 आई0जीज0 आदि पदों पर पोस्ट किए जायें। श्रीमन, 'वक्त को जिसने नहीं

[श्री गौरीशंकर एडवोकेट]

समझा, उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है, चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है, इन शब्दों के साथ यदि आपने बजट अभिभाषण के अनुरूप कार्य न किया और कुछ रचनात्मक कदम हरिजन समाज के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए न उठाए तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ समर्थन करूंगा। "न पूछो क्या गुजरती है दिले खुद्दार पर अक्सर, जब किसी नामेहरबां को मेहरबां कहना ही पड़ता है। हमारे सामने जिसने बहारे अन्जुमन लूटी, उसी को अब फरोगे अन्जुमन कहना ही पड़ता है। ये दुनियां है यहां हर काम होता है करीने से, यहां पत्थर को भी लालेगिरां कहना ही पड़ता है।"

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने इस सामान्य चर्चा पर मुझे अवसर दिया। वित्त मन्त्री जी ने भी जो बजट प्रस्तुत किया है उस बजट में कोई नई क्रान्तिकारी बात नहीं दिखाई पड़ती है। मैं चाहता था कि कुछ इस प्रकार का परिवर्तन क्रान्तिकारी ढंग का आता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन वही एक पुरानी परिपाटी के अनुसार इस बजट को रखा गया। बजट के प्रथम पृष्ठ पर हरिजन की बात और निर्बल वर्ग की बात कही गयी है। मैं हरिजनों की बात सबसे पहले उठाता हूं। कांग्रेस शासन में इस प्रदेश में 15 हरिजन जिलाधिकारी और 12 पुलिस अधीक्षक थे। कल इस बात का जिक्र उठाया गया तो 5 और 6 के आंकड़े आए। इस शासन के 2–3 महीनों के बीच में हरिजनों के साथ जो हो रहा है, वह देखिए कि अभी हाल ही में सी0पी0एम0टी0 का इम्तहान हुआ जिसमें 140 हरिजनों का कोटा था, 8 छात्रों को सी0पी0एम0टी0 में लिया गया। यह सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं। अभी अध्यापकों को पदोन्नत करके प्रधानाध्यापक बनाया गया है। मान्यवर, कथनी और करनी में अन्तर है। उसमें आरक्षण रखा ही नहीं गया। इसके अलावा हरिजनों के साथ जो भेदभाव रखा गया है वह यह है कि हरिजन अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। जिसने गोली चलवाई मुजफ्फरनगर के डी0एम0 जो आज भी आर0एफ0सी0 हैं, उनको इसलिए सस्पेंड नहीं किया गया कि वे मुख्य मन्त्री जी की जाति के हैं। लेकिन उनको आज तक टच नहीं किया गया है। दूसरी बात मैं एक घटना जो इस शासन में अभी हाल ही में घटित हुई है उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एसिस्टेंट लीगल एडवाइजर को कलकत्ते में, जो एक हरिजन अधिकारी हैं, उसको जबर्दस्ती पेशाब पीने के लिए बाध्य किया गया। इससे बड़ी बात जनता सरकार के लिए शर्म की और क्या हो सकती है। आप देखें, हरिजनों पर रोज अत्याचार हो रहे हैं। मैं एक जिले आगरा की बात कहना चाहता हूं। वहां पर गांव ऊंचा और समसाबाद में जो जमीन हरिजनों को दी गयी थी वह छीन ली गयी है और हरिजनों को पीटा गया है। मुहम्दाबाद व बलिया गांव टंडला में भी उसकी जमीनें छीन ली गई हैं।

मान्यवर, बांदा, गोरखपुर और न जाने कितनी जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। हमारे पश्चिमी जिलों में वोट न देने पर जो अत्याचारों का सिलसिला चल रहा है वह अभी खत्म नहीं हुआ है। कहा यह जाता है कि हम हरिजनों की बातें करते हैं। यह एक राजनैतिक षडयन्त्र कहा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप विज्ञापन क्यों जारी किए जा रहे हैं कि हरिजनों को यह देंगे वह देंगें और उनकी सुरक्षा होगी। तो अगर अत्याचार

नहीं हो रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत है। यह जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हरिजन अफसरों और हरिजन कर्मचारियों को दिन-प्रति-दिन तंग किया जा रहा है और कितने ही लोगों को निलम्बित किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों की सुरक्षा, जनता सरकार नहीं दे पाई है। अभी उप गृह मन्त्री जी एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे थे, ला-ऐंड-आर्डर के सम्बन्ध में। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उसको सुनकर। ला-ऐंड-आर्डर की स्थिति प्रदेश में बड़ी वीभत्स है। प्रति-दिन नई-नई घटनाएं हो रही हैं। अभी एक राज्य मन्त्री के शैडो को गोली मार दी गयी। आप देखिए जब मन्त्री के शैडो को मारा जा सकता है तो और लोगों की सुरक्षा क्या होगी यह मेरी समझ में नहीं आता है। अभी हाल ही में मथुरा में डे-लाइट में एक एडवोकेट की हत्या कर दी गयी। मथुरा में गांव बेमनी में दिन दहाड़े 30 हजार की डकैती पड़ी जिसमें एक महिला मरणासन्न अवस्था में अस्पताल गयी और 6 व्यक्ति घायल हो गए। आगरे पिनाहर में ही 3 हत्याएं हुयीं परन्तु पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। इस प्रकार की स्थिति है। इसी तरह से एटा जिले में एक नौजवान वकील को गोली मारी गयी, डे-लाइट में। कानपुर के सम्बन्ध में "नेशनल हेराल्ड" में निकला है। 'डेरिंग रोड राबरी' 29 तारीख को 30 हजार रुपए कानपुर में डकैती में लिए गए। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने आंकड़ों में कहा कि एक भी हत्या 3 महीनों में नहीं हुई। अभी 29 तारीख को कानपुर में 29 हजार रुपए छीन लिए गए। इसके अतिरिक्त चलती बसों में पिस्तौल की नोक पर, बसों को रोक कर यात्रियों को लूटा जा रहा है। अभी हाल ही में अछनेरा में ट्रेन को रोक कर लूट की गयी। एहतमादपुर में बस को लूट लिया गया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा में दिन दहाड़े 2 सिनेमाओं के काउन्टर से रुपया पिस्तौल की नोक पर छीन लिया गया और इसके बाद भी शासन के गृह उप मन्त्री कहें, और लफ्फाजी के आंकड़े दें, गुमराह होने की बात नहीं है। ला-ऐंड-आर्डर की पोजीशन इतनी खराब है कि जब मन्त्री के शैडो को गोलीमारी जा सकती है तो आम जनता कोई सुरक्षा महसूस करे, ऐसा सम्भव नहीं है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। मैं उन नेताओं की बात करता हूं कि जिस समय लोक सभा में जनता पार्टी का बहुमत आ गया और श्री मोरार जी देसाई प्रधान मन्त्री बने तो उन्होंने सर्वप्रथम भाषण में कहा कि जिन विधान सभाओं में चाहे किसी दल का बहुमत हो यदि विधान सभा का जीवन बाकी है तो जबर्दस्ती भंग नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की विधान सभा भंग हुई। अभी हाल में जब दो वर्ष जिला परिषद् के बाकी थे तो उनको जबर्दस्ती भंग कर दिया गया। लोकतन्त्र की दोहाई देने वाले लोग इस तरह से चुनी हुई इकाइयों को भंग करने की जो प्रवृत्ति है उससे लगता है कि कथनी और करनी में कितना फर्क है। ताल-मेंल की एक स्थिति को मैं बतलाना चाहता हूं। दिनांक 18 अगस्त, 1977 को प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी ने एलान किया कि किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं होगा। लेकिन अभी हाल में हेल्थ विभाग में 500 कर्मचारियों के ट्रान्सफर कर दिए गए हैं और सिंचाई विभाग में भी किए गए हैं। ताज्जुब है कि मुख्य मन्त्री ने एलान कर दिया लेकिन फिर भी मन्त्री लोग ट्रान्सफर कर रहे हैं। बजट आने के पूर्व प्रत्येक जिले में जाकर कहा गया कि हम कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। तो बजट की भावना को उस सिक्रेसी को आऊट प्रत्येक मन्त्री ने किया और उसके बावजूद एक बात भी नहीं मानते कि बजट का संकेत दे दिया था।

[श्री गुलाब सेहरा]

प्रत्येक मन्त्री आगरा में गए और कहा कि कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। अभी अलाभकर जोतों की बात कही गयी और 16 करोड़ घाटा बतलाया और कृषि से 40 करोड़ आय का होना तो यह कहना कि टैक्स नहीं लगायेंगे और जनता को भ्रम के तरीके बताने से कोई लाभ नहीं होने वाला है।

मान्यवर, अब मैं मंहगाई की बात करूंगा। अभी मैंने जब आंकड़े देखा तो मुद्रा स्फीति की बात लिया तो 331.8 मार्च, 1977 में इन्होंने माना। लेकिन आंकड़ों को 2 वर्ष के लिए ले आए कि बढ़ता चला आया है। मेरा कहना है कि मनी के इन्फलेशन को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए। मंहगाई बढ़ती जा रही है। वस्तुएं ठीक मूल्य पर नहीं मिल रही हैं। उसके लिए 4–6 महीने का संकेत दिया जा रहा है। लेकिन जब मैं देखता हूं तो जमाखोर, तस्कर अपनी मनमानी कर रहे हैं। आगरा में एक जबर-दस्त बात हुई कि विजीटेबुल आयल के नाम पर इम्पोर्टेड आयल, बेच दिया गया और जब गोदामों को सील किया गया तो केन्द्र के मन्त्री ने टेलीफोन करके उन तस्करों को छुड़वा दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन तस्करों ने चन्दा दिया है उनके खिलाफ यह जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी। इसलिए यह बजट बड़ा हाच-पाच है और लफ्फाजी की इस में बात की है।

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आपकी औद्योगिक नीति कोई स्पष्ट नहीं है। लघु उद्योगों की बात करते हैं। उसमें पता नहीं लगता कि रा-मैटेरियल के लिए क्या व्यवस्था करेंगे। केवल यह कहा गया कि ग्रामीण लघु उद्योगों का विकास करेंगे। तो कोआपरेटिव सेक्टर में कुछ काम करेंगे ज्वाइन्ट सेक्टर में काम करेंगे इसका कुछ पता नहीं है।

श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। बजट पर तरह-तरह के विचार आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहां तुलसी दास जी की चौपाई चरितार्थ हो रही है कि 'जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी।" जो पूंजीपति लोग हैं उनको तो यह पूंजीपतियों का बजट लग रहा है और हम जो गरीब लोग हैं हम को यह लग रहा है कि यह गरीबों के लिए हैं। यह तो मैं भी कहूंगा कि यह क्रान्तिकारी बजट नहीं है लेकिन एक ऐसा बजट है जो क्रान्ति की और उन्मुख है। यह बात अलग है कि कांग्रेसी भाइयों को यह नजर न आता हो क्योंकि उनके 30 वर्षों के कृत्यों की चरबी उनकी आंखों पर चढ़ी हुई है। वह वास्तविकता नहीं समझ पायेंगे क्योंकि अभी उन पर 30 वर्ष का पाप सवार है। अब अपने पाप को हमारे सिर मढ़ रहे हैं जबकि हमारी सरकार को बने हुए केवल दो महीने हुए हैं। हमारे मत्थे अपनी करनी को मढ़ रहे हैं और हमारे रियासत भाई भी साझेदार बन रहे हैं। तो उनको धन्यवाद है। आप वास्तविकता को देखें। यह क्रान्तिकारी बजट नहीं है लेकिन क्रान्ति की ओर उन्मुख है, उसकी ओर संकेत करता है।

कांग्रेस वालों का बजट नगरोन्मुख होता था। नगरों के सौंदर्यीकरण के लिए होता था। यही देखें अरबों रुपया नगर के सौंदर्यीकरण पर खर्च किया। लेकिन हमारा बजट नगरोन्मुखी न होकर, ग्रामोन्मुखी है, गरीबों के लिए है। गांधी जी कहते थे कि भारत

गांवों का देश है, गरीबों का देश है। गांवों की उन्नति होगी तो देश की भी उन्नति होगी। बजट ग्रामों की उन्नति के लिए बनना चाहिए, गरीबों की उन्नति के लिए बनना चाहिए। हमने इसमें संकल्प लिया है। अभी दो महीने का समय हुआ है जोकि बहुत स्वल्प समय है। आप थोड़े समय में और क्या चाहते हैं और उस हालत में जब कि आप अंग्रेजों की तरह जाते जाते सारा खजाना खा गए। हमको तो उसको भी देखना है। गरीबों पर जो कर भार लगा था वह समाप्त हुआ। 15 रुपया का बिजली में सरचार्ज था वह घटा कर 12 रु0 किया, खाद में भी कीमतें घटाई। पांच बीघे पर मालगुजारी माफ हो चुकी थी लेकिन हमारे कांग्रेसी भाइयों ने फिर से लगा दिया। उनको तो हया आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपने बिजली का टैक्स बढ़ाया, खाद को मंहगा कर दिया, मालगुजारी को 15, 20 गुना बढ़ा दिया। अब क्या किया जाय। जब जनता पार्टी ने अधिकार लिया तो होश में आए। चुनाव के पहले आधा माफ किया और उसके बाद कहा सब वापस। यह करनी है। कहां तक बताऊं। गिनाते-गिनाते दिन बीत जायेंगे तब भी पूरा नहीं होगा। सारे देश को उनकी करनी का फल भुगतना पड़ा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हमारा बजट है यह तो अभी अल्पकाल में बनाया गया है। क्रान्तिकारी नहीं लेकिन क्रान्ति की तरफ एक कदम जरूर है और गांधी जी के स्वप्न को साकार करने की तरफ हमारा बजट उन्मुख है. . .

श्री श्यामधर मिश्र––

क्रान्ति के दरवाजे पर है।

श्री राम प्यारे––

श्यामधर जी आप को होश में लाने वाला बजट है। अब आप मजदूरों पर गोली नहीं चला पायेंगे। यह बजट हमारा है। आप समझ लें इस बात को। तो मेरा यह निवेदन है कि जो हमारी कमजोरियां हैं अब उन पर ध्यान देना है। मैं यह समझता हूं कि वास्तव में यदि जनता पार्टी जनता को स्वच्छ प्रशासन, कुशल प्रशासन देना चाहती है तो इसके लिए अत्यन्त जरूरी है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन समाज से और प्रशासन से हो और इस बजट में उसका प्राविधान है लेकिन अभी मैं उसको काफी नहीं मानता हूं। हमारे बजट में प्राविधान है लोक आयुक्त का। कांग्रेस के लोगों ने एक विधेयक पारित किया था सन् 1975 में जब हमने काफी कोशिश की, लड़ाई की तब तो पास तो हुआ बहुगुणा जी के जमाने में लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी उसको कार्यान्वित करने की. . .

श्री श्यामधर मिश्र––

इसलिए तो बहुगुणा जी इधर आ गए।

श्री राम प्यारे––

बहुगुणा जी इधर आ गए और आप उधर चले गए बड़ी बहादुरी दिखाई आप दोनों ने। तो मेरा निवेदन यह है कि यदि सचमुच में इस देश से दुख दरिद्र को दूर करना है तो एक व्यवस्था बनानी चाहिए और इस व्यवस्था की सबसे पहली शर्त यह हो कि समाज से प्रशासन से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो। इसके लिए मैं यह कहूंगा कि जैसा हमारे वित्त मन्त्री जी ने लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त और मण्डल स्तर पर और जिला स्तर पर सतर्कता अधिष्ठान की बात कही है।

(लाल बत्ती होने पर)

[श्री राम प्यारे]

अधिष्ठाता महोदय, कुछ समय और दें। सारा समय तो श्यामधर जी ने ले लिया। तो सतर्कता अधिष्ठान की जो बात है वह काफी नहीं है। प्रशासन के प्रत्येक इकाई के लिए सतर्कता अधिष्ठान की स्थापना होनी चाहिए। और उसमें केवल सरकारी लोगों को न रखकर कुछ जन प्रतिनिधि जिन पर जनता का विश्वास हो उनको उसमें रखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यह भी चाहूंगा कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सरकारी प्रशासन में या किसी भी स्तर पर जो भी चुनाव हो, वह योग्यता के आधार पर होना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म करना इसलिए भी जरूरी है कि काम की कीमत हो, कदर हो, चाटुकारिता और चापलूसी की कदर न हो। मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो काम करना नहीं चाहते बल्कि चाटुकारिता से चापलूसी से अपने अफसरों को खुश कर के अपना काम बनाते हैं।

इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे बजट में सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की बात भी कही गयी है। मैं समझता हूं कि यदि सत्ता का वास्तविक विकेन्द्रीयकरण हो जाय तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जायगा। मूल बात यह है कि किसी भी व्यवस्था में अगर केन्द्रीयकरण होता है तो निश्चित रूप से उसमें भ्रष्टाचार की मात्रा अधिक होती है।

(लाल बत्ती जलने पर और कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जब कोई सदस्य बोल रहे हों तो अन्य माननीय सदस्यों को खड़ा नहीं होना चाहिए। वह बैठ जायं तभी उनको खड़ा होना चाहिए।

श्री राम प्यारे—

अन्त में मुझे यह निवेदन करना है कि वित्त मन्त्री द्वारा जो बजट रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह जरा आंख खोल कर देखें और बजट को पढ़े तो उसे ज्ञात होगा कि हमारा बजट बड़ा क्रान्तिकारी है।

(श्री मोहम्मद रफी खां का नाम पुकारे जाने पर और कुछ समय पश्चात् लाबी में से आने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आपका नाम पुकारा जा चुका है, आप उस समय नहीं थे। अब श्री शफीकुर्रहमान बर्क का नाम मैं पुकार चुका हूं।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मेरा नाम भी सूची में है इसे देख लिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

यह मेरा काम है।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

यह सूची की व्यवस्था कब से प्रारम्भ हुई ? जो सदस्य सदन में खड़े होते हैं क्या उनमें से किसी को बुलाने का अधिकार आपको नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता—

यहां जो अधिष्ठाता बैठते हैं वह अपने स्वविवेक से भी बुलाते हैं और अगर कोई सूची आ जाती है सत्ता दल तथा विरोधी दल की तरफ से तो उस पर भी विचार कर लिया जाता है। वैसे अपने स्वविवेक से ही यहां सदस्यों को बुलाया जाता है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

आज के बोलने वालों की सूची की जानकारी दे दी जाय? कुछ लोगों के लिए सूची है और कुछ लोगों के लिए मन मानी है।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, विचार कर लिया जायगा। वैसे मैंने बर्क साहब को बुला भी लिया है।

श्री हिम्मत सिंह—

मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न है कि जो सदस्य सदन के अन्दर खड़े होंगे उन्हीं की सूची में से आप बुलायेंगे या जो लाबी में बैठे हुए हैं और सूची में उनका नाम है उनको भी आप बुलायेंगे जैसे मोहम्मद रफी खां साहब लाबी में बैठे थे और उनको आपने बुलाया?

श्री अधिष्ठाता—

जो हाउस में नहीं होता उसे कभी नहीं बुलाया जाता, लेकिन कभी-कभी यह प्रयास किया जाता है कि माननीय सदस्य हाउस में हैं जिससे उनको बुला लिया जाता है। लेकिन जैसे ही रफी खां साहब लाबी से आए उनसे कह दिया गया कि वे अनुपस्थित थे और इस लिए उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जायगा। लाबी में बैठे हुए माननीय सदस्यों को नहीं बुलाया जाता है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, 3 दिन से बजट पर मैं बहस सुन रहा हूं। जो बजट वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है वह मेरे ख्याल में क्रान्तिकारी है और देश व प्रदेश के लिए एक नमूना है। इससे पहले कांग्रेस शासन के दौर में जो बजट पेश हुए थे वे बहुत मायूस-कुन थे। चूंकि जनता पार्टी की सरकार बने हुए अभी लगभग 3 महीने का अर्सा हुआ है इस छोटी सी मुद्दत में इतने बड़े प्रदेश के लिए जहां पर 10 करोड़ इनसान बसते हैं बजट पेश करना और वह भी जिसमें एक भी नया टैक्स न लगाया जाय कोई मामूली बात नहीं है। बहरहाल जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे बहुत से भाइयों ने, जैसे श्री मिश्रा जी ने जो एतराजात इस बजट पर पेश किए हैं उन्हें सोचना चाहिए कि कांग्रेस के 30 साल के दौर में क्या तसवीर देश की और प्रदेश की बनी। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के 30 साल के दौर में इतनी गरीबी हिन्दुस्तान के अन्दर बढ़ी कि आज भी गरीबी की लाईन से 60 फीसदी नीचे प्रदेश है और 40 प्रतिशत नीचे सारा देश है। जिस सरकार ने देश और प्रदेश को इतना गरीब बना दिया हो आज उस पार्टी के लोग जनता सरकार से सिर्फ 3 महीने के अन्दर यह उम्मीद करें कि जो 30 साल के अन्दर वे नहीं कर सके जनता पार्टी कर दे। इस पर मुझे बड़ी हैरत और ताज्जुब होता है वह किस मुंह से यह बात कहते हैं और क्या समझ कर कहते हैं। मैं बताऊं कि बड़ी दुहाई हरिजनों के सिलसिले में कांग्रस पार्टी के लोग देते हैं और यह

[श्री शफीकुर्रहमान बर्क]

कहा जाता है कि बड़े अत्याचार और जुल्म उन पर हो रहे हैं। हकीकत में जो मजालिम कांग्रेस के दौर में हुए और जो बलवे कांग्रेस के दौर में हुए उसके मुकाबले में जब से जनता पार्टी शासन में आई है कितनी तबदीली हुई है।

मैं आपको यकीन दिलाऊं कि हरिजनों के सिलसिले में जो कुछ कहा जा रहा है हो सकता है कि कहीं ज्यादतियां हुई हों वह बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाता है। इतने बड़े प्रदेश और देश में न सिर्फ हरिजनों पर बल्कि दूसरों पर भी जो ज्यादती होती है वह ठीक नहीं है। हरिजनों पर ही नहीं बल्कि हिन्दू और मुसलमानों पर भी यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों के सिलसिले में कांग्रेस हमेशा कहती है कि हम ने उनको बहुत रियायत दी है। मेरे सामने यह आंकड़े हैं। मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के अन्दर सन् 1967 ई0 में कितनी पोस्टें दी गयीं। आई0पी0एस0 की टोटल स्ट्रेन्थ 378 थी उसमें मुसलमानों का कोटा 62 था उनको सिर्फ 25 जगह दी गयीं। आई0ए0एस0 आफिसरों की संख्या 177 थी उसमें 29 मुसलमानों का कोटा था उनको सिर्फ 2 जगह दी गयीं दूसरे साल आई0पी0एस0 की स्ट्रेन्थ 179 थी उसमें मुसलमानों का कोटा 30 था जिसमें से सिर्फ 7 जगह दी गयीं, डिप्टी कलेक्टर रिक्रूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस की संख्या 491 थी उसमें से 82 मुसलमानों का कोटा था और उनको सिर्फ 26 जगह दी गयीं। डी0 एस0पी0 144 की स्ट्रेन्थ थी उसमें से 24 मुसलमानों के लिए कोटा था जिसमें सिर्फ 5 जगहें दी गयीं। 1968 में उससे भी कम है। I.A.S. में 169 की स्ट्रेन्थ में 18 का कोटा था उसमें से सिर्फ 2 आदमी लिए गए, आई0पी0एस0 में 190 में से 32 का कोटा था उसमें सिर्फ 7 लिए गए। तो इस तरह से यह कांग्रेस के दौर में रोज-बरोज मुसलमान आई0 ए0एस0 और आई0पी0एस0 की सरविसेज के लिए हुआ। होता रहा या जो दूसरे मुलाजमान हैं, उनको नजरन्दाज किया गया और आज तक किया जाता है। जहां तक जनता पार्टी का ताल्लुक है, मुझे उम्मीद है वह इस सिलसिले में मुसलमानों और हरिजनों के साथ न्याय करेगी। उनके साथ क्या होगा, नहीं जानता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ इन्साफ किया जायगा।

जहां तक बजट का ताल्लुक है 675 करोड़ के बजट में, हमारी सरकार ने जो पेश किया है एग्रीकल्चर के लिए 104.40 करोड़ रुपया खर्च किया जायगा, इर्रीगेशन पर 116 करोड़ रुपया खर्च किया जायगा और बिजली पर 259 करोड़ रुपया खर्च होगा और माइनर इर्रीगेशन पर 20.55 करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। तो इस तरीके से हमारी सरकार टोटल बजट का 78 परसेन्ट एग्रीकल्चर, इर्रीगेशन, बिजली और इंडस्ट्री पर खर्च करेगी। तो इस बजट को देखने से पता चलता है कि यह बजट हकीकत में किसान-नवाज है, मजदूर नवाज है और गरीब नवाज है, बिरला नवाज नहीं है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा बिरला नवाज बजट ही बनाया है, किन्तु यह किसानों और मजदूरों की भलाई के लिए बजट बना है। हमारी सरकार बहुत तेजी से इकदाम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों का भला हो और जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको ऊपर उठाया जाय। जहां तक तनकीद करने का सवाल है तनकीद करना आसान है, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे अन्दर भी कमियां हो सकती हैं और जब हमारे

मुखालिफ लोग उनकी ओर इशारा करते हैं तो उसे सुनने के बाद हमें उसे दूर करने की पुर-जोर कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि शराबनोशी हमारे यहां आम है। इस पर सख्ती से पाबन्दी लगानी चाहिए। टोटली इस पर प्राह्बीशन होना चाहिए तभी मुल्क की तरक्की और दूसरी बुराइयां दूर हो सकती हैं।

दूसरे अब मैं मुरादाबाद के सिलसिले में कुछ गुजारिश करूंगा। मुरादाबाद को कमिश्नरी बनाया गया, लेकिन जिस हालत के तहत वह कमिश्नरी नहीं रह सका, उसकी तफशील में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरी गुजारिश है कि वहां पर कमिश्नरी के जमाने में जो डेवलपमेंट के काम सम्भल, अमरोहा, कांट, बिलारी, ठाकुरद्वारा और चन्दौसी में होते हैं, वे सब के सब होने चाहिए। यदि इनसे हमें नजरन्दाज कर दिया गया, तो हमारा मुरादाबाद जिला बहुत पिछड़ा रह जायगा। चूंकि मुरादाबाद बहुत पिछड़ा हुआ है, पसमांदा है, इसलिए इस सरकार को वहां के देहातों पर ज्यादा तवज्जह देनी चाहिए, वहां पर लिंक रोड बनाई जाये, ताकि हमारे देहाती इलाके ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकें।

[× × × ×]

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

दूसरी बात यह है कि मैं अपने क्षेत्र सम्भल के मुतालिक यह कहूंगा कि हमारे सम्भल के अन्दर दो सनअतें बहुत खास हैं। एक तो देशी खाण्डसारी और दूसरे कन्घी, जिसका माल फारेन तक में जाता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसको कोई खास सहारा नहीं दिया गया जिसकी वजह से वहां के मजदूर बहुत ज्यादा गरीब हैं। उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है। सरकार ने सींग पर सेल्स टैक्स भी लगा रखा है। मेरी गुजारिश है कि सींग पर से सेल्स टैक्स खत्म करें और खांडसारी जिसमें हमारा जिला खास तौर से, यू0 पी0 में नहीं, देश में नहीं बल्कि एशिया में नम्बर एक पर है, की ओर विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि सबसे ज्यादा काम खाण्डसारी का जिला मुरादाबाद में होता है और यहां पर सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है..

श्री अधिष्ठाता—

समय की समाप्ति।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

उर्दू के सिलसिले में गुजारिश कर दूं। सरकार से गुजारिश है कि उर्दू के सिलसिले में कांग्रेस सरकार ने कहां तक किया, उसको वह नजरअन्दाज करती रही है। उर्दू हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सभी बोलते हैं। इस जुबान ने इसी देश में जन्म लिया। जंगे आजादी के दौर में इसने आजादी के गीत गाए हैं और इस देश के सपूतों ने तरक्की की तरफ ले जाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए बहुत ही ज्यादा तरवियत दी है। इसलिए इस जुबान को भी इससे कम उत्तर प्रदेश के अन्दर जहां सबसे ज्यादा बोली जाती है, दूसरा दरजा दिया जाय।

नोटः–[××××]श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से उपरोक्त अंश निकाल दिया गया।

*श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हू कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया।

माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत 1977–78 का बजट मैंने पढ़ा और निरन्तर तीन दिन से चलने वाली बहसों में बहुत से लोगों के विचार सुनने का अवसर मिला। बजट को गौर से देखने से ऐसा लगा, मैं सुन रहा था,एक भावना भी व्यक्त की गयी माननीय वित्त मन्त्री की तरफ से कि बहुत क्रान्तिकारी बजट वह लायेंगे अपने प्रदेश के उत्थान के लिए उनका ब ा ही सरगरमी से चलने वाला कोई कदम होगा। लेकिन बजट को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि वित्त मन्त्री जी का जो पुरानी सरकारों द्वारा बजट आया करते थे उसी प्रकार का भाषण, उसी प्रकार की बजट की किताबें लम्बी-लम्बी और उसमें आंक े, सब कुछ वही, कोई भी परिवर्तित नहीं दिखायी दिया। यह बात जरूर है कि मन्त्री जी ने करीब 85 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। यह भी समझ में आया कि पिछली सरकार के सारे कामों को छिपाने का प्रयास भी कर रहे हैं। पिछले तीस वर्ष की सरकार का जो इतिहास था उसको कुछ गन्दा बता कर, अपने इस कारनामे को जो बड़ा हुंकार के साथ लाए थे, पहाड़ खोदा और उसमें से एक चुहिया निकली, इसके अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं रहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। प्रदेश की जनता ब ी आशाओं से आंखें लगा कर बजट की ओर देख रही थी। उसको ब ी निराशा हुई है। उसकी आशा पर कुठाराघात हुआ है।

85 करोड़ का जो घाटे का बजट माननीय मन्त्री जी ने रखा है। मैं विस्तृत रूप में नहीं जाना चाहता हूं, इस सम्बन्ध में मैं संक्षेप में कहूंगा। सिंचाई के कामों में थोड़ा ज्यादा बढ़ाया है, पिछली सरकार में सारी चीजें वही हैं उनसे थोड़ा फर्क दिखा दिया और घाटा आ गया। 25 करोड़ का घाटा पहले होता था तो इनके बजट में 85 करोड़ का घाटा आ गया। हां, यह बात जरूर है कि मन्त्री जी ने विचार व्यक्त किए हैं और बहुत से लोगों ने भी विचार व्यक्त किए हैं कि 30 वर्ष में बहुत से अपराध हुए हैंऔर पिछली सरकार ने बहुत ब े अपराध किए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों के मस्तिष्क में बहुत ब ी भ्रांति है। सब लोग उन्हें क्षमा कर दें। क्या मालूम है उन नवजवानों को कि 30 वर्ष पहले का नक्शा क्या था, हमारा देश कैसा था। हमारी उस भुखमरी और गरीबी का क्या हाल होगा। उन्हें क्या मालूम कि 30 वर्ष पहले लोगों को बिना कफन फेंक दिया जाता था। किसान की औरतों को कप ा नहीं मिलता था। न देश में कोई कल कारखाना था न कोई निर्माण हुआ था। बिजली की कहानी सुना करते थे और वह नक्शा था देश की गरीबी का और कंगाली का। इन लोगों को क्या मालूम कि देश का क्या नक्शा था।

बंगाल में तमाम लोग त ़प कर मर गए। 1942 की कहानी उन्हें क्या मालूम। उनको क्या मालूम कि देश का नक्शा क्या था। ऐसी कंगाली विद्यमान थी। ऐसी चीजें भारत को विरासत में मिली थी। उसको क्या मालूम कि हमारे नेताओं ने किस तरह से उसकी रचना की, किस तरह से सारे देश और प्रदेश में कल और कारखानों का निर्माण किया, नहरों और सिंचाई की व्यवस्था की। जो गरीबों के घर में पैदा हुआ। उसे एक मुट्ठी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चावल नसीब नहीं होता था। माननीय श्यामधर मिश्र जी बोल गए उनसे पूछिए। बाजरा खाते-खाते मर गए। यह 30 वर्ष का इतिहास है। संक्षेप में बता देना चाहता हूं। अगर आप 30 वर्ष के इतिहास को देखते तो जनता आपको धन्यवाद देती। मुझे निराशा हो रही है आपके इन कामों को देखते हुए। कोई बोलने के लिए उठता है तो ऐसी-ऐसी बातें करता है। जैसे सत्यदेव त्रिपाठी बोल रहे थे। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए। हत्याओं के बारे में कहा कि एक भी घटना नहीं हुई। मुझे हैरत है। वह कैबिनेट स्तर के मंत्री नही तो भी मंत्रि मण्डल के मन्त्री हैं उन्हें ऐसे आंकड़े नहीं देने चाहिए। अभी कुछ देर पहले हमारी ओर के एक भाई यह बता रहे थे कि राज्य मन्त्री के शैडो का बध हो गया है और अगर मन्त्री जी से पूछा जायगा तो निश्चित रूप से वे कह देंगे कि उनके शैडो का बध हुआ या नहीं, यह उनकी जानकारी में नहीं है। तो जब ऐसी बातें हो सकती हैं तो ऐसा मालूम होता ह कि शासन में जो लोग हैं वे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि उनकी सरकार प्रदेश और देश में बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। बार-बार वे 30 वर्ष का हवाला देते हैं कि उन्होंने इस अवधि में कांग्रेस की सरकार को बर्दाश्त किया है जिसको वे बड़ा भ्रष्ट कहते हैं लेकिन जनता पार्टी सरकार के जो कारनामे आम जनता के सामने आ रहे हैं,उनसे वह बहुत ऊब गयी है। आज लोकतन्त्र का नाम लिया जाता है, कहा जाता है कि जनता पार्टी ने लोकतन्त्र की रक्षा की लेकिन अभी हाल में इन्होंने स्थानीय निकायों को भंग किया है। इनका भंग करना तो समझ में आता है क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था लेकिन जो हमारी जिला परिषदें हैं, उनको समाप्त करना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है क्योंकि 5 वर्ष की अवधि में अभी 2 वर्ष ही समाप्त हुए हैं। 3 वर्ष का समय था। अगर ऐसा इनका लोकतन्त्र है तो इनको मुबारक रहे।

अब मैं अपने क्षेत्र और अपने जिले की कुछ कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमने सोच रखा था कि हमारी पिछली सरकार ने बाढ़ के सम्बन्ध में जो मास्टर प्लान तैयार की थी, आने वाली सरकार उस मास्टर प्लान पर गौर करेगी और काम भी करेगी और उसके लिए बजट में कुछ निधि रखेगी लेकिन बजट के देखने पर विदित हुआ कि ऐसा नहीं किया गया है। बाढ़ की विभीषिका ऐसी है जिससे जन जीवन प्रदेश का छिन्न-भिन्न हो जाता है और प्रति वर्ष बाढ़ के नुकसान से सरकार का करोड़ों रुपया बरबाद हो जाता है। अगर मास्टर प्लान का कार्य आरम्भ कर दिया जाय तो बाढ़ से रक्षा हो सकती है।

इसी प्रकार से हमारे जिले में हमारे यहां पर धान की खेती तालों में होती है। इन तालों में बरसात के मौसम में पानी भर जाता है और उसके बाद उनमें धान लगाया जाता है और जो लगाया जाता है वह बिल्कुल गल जाता है। इन तालों में डेन खुदवाई जायं ताकि पानी निकल जाया करे।

इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति पुनः आभार प्रकट करता हूं।

श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने जो जन कल्याणकारी बजट पेश किया है, उसका मैं हार्दिक स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मुझे दुख भी है कि इस बजट को घाटे का बजट दिखाया गया है। मैं आशा करता था कि घाटे

[श्री मन्नालाल]

का बजट न होकर सरप्लस का बजट होगा। मुझे याद है कि सन् 1967 में जब संविद सरकार बनी थी, उनके समय में पहला सरप्लस बजट बना था जबकि उस संविद सरकार ने 3 1/4 एक के किसानों का लगान भी माफ किया था और शहरों में भूमि भवन-कर भी माफ किया था और साथ ही साथ सिंचाई की दरों में भी कुछ छूट दी थी। उस समय सरप्लस का बजट बना था, लेकिन अब की बार घाटे का बजट दिखाया गया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे ग्रामीण जनता को कोई लाभ दिखाई नहीं प ता है। सारा बजट शहरों के लिए, शहरों के सुन्दरीकरण के लिए, मकानों के लिए, अन्य-अन्य बातों के लिए पैसा खर्च किया गया है। 85 परसेन्ट ग्रामीण लोग अपना जीवन कठिनाई से बिता रहे हैं, उन पर कम खर्च किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस बजट में गांव के लिए भी कुछ किया जाता। यानी एक गांव से दूसरे गांव तक पक्की सड़कों का निर्माण होता, गांव में अधिकांश अछूतों के लिए पानी पीने के कुएं बनवाए गए होते, सिंचाई के लिए नलकूप बनवाए गए होते तो गांव का भला होता। सिंचाई की सुविधा के लिए बन्दोबस्त कम हैं, बेचारा काश्तकार पानी के अभाव में गल्ला पैदा नहीं कर पाता है और गरीबी का जीवन बिता रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि लखीमपुर जिले के लिए, खीरी के लिए कम से कम सौ नलकूप स्वीकार करें जिससे किसानों को सिंचाई का साधन मिल सके और गल्ले का उत्पादन हो सके। साथ ही साथ मेरी एक मांग है कि जिला लखीमपुर के मुहम्मदी क्षेत्र में आज तक 30 वर्षों के शासनकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि मुहम्मदी तहसील में औरंगाबाद से लेकर मुहम्मदी पुवाया तक एक सड़क बनाई जाय और मुहम्मदी से पसगवां पसेवां तक दूसरी सड़क बननी चाहिए। यह दो सड़कें ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग आ-जा सकें और किसान अपनी बैलगाड़ी से गल्ला और गन्ना इधर से उधर ले जा सकें।

मैं माननीय मन्त्री जी की इस बात से खुश हूं कि कुछ बात हरिजनों के लिए की, लेकिन वह सन्तोषजनक नहीं है। कांग्रेसी भाई हमेशा हरिजन समस्या को उलझाते रहते हैं। हरिजन समस्या का एक ही उनके पास कार्यक्रम रह गया है। अभी हमारे एक कांग्रेसी महोदय बोल रहे थे और उन्होंने बड़े ही मार्मिक शब्दों में एक डी0 एम0 जो हरिजन हैं उन के सम्बन्ध में एक बात कही थी कि उनको निलम्बित किया गया। मैं तो चाहता था कि उनको निलम्बित नहीं, बल्कि उनको जेल भेजना चाहिए था। यह वह डी0एम0 था जिसने बरेली जिले के अन्दर पुलिस के जरिए से अपने सामने ही छात्रों को डण्डों से पिटवाया था और एक छात्र वीरेन्द्र अटल था, उसके जम्बूर से नाखून निकलवाए। ऐसे डी0एम0 को तो फांसी पर लटकवाना चाहिए था। गुलाब सेहरा महोदय जी ने उसकी हिमायत की थी, इसलिए कि कांग्रेसियों ने ही ये अत्याचार ढाए थे। इनके पास और कुछ नहीं है तो अब हरिजन और सवर्ण की समस्या खड़ी कर दी है। हरिजन और सवर्ण की कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन इन्होंने कर दी है। हमारी तहसील मुहम्मदी में गोमती नदी के किनारे 10–20 गांव बसे हुए हैं। उनमें गोरखपुर, देवरिया आदि के हरिजन लोग आबाद हैं और उनको जमीन दी गयी है। मैंने खुद फीरोजपुर, जैतीपुर में हरिजनों को ग्राम समाज की जमीन और सीलिंग की जमीन तकसीम करायी और सवा तीन एकड़ प्रत्येक हरिजन को जमीन दी गयी, दो चार को तो सवा पांच एकड़ दी गयी है। तीन चार वहां ट्यूबवेल बने हैं। इन कांग्रेसियों ने देखा कि अब हमारे पास कोई मसला नहीं है तो

4–5 लोगों ने षडयन्त्र करके वहां भोले-भाले हरिजनों को उभार करके उन्हें आगे कर दिया और उस वन विभाग की दो सौ एकड़ जमीन को जिसमें एक लाख सागौन, शीशम, खैर और यूक्लिप्टस के पेड़ लगे हुए थे, जुलाई, 17 तारीख को इन कांग्रेसियों ने कटवा करके नदी में फेंकवा दिया। कुछ थोड़े से बच गए थे तो उन्होंने 24 तारीख को कटवा दिए।

पुलिस वहां पर मौजूद थी, वन विभाग के कर्मचारी मौजूद थे लेकिन वे बचाने का साहस नहीं कर सकते थे क्योंकि इन कांग्रेसियों ने कहा था कि तुम काटो। औरतों को आगे कर दिया, इधर-उधर से लाकर खड़ा कर दिया। तीन आदमियों, राम भजन वकील, रंधीर सिंह पंजाबी और शुगनचन्द 'सुमन' ने वहां एक सभा की और कहा कि इस तरह से तुमको जमीन नहीं मिल सकती। अगर जंगलात की जमीन पर कब्जा करना चाहते हो तो यहां पर अशान्ति पैदा करो, मरो और मारो, तब आपको जमीन मिलेगी। इनके पास और कोई कार्यक्रम नहीं है। इस तरह से उनको उभार कर संघर्ष छेड़ा गया। वह संघर्ष आज भी वहां पर जारी है। वह भोले-भाले बेचारे समझौता करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वे बरबाद हो। कांग्रेसी हरिजनों के कभी शुभ-चिन्तक नहीं हुए। 30 वर्ष के शासन में कांग्रेसियों ने हरिजनों के लिए क्या किया ? उनके लिए पीने के पक्के कुयें भी नहीं बनवा पाए। केवल कागज पर बने हैं। कागज पर पक्के मकान हरिजनों के लिए बने हैं, जमीन पर नहीं। अगर हरिजनों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये कांग्रेसिए हैं। इन्होंने वायदा किया था कि 18 प्रतिशत के बजाय 45 प्रतिशत स्थान देंगे लेकिन 18 प्रतिशत की जगह 6 प्रतिशत भी नहीं दे पाए और 45 प्रतिशत के नाम पर 25 प्रतिशत भी नहीं पूरा किया। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह हरिजनों की तरफ थोड़ा ध्यान दें और हरिजनों और सवर्णों के बीच जो विष बोया गया है उसको दूर करें और दलालों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें। वरना एक दिन यह इतना बड़ा संघर्ष हो जायगा कि हरिजन और सवर्ण कभी एक नहीं हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं विशेष रूप से अपने जिले के सम्बन्ध में कुछ बातें रखना चाहूंगा।

बदायूं जिला उत्तर प्रदेश के उन 7 जिलों में से एक है जिनकी गणना अपराधशील जिलों में की जाती है। आज उस जिले की उपेक्षा हो रही है। वहां अपराध क्यों बढ़ते हैं, इसका कारण है। वहां अशिक्षा है, यातायात के साधन नहीं हैं, बेकारी है, उद्योग नहीं हैं। मैं कुछ जानकारी वित्त मन्त्री जी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह इस जिले की ओर विशेष रूप से ध्यान दें ताकि इसका पिछड़ापन, बेकारी और अशिक्षा दूर हो। यहां यातायात के साधन नहीं हैं, वहां सड़कें कम हैं। सन् 1954 के लगभग एक बाम्बे प्लान बनी थी जिसमें सारे देश के चीफ इन्जीनियर्स एकत्रित हुए थे। उस प्लान के अन्दर हर जिले के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि हर जिले में कम से कम कितनी सड़कें सन् 1981 तक हो जायंगी। उसके हिसाब से बदायूं जिले में 918 किलोमीटर सड़कें बननी थीं। आज सन् 1981 आने में केवल 2–3 साल शेष हैं लेकिन अब तक केवल 418 किलो-

[श्री कृष्ण स्वरूप]

मीटर सड़कें ही वहां बन पाई हैं जबकि अन्य जिलों में लक्ष्य से अधिक सड़कें बन गई हैं। लखनऊ में 117 प्रतिशत, बिजनौर में 104 प्रतिशत, रायबरेली में 110 प्रतिशत, ललितपुर में 100 प्रतिशत, आजमगढ़ में 106 प्रतिशत, इलाहाबाद में 116 प्रतिशत और वाराणसी में 121 प्रतिशत बनी हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि बाम्बे प्लान के अन्तर्गत सारे जिलों का सर्वेक्षण करके वहां की आवश्यकताओं के अनुसार जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कम से कम बदायूं जिले का लक्ष्य पूरा किया जाय। जिन जिलों में पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर रहे, उन जिलों का लक्ष्य जो 81 बाम्बे प्लान में निर्धारित किया गया था इससे अधिक सड़कें बन चुकी हैं, 1975-76 की यह पुस्तिका है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रकाशित हुई है, से प्रकट होता है। पहाड़ के जिलों को मैंने छोड़ दिया है। जिन जिलों में लक्ष्य से आगे बढ़ गए हैं, मैं मांग करना चाहता हूं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी से कि बाम्बे प्लान के अन्तर्गत 918 किलोमीटर था जिसमें अब तक 418 कि0मी0 स: कें बन पाई हैं। यहां पर किसानों के लिए यातायात के साधन नहीं हैं। इस जिले के साथ अत्याचार हो रहे हैं। मान्यवर, 58 जिलों में बदायूं की गणना शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे और तीसरे नम्बर पर है। आज जितने विद्यालय खोले जाते हैं, उसके लिए इस बात का सर्वेक्षण नहीं किया जाता है कि यह जिला पिछड़ा हुआ है और इसको प्राथमिकता दी जाय। आज जो प्राइमरी स्कूलों का आवंटन किया जा रहा है उसमें भी उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बदायूं नीचे से दूसरे नम्बर पर है। मान्यवर, हमारे जिले में 250 बालक और बालिकाओं के लिए स्कूल आवंटित किए जायं। यहां पर कोई कन्या डिग्री कालेज नहीं है वहां के प्रतिष्ठत नागरिक एक कन्या डिग्री कालेज बना रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार मान्यता दे तथा वर्तमान डिग्री कालेज में विज्ञान की कक्षाएं खोली जायं और ऐसे विद्यालय खोले जायं जिससे रोजगार भी प्राप्त हो सके जैसे आई0 टी0 आई0 आदि। मान्यवर, हमारे जिले में कोई नहर नहीं है। वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। वहां पर केवल नलकूप, निजो नलकूप, सरकारी नलकूप कम मात्रा में हैं। मान्यवर, इस जिले में सिंचाई से सैकड़ों बीघा जमीन वंचित रह जाती है। मैं माननीय सिंचाई मन्त्री जी से मांग करना चाहता हूं कि कम से कम 100 सरकारी नलकूपों का आवंटन हमारे जिले के लिए किया जाय, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके।

मान्यवर, उद्योग धंधे इस जिले के अन्दर नहीं हैं। कोई भी इण्डस्ट्रियल यूनिट इस जिले के अन्दर नहीं है। हमारे जिले में वितरोई एक स्थान है जहां पर पी0सी0एफ0 सहकारिता विभाग ने 'विनको' कारखाना लगाया है जो पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं है शासन बनस्पति घी का उत्पादन वहां से कर सकती है।

बदायूं में चटाई, रस्सी, बान, लिहाफ, दरी आदि का काम छोटे स्तर पर हुआ करता है जो अब समाप्तप्राय होता जा रहा है सरकार से मांग करूंगा कि सरकार इन उद्योगों को अपनाए।

मान्यवर, सरकार ने जो घोषणा की है कुटीर उद्योगों के विकास की, उस पर विशेष ध्यान दिया जाय। जो जिले छोटे हैं, जो विकास की दृष्टि से पीछे रहे हैं उनको सुविधा दी जाय। मान्यवर, बदायूं जिला न पश्चिम में आता है और न पूर्व में ही आता है। यह जिला सेन्ट्रल जोन में आता है जिसकी बराबर उपेक्षा की जा रही है। मैं यह भी मांग करना चाहूंगा कि जहां रुहेलखण्ड में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी है, वहां पर एक मेडिकल कालेज की भी स्थापना की जाय। मान्यवर, प्रदेश के सभी खण्डों में मेडिकल कालेज की स्थापना हो चुकी है, केवल रुहेलखण्ड ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई भी मेडिकल कालेज नहीं है। मैं मांग करूंगा कि रुहेलखण्ड मण्डल के अन्तर्गत बदायूं जिले में अथवा किसी अन्य ही जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय प्रयाग में है। लखनऊ में भी उसकी बेंच है। पश्चिमी जिलों की जो जनता है उसको न्याय पाने के लिए इलाहाबाद जाना प ता है जिससे उनको अत्यधिक असुविधा होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की यह बड़ी पुरानी मांग रही है कि पश्चिम में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाय। कई बार यहां सरकार ने इस प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है। परन्तु कार्य रूप में इस प्रस्ताव को परिणत नहीं किया गया। संविद सरकार में चौधरी चरण सिंह ने सन् 1971 में टी0 एन0 सिंह और नारायण दत्त तिवारी की भी सरकार ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि पश्चिमी जिलों की जनता को न्याय प्राप्त होने में कठिनाई होती है। अभी कल यहां न्याय मन्त्री ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। आज पश्चिमी जिलों की जनता में एक भावना पैदा हो गई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो लखनऊ में बैठी है वह पश्चिमी जिलों की जनता के साथ इस माने में अन्याय कर रही है। जो मांग सिद्धान्त रूप में स्वीकार की जा चुकी है उसको कोई न कोई बहाना लेकर टाला जा रहा है। अगर उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो दूसरी बात पैदा हो सकती है, वह है उत्तर प्रदेश के बंटवारे की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है जिसके प्रशासन को चलाने में कुछ न कुछ कठिनाइयां हैं। यदि मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी कि कोई भी मन्त्री प्रदेश के 58 जिलों के नाम शायद 10 मिनट में बता नहीं पाएगा। कोई भी मन्त्री 10–12 डी0एम0 के नाम नहीं बता पायेगा। जिसको शासन करना है वह अपने प्रदेश के जिलों के नाम न जाने और अपने जिलों के जिलाधिकारियों के नाम न जाने यह कहां तक ठीक है? इस-लिए अगर प्रदेश का बंटवारा करना सम्भव नहीं है, किन्हीं कारणों से न किया जा सकता हो, तो पश्चिमी जिलों की जनता को यह अवसर न दें कि वह महसूस करें कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हमारे बहुत से साथियों ने और विरोधी पक्ष के साथियों ने हरि-जनों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आज 30 वर्षों के बाद यदि कहीं पर उनके साथ अन्याय या ज्यादती होती है तो मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य और खेद की बात और कोई नहीं है। 30 सालों के बाद उनको न्याय नहीं मिला, इसका दोषी कौन है? 15 अगस्त, 1947 से लेकर आज तक शासन में कौन रहा? कुछ अपवादों को छोड़ कर, कांग्रेस सत्ता में रही। उसने हरिजनों की समस्याओं को राजनीतिक समस्याओं के रूप में देखा, राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। उनसे वोट बटोरने के लिए उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की गयी। कुछ हरिजनों को सुविधाएं भी दी गईं लेकिन

[श्री कृष्ण स्वरूप]

वह उनको नहीं मिलीं और उनको कुछ नेता जो सत्ता में आ गए थे, जो हरिजन थे, जो ऊंची-ऊंची कुर्सियों पर बैठे थे उन्हीं ने उन सुविधाओं का लाभ उठाया। गांवों में रहने वाले हरिजन उन सुविधाओं का लाभ न उठा सके। आज 30 साल के इस अन्याय की दोषी कांग्रेस है। मैं चाहूंगा कि आज उनकी समस्याओं को सुलझाया जाय लेकिन राजनीति की आड़ में नहीं। हमको उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा को देखना है। हम को उन कारणों को देखना है जिससे कि आज तक उनकी दशा में सुधार नहीं हुआ और ऐसा वातावरण बनाना है जिससे उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति सुधरे और आपसी सहयोग की भावना का वातावरण बने। किसी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। यह आर्थिक और सामाजिक प्रश्न है उसे इस दृष्टि से देखना होगा। और जिस पृष्ठभूमि में हुआ है उसके पीछे की जो भूमिका है वह सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के आचरण में उसे प्रकट होना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों के आचरण और व्यवहार से राजनैतिक क्रान्ति और सत्ता परिवर्तन प्रगट होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री कृष्ण स्वरूप--

मान्यवर, यह जो राजनैतिक क्रान्ति आई है। दिल्ली और लखनऊ में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है . . .

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य कृपा करके बैठ जायं। जब वह खड़े हुए हैं तो आपको खड़े नहीं होना चाहिए।

श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत बजट और पुराने बजटों में कोई विशेष बुनियादी अन्तर नहीं है और न हो ही सकता है। परन्तु माननीय वित्त मन्त्री महोदय का महत्व इसलिए उजागर हो जाता है कि उन्होंने निश्चित सीमाओं के अन्दर इस बजट को तैयार किया है। यद्यपि इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया तो भी मुझे विश्वास है कि किसी भी ऐसी योजना या बजट के लिए जो सामाजिक, आर्थिक पुनर्जागरण का द्योतक हो देश और प्रदेश की जनता कोई भी कुरबानी देने के लिए तैयार रहेगी। परन्तु प्रदेश की जनता में आत्म-विश्वास का भाव जगाना चाहिए लेकिन यह भाव तभी जगेगा जब हमारे कृषि प्रधान देश में उग्र भूमि सुधारों की भूमिका को उचित महत्व दिया जाय। भूमि जोतने वालों को भूमि मिले, इससे श्रम शक्ति उत्साहित होगी, उत्पादन बढ़ेगा, देश की जनता को जिसमें 80 फीसदी किसान रहते हैं, क्रय शक्ति बढ़ेगी तब दुकानदारी बढ़ेगी, जब यह होगा तो देश का औद्योगीकरण भी जल्दी हो सकेगा और बेरोजगारी की समस्या हल होगी। इसलिए उग्र भूमि सुधारों की भूमिका का बुनियादी महत्व है। देखा जाय तो यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। जब तक उग्र भूमि सुधारों को लागू नहीं किया जाता है तब तक कोई भी कृषि प्रधान राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। इसलिए हमारे देश में जमीन जोतने वालों

को जमीन मिले यह प्रमुख प्रश्न है। लेकिन यह भी सही है कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने मंगल देव विशारद समिति का नाम अपने बजट भाषण में दर्ज किया जो कि स्वाभाविक था। माननीय वित्त मन्त्री महोदय हमारे जिले के हैं। उन्होंने संजीदगी से हमेशा किसानों के लिए बड़े-बड़े भूमि चोरों से संघर्ष किया है और जब मंगल देव विशारद की रिपोर्ट जिसमें भूमि चोरों का जिक्र है, भूमि दिलाने की बात की है तो उसका जिक्र करना स्वाभाविक था। मैं इस चीज की कम से कम तारीफ करता हूं। लेकिन इतने से ही भूमि की चोरी की साजिश समाप्त हो और जोतने वालों को जमीन मिले, ऐसा विश्वास नहीं होता। इसलिए तजुर्बे में देखा जा रहा है कि जो भूमि हरिजनों और कमजोर वर्गों को आवंटित हुई है पिछले दिनों में उसका अभी तक उनको कब्जा नहीं मिल पाया है। हमारे क्षेत्र में जब हम वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं इस तरह के लोगों की दरख्वास्तों का पुलिन्दा हमारे सामने आता है और बार-बार इस तरफ सरकारी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है लेकिन यह समस्या हल नहीं हो पा रही है। इसलिए यह विश्वास नहीं होता है कि जमीन उन जमीन चोरों, जिसमें मजेठिया हैं, जिसमें हमारे जिले के पुरुषोत्तम दास रईस हैं, हमारे जिले के जैपुरिया हैं, हमारे जिले के सिसवा बाबू हैं, से कैसे निकलेगी। उनके लिए कोई इस तरह का प्राविधान हो, ऐसी चीज हो, तो उग्र भूमि सुधारों की भूमिका उजागर होगी। इससे विश्वास और आत्म-विश्वास की भावना लोगों में जागेगी और वह कर देने के लिए तैयार होंगे। यह रोना नहीं रहेगा कि नया कर लगेगा तो दिक्कत होगी। हम वह करने के लिए तैयार हैं यदि ऐसा विश्वास हो कि उनके लिए कुछ किया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि प्रमुख बात उग्र भूमि सुधार करने की है। इस महत्वपूर्ण कदम को उठाकर हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। चूंकि यह इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पर इतना जोर देना चाहता था।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हरिजनों, कमजोर वर्गों पर होने वाले उत्पीड़न का नाम लिया जाता है तो ऐसा लगता है कि बार-बार ऐसी चीजें उठ रही हैं कुछ अटपटा सा लगता है। लेकिन यह सही है कि पिछले तीन हजार वर्षों से हमारे देश में शूद्र कहकर इन हरिजनों को गांव से अलग बसाया गया, उनका उत्पीड़न किया गया, मारा गया, पीटा गया। मान्यवर, यही हरिजन हैं जिन्होंने गंगा यमुना और दुआबा में जंगल काट कर हमारे देश को सरसब्ज बनाया। अगर इन लोगों को जो सर्जनहार हैं और खून पसीने से जिन्होंने देश को बनाया है उत्साहित न किया गया तो देश खुशहाल नहीं होगा। यदि आज इन पर अत्याचार हो, इनका उत्पीड़न हो तो ऐसा लगता है कि सामन्तशाही जिसने इन पर उत्पीड़न किया था आज फिर कहीं जिन्दा तो नहीं हो रही है। इससे न केवल हरिजन बल्कि अन्य जाति के लोग जो मेहनत करते हैं वह सतर्क हो जायेंगे, चौकन्ने हो जायेंगे और कहेंगे कि यह केवल हरिजनों का सवाल ही नहीं है पूरे मेहनत करने वालों का सवाल है यह सवाल सामन्तवाद के विरोध का सवाल है। अगर हरिजनों को नहीं उठाया गया तो अन्य जातियों के मेहनतकशों को भी नहीं उठाया जा सकता और इसीलिए इनका बार-बार नाम लेना स्वाभाविक है, जरूरी है। इस सिलसिले में एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में एक गांव है कम्पीयरगंज थाने में कोयलाडाण्ड। पिछले महीने 14 तारीख को मैं वहां गया। जितनी जमीन आवंटित थी, किसी को कब्जा नहीं मिला। हाकिम परगना महोदय ने पुलिस स्टेशन पर लिखा कि

[श्री श्याम नारायण तिवारी]

वहां किसी को भेज दें। कोई सिपाही नहीं गया। यह तो आलम है। मेरा कहना यह है कि यह हरिजन का सवाल नहीं बल्कि सामन्तशाही के विरोध का सवाल है। सामंतवाद फिर सिर उठा रहा है। एक दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूं। हमारे जिले में हरपुर गांव में सामन्तवादी शोषण के खिलाफ आवाज उठी। वहां के गुण्डों ने किसानों पर हमला किया। किसानों ने उसका मुकाबला किया। उसमें एक आदमी मारा गया। आज उस काण्ड में 29 आदमी कारावास भुगत रहे हैं। उनको नकसलपन्थी करार दिया गया और नक्सलपंथी विचार के हैं इन्हें छोड़ा न जाय, यह कहा गया। जब यह सवाल उठाया गया कि ऐसे लोगों को जो राजनीतिक बन्दी हैं उन्हें छो दिया जाय तो मुख्य मन्त्री महोदय ने उस पर वक्तव्य दिया कि पांच साल से ज्यादा जेलों में रहने वाले राजनीतिक लोगों को जो हिंसा से विरक्त होना चाहते हैं उन्हें छो दिया जायगा। फिर वक्तव्य दिया कि 18 आदमी जेलों में हैं जो नकसलपंथी विचार के हैं। जब रोकना था तो नक्सली कहा गया और जब छो ने की बात है तो केवल 18 बन्दी ही हैं ऐसा कहा जाता है। यहां सामन्ती के रुख की बू आती है।

इस बजट में औद्योगीकरण की बात कही गयी है। हमारे जो हथकरघा उद्योग हैं वह चौपट हो रहे हैं। जनता धोती बनाने वाले बुनकरों को सूत महंगा होने के कारण अब मजदूरी कम मिल रही है उनका मारजिन घटता जा रहा है। बुनकरों को बड़े-बड़े मिल मालिकों का मुकाबला करना प ता है। उद्योगपतियों के मुकाबले इस हथकरघा उद्योग को संरक्षण देने की जरूरत है। एकाधिकार पर अंकुश लगाने की जरूरत है। लेकिन अंकुश बढ़ाया जा रहा है। संरक्षण तोड़ा जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अब समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री श्याम नारायण तिवारी—

अन्त में एक बात और कहूंगा। उर्दू पर कोई एलोकेशन नहीं है। उर्दू को महत्व दिया जाय। हमें मालूम हुआ है कि जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था हमारे उर्दू जानने वाले माननीय सदस्य उर्दू में शपथ लेना चाहते थे, ट्रान्सलेशन करना चाहते थे लेकिन उन को इजाजत नहीं दी गयी। मुझे इस बात का खेद है।

इस बजट में विश्व बैंक का नाम लिया गया है। विश्व बैंक क्या है? वही है जिस ने नशा बन्दी और सुन्दरीकरण की योजना को संजय गांधी के द्वारा हमारे देश में लागू कराया था। हमारे देश का गौरवमय इतिहास रहा है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष की एक शानदार परम्परा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अब बैठें।

श्री श्याम नारायण तिवारी—

जनता पार्टी की सरकार हमारे देश को तबाह करना चाहती है और मैं आपके माध्यम से इसमंच से अपनी देश की जनता को सतर्क करना चाहता हूं कि यहां मोनोपली कैपिटल

का जोर बढ़ रहा है। देश और विदेश की बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को बुलावा दिया जा रहा है। हमारे मन्त्री बीजू पाटनायक साहब ने कहा है कि हमारे देश के उत्पादन के लिए जरूरी है कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां आयें और यहां कमायें. . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, 15 मिनट हो गए हैं अब आप कृपया बैठें।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो यह बजट पेश हुआ है उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह बजट ग्रामीण गलियों में रहने वाले गरीब, झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की जिन्दगी को प्रगति के पथ पर ले जाने की ओर है। यह बजट स्वर्गीय डा0 राम मनोहर लोहिया और लोक नायक जय प्रकाश नारायण के स्वप्नों को साकार करने की ओर एक कदम है। हमारे उधर के बैठने वाले साथियों में कुछ घबड़ाहट है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह वह बजट है जिसकी तुलना अगर पहले के बजट से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले के बजटों में एक तरफ पहाड़ था तो दूसरी तरफ खाई होती थी। जो पूंजीपति व सरमायादार थे वे पहाड़ के मानिन्द थे और जो गरीब व हरिजन थे वे गड्ढे के मानिन्द थे। यह बजट इस खाई को पाटने की तरफ अग्रसर है। उधर के बैठने वाले आज जब हरिजनों की बात करते हैं तो 75 से जनवरी, 1977 तक की बात भूल जाते हैं जब हरिजनों के शरीर पर गर्म पानी करके गिराया जाता था, उनके नाखून निकाल लिए जाते थे और उनको जेल में दवा के नाम पर जहर देकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। यह सब देख कर उस समय आपको शर्म नहीं आती थी जब आपातकालीन शासन में हजारों हरिजन परिवारों को उजाड़ दिया गया। आज जनता पार्टी उन सब ज्यादतियों का आपरेशन कर रही है और आपकी जन्म कुण्डली खोल रही है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

इस प्रान्त में कितने हरिजन गांवों को फूंक दिया गया, उजाड़ दिया गया और गांवों से निकाल दिया गया ?

श्री हरिकेवल प्रसाद—

जिन लोगों ने 30 वर्षों में लूट खसोट करने का काम किया है उनका आपरेशन जनता पार्टी कर रही है। दिल्ली से शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मन्त्री कहीं उस आपरेशन में न आ जायं ? आप लोगों में से कई लोग उस आपरेशन में आ रहे हैं।

अब मैं हरिजनों की समस्याओं की ओर इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1975–76 से लेकर जनवरी, 1977 तक भूमिहीन हरिजनों को जमीन आवंटित की गई खेती के लिए और बसने के लिए। लेकिन कौन सी जमीन दी गयी ? वह जमीन दी गयी जो चरागाह के लिए थी, पोखरे के लिए थी यानी सार्वजनिक जमीन थी। नारायण दत्त तिवारी जी ने बड़े जोर-शोर से यह ऐलान किया कि प्रदेश में भूमिहीनों को बसाने के लिए तथा काश्त करने के लिए जमीन बांट दी गयी है। लेकिन वह सिर्फ कागज पर दर्ज थी। जनता पार्टी के राज्य में जब वह हरिजन पट्टा लेकर कब्जा करने के लिए जाता है तो गांव के प्रभावशाली लोग लाठी लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं यह तो गांव का खलियान है, गांव का पोखरा है यह तुम को कैसे मिल गया। लेखपाल का पट्टा है उसके पास जो केवल

[श्री हरि केवल प्रसाद]

कागज पर है और अब इस पर नारायण दत्त तिवारी जैसे सजय गांधी तथा इन्दिरा गांधी के चहेते यह हल्ला करते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। मैं मुख्य मन्त्री से और सरकार से यह मांग करूंगा कि पिछले सालों में जो जमीन हरिजनों को आवंटित की गयी है उसके लिए एक आयोग बिठाया जाय जो जांच करे कि कितने सही लोगों को और कितने गलत लोगों को जमीन दी गयी और गलत लोगों से जमीन निकलवा कर सही लोगों को वह जमीन दिलवाई जाय। मंगल देव विशारद कमेटी ने सन् 1974 के सत्र में सदन में यह रपट प्रस्तुत की थी। स्वर्गीय श्री रामसेवक यादव ने उस पर मांग की कि उसको लागू किया जाय। लेकिन क्या हुआ एक तरफ माननीय कमलापति त्रिपाठी थे और बड़े-बड़े जमींदार जैसे सुरेन्द्र सिंह मजीठिया, भूमि चोर थे उन्होंने क्या किया कि फर्जी इन्दराज करवाए। कहीं तो ठाकुर जी के नाम पर, कहीं पर मन्दिर के नाम पर, कहीं पर मस्जिद के नाम पर, कहीं पर पोती के नाम पर, कहीं पर पोते के नाम पर, कहीं पर कुत्ते के नाम पर, कहीं पर बिल्ली के नाम पर इन लोगों ने जमीनें चुरा लीं। जनता पार्टी ने मान्यवर, क्या किया कि उस मंगल देव विशारद की रिपोर्ट को कारगर रूप से लागू करने का निर्णय लिया। जनता पार्टी कमलापति त्रिपाठी जी और सुरेन्द्र सिंह मजीठिया की जमीनों को लेकर भूमिहीनों में बांटना चाहती है। इसलिए उनको परेशानी हो रही है। परेशानी इसलिए है कि कहीं वह जमीन न निकल जाय।

श्रीमन्, अब मैं आता हूं चीनी निगम पर। मुझे अफसोस है कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने इतने बड़े उद्योग का इस बजट में कहीं जिक्र नहीं किया। बजट में कहीं उसकी चर्चा भी नहीं है। चीनी और गन्ने के बारे में हमारे वित्त मन्त्री जी ने कुछ नहीं कहा। इस सम्बन्ध में मैं श्रीमन्, आपको कुछ मिसाल देना चाहता हूं कि चीनी निगम की क्या स्थिति है। यहां एक श्री धनानन्द उपाध्याय और श्री गोपाल दत्त उपाध्याय लिपिक और प्रचार निरीक्षक के रूप में नियुक्त हुए। ये तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी के निकट के सम्बन्धी हैं, उनके रिश्ते के हैं। इन दोनों की नियुक्ति लिपिक और प्रचार निरीक्षक के रूप में हुई और आज यह बन गए हैं क्लास वन आफिसर और 18 सौ रु0 वेतन पा रहे हैं। इसी तरह से मैं श्रीमन्, आपको बताऊं कि 58 साल में लोगों की नौकरी खत्म हो जाती है लेकिन गन्ना विभाग में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 58 वर्ष हो गए लेकिन वह काम पर लगे हुए हैं और वह अभी तक निकाले नहीं गए हैं। मैं जनता पार्टी के मन्त्री से चाहूंगा कि वह ऐसे लोगों को निकालें।

श्रीमन्, गन्ने के बारे में नीति निर्धारण करने के लिए एक भार्गव कमीशन बैठा था उसने दो हिस्सों में इसे बांटा है एक चीनी के दाम के बारे में और एक गन्ने के दाम के बारे में। मैं सरकार से चाहूंगा कि गन्ने के दाम तय करने के सम्बन्ध में वह इन दोनों का ध्यान रखे। श्रीमन्, मैं जल्दी में कहूंगा।

अब रोडवेज का सुन लें। वहां पर क्या हुआ? 1971–72 में मुख्यालय में चार लाख 29 हजार रु0 मुख्यालय का खर्च होता था इस समय श्रीमन्, 1976–77 में वह खर्चा है 65 लाख। उस समय यहां पर स्टाफ कार 3 थीं और इस समय 20 हैं। उस समय इसमें 15 अधिकारी थे और इस समय 45 अधिकारी हैं। श्रीमन्, संजय गांधी को

खुश करने के लिए माननीय नारायण दत्त तिवारी ने मारुति कम्पनी को ठेका दिलवाया और मारुति की जांच के लिए आफिसरों को भेजा और जब वह लौटकर आए तो उन्होंने कानपुर की दो फैक्ट्रियों को बन्द करवा दिया। और मारुति से बसों की बाडी बनवाई 45 हजार में जबकि रोडवेज के फैक्ट्री में वह 29 हजार में बनती थी। 45 हजार की बाडी मारुति से खरीदी गयी। आज रोडवेज टूटने की स्थिति में है। श्रीमन्, जब संजय गांधी का दौरा हुआ .....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री हरि केवल प्रसाद—

संजय गांधी के दौरे में इस प्रदेश का 80 लाख रुपया खर्च हुआ। 80 लाख रुपया प्रदेश के खजाने का संजय गांधी के दौरे में खर्च हुआ और आज यह सरकार हरिजनों की हमदर्द बनती है। आप देखें जनता पार्टी से नाराज होने वालों ने क्या किया? देश के बड़े-बड़े पूंजीपति और अफसर लोग जनता पार्टी के घोषणा-पत्र को देखकर उससे नाराज हो गए हैं। इन दोनों ने आपस में गठबन्धन कर लिया है। इसके फलस्रूप बड़े अधिकारियों ने क्या किया—इधर के लोगों को उधर ट्रान्सफर कर दिया और उधर के लोगों को इधर ट्रान्सफर कर दिया और तमाम कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से केवल परेशान करने के लिए अस्त व्यस्त करके रख दिया। उन्होंने सोचा इससे मन्त्री लोग इन लोगों का ट्रान्सफर रोकने के नाम में ही फंस कर रह जाएंगे। पूंजीपतियों ने आवश्यक चीजों के दाम बढ़ा दिए, जिससे जनता पार्टी की इमेज थोड़ी गिरी। मैं तो कहूंगा कि यह शासन तो केवल मुख्य सचिव चलाते हैं। यह कैसे? मुख्य सचिव जो हैं वह लोहिया जी के सपने को पूरा करने वाले, सीधे-साधे मुख्य मन्त्री को पा गए हैं और वह जनता पार्टी के मुख्य सचिव नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि 10 मिनट के स्थान पर दो-तीन या चार मिनट भले ले लिया करें, जो दिए जाते हैं, लेकिन जब 10-12 या 14 मिनट हो जाएं, तो वह अवश्य अपना स्थान ग्रहण कर लिया करें।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उस बजट का समर्थन और स्वागत करने से लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट में मुख्य रूप से जो ध्यान गया है, वह शहरों की अपेक्षा गांव की तरफ, धनी लोगों की अपेक्षा गरीबों की तरफ और बड़े कर्मचारियों की अपेक्षा छोटे कर्मचारियों पर ध्यान दिया गया है। इसलिए यह एक क्रान्तिकारी बजट है। हम यह देखते हैं कि छोटे किसानों की तरफ ध्यान देकर अलाभकर जोतों पर से 3 1/8 एकड़ तक की जोतों से लगान माफ कर दिया गया है। बड़े किसानों की तरफ इस बजट में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही खाद के लिए जो छूट दी गई तथा राजकीय सहायता का प्राविधान किया गया है वह भी 20 परसेन्ट छोटे किसानों के लिए किया है और भूमिहीनों के लिए जिनको अब भूमि आबंटित की गई है, उनके लिए 30 प्रतिशत राजकीय सहायता की व्यवस्था इस बजट के द्वारा की गयी है। इससे स्पष्ट है कि बड़े किसानों की अपेक्षा छोटे किसानों को इस बजट में ज्यादा मौका दिया गया है। इसी तरह से छोटे किसानों तथा सीमान्त किसानों के लिए यह भी

[श्री बदन सिंह]

प्राविधान किया गया है कि वे अपने निजी सिचाई के साधन बनाने के लिए राजकीय सहायता पा सकेंगे।

इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े-बड़े प्रोफेसरों और दूसरे लोगों की अपेक्षा छोटे अध्यापकों, जो बेसिक शिक्षा के अध्यापक हैं, उनके लिए चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा का प्राविधान किया गया है। यदि पुलिस विभाग को लेते हैं, तो उसमें भी बड़े अफसरों की अपेक्षा जो चौकीदार था, और जिसका ग्रामीण शान्ति एवं व्यवस्था में एक प्राथमिक और महत्वपूर्ण स्थान है उसको अभी तक 10 रुपया मासिक वेतन मिलता था, उसके वेतन में 5 रुपए वृद्धि करके इस ओर एक अच्छा कदम उठाया गया है। छोटे लोगों को इस बजट में देखा गया है, उनकी तरफ सरकार का ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसी तरह से जो कांग्रेसी खेती की तरफ ध्यान नहीं दे सके थे, हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने इस खेती की तरफ ध्यान दिया है। कांग्रेसी शासन में खाद के सम्बन्ध में वह यह करते थे कि खाद के कट्टों में राख, बजड़ी और इसी प्रकार के अन्य पदार्थ भरवा कर किसानों को धोखा देते रहते थे। खाद जो बोने के समय आवश्यक थी वह उस समय मिलती थी जब बोने का समय निकल जाता था। यूरिया खाद जो टाप ड्रेसिंग के लिए आवश्यक होती है उसको बोने के समय कृषि भंडारों में भेज दिया करते थे। लेकिन इस बजट में मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है कि खाद के वितरण की योजना को सही रखा जायगा। जिस खाद की आवश्यकता जिस समय होगी, बोने के समय बोने की खाद और टाप ड्रेसिंग के समय टाप ड्रेसिंग की खाद प्रदान की जाएगी। इसी तरह से इसमें एक यह भी प्राविधान किया गया है कि अब तक जो पेन्शन राज कर्मचारियों को मिलती थी उसके कागजात तैयार नहीं होते थे। लेकिन अब मन्डल आयुक्तों के कार्यालय में एक पेन्शन निरीक्षक नियुक्त कर दिया जायगा। पेन्शन के सम्बन्ध में जो भी परेशानियां होंगी, पेन्शन के कागजों को तैयार कराके वहां दूर कर दी जायेंगी। सुगमता से पेन्शन प्रदान करा दी जायेंगी।

इसके साथ-साथ इस बजट में कुछ बातें छोड़ भी दी गयी हैं उनकी तरफ भी संकेत करना चाहता हूं और वह ये बातें हैं।

पर्यटक स्थानों की तरफ इस बजट में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। जो कोई विदेशी भारत की धरती पर उतरेगा तो उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुत से पर्यटक स्थान हैं विशेषकर आगरा का नाम लिया जा सकता है, अवश्य ही वहां पर पहुंचेगा। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करुंगा कि पर्यटक स्थानोंके लिए भी इसमें धन होना चाहिए जिससे पर्यटक स्थानों को आकर्षक बना सकें जिससे विदेशों से आने वाले पर्यटकों से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आगरा जिले में जो कोई भी आगरा जायगा वह फतेहपुर सीकरी के ऐतिहासिक भवनों को देखने के लिए अवश्य जायगा। फतेहपुर जाने के लिए पर्यटकों की जो कठिनाई है वह यह है कि वहां पर एक गिलास पानी आठ आने में मिलता है। हम चाहते हैं कि पर्यटकों के रहने, भोजन आदि की व्यवस्था के लिए यदि अच्छी तरह से व्यवस्था की जाय तो उसका आकर्षण अधिक बढ़ेगा और हम उनसे एक अच्छी खासी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा में एक सूरकुटी स्थान है जो महाकवि सूरदास की

जन्मस्थली है। जो कृष्णपूजक हैं उनके लिए वहां एक विशेष आकर्षण का स्थान है। उस स्थान से फतेहपुर सीकरी जो सम्राट अकबर के ऐतिहासिक भवन बने हुए हैं वहां पर कोई पर्यटक जाना चाहेगा तो पहले आगरा जायेगा फिर फतेहपुर सीकरी जायगा। यह सैकड़ों किलोमीटर का चक्कर काट कर जायगा। फिर वह रात्रि विश्राम आगरा में करेगा। इसलिए शासन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह एक ऐसी सड़क निर्माण कराएं जो सूरकुटी से फतेहपुर सीकरी को सीधी किरावली होकर जाय जिससे फतेहपुर सीकरी देखकर विदेशी पर्यटक आगरा में ठहर भी जायं और ऐतिहासिक स्थानों को देख भी सकें। यह सड़क इस क्षेत्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि राष्ट्रीय मार्ग नं0 2 और 11 का मिलान हो जाएगा अगर यह सड़क बन जाएगी तो इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र इस प्रकार का क्षेत्र है जो बाढ़ के कारण प्रभावित हो जाता है लेकिन इस बजट में केवल 10 करोड़ की धनराशि रखी गयी है तो बहुत ही कम है। इसलिए हम शासन से यह आग्रह करते हैं कि बाढ़ नियन्त्रण की ओर अधिक ध्यान दिया जाए। अगर बाढ़ का नियन्त्रण कर दिया जाए तो जो करोड़ों रुपयों की फसल नष्ट हो जाती है वह बच जाएगी। 3 वर्ष के अन्दर हम पेय जल की समस्या को दूर करेंगे यह कहा गया है। तहसील किरावली (आगरा) ऐसी है जहां पर लोगों को पीने के पानी की सुविधा नहीं है वहां का पानी खारा है। वहां भी पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री बदन सिंह––

मैं इन शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत है उसकी आलोचना के लिए खड़ा हुआ हूं और विरोधी पक्ष की तरफ के इसका विरोध इसलिए तीव्र रूप से नहीं कर रहा हूं कि कुछ बातें जनहित के लिए भी रखी गयी हैं। जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है तो उसमें देखा जाए कि वित्त मन्त्री ने कहा कि कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है लेकिन इसी बजट में लगान की बढ़ोत्तरी करीब 17-18 करोड़ रुपये की गयी है। यही नहीं स्टैम्प फीस में भी 10 करो रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। सेल्स टैक्स नहीं हटाया गया है। मद्य-निषेध जो इस प्रदेश का और प्रधान मन्त्री का लक्ष्य था वह नहीं खत्म हुआ। लोक नायक जय प्रकाश नारायण और डा0 लोहिया का विचार था कि भूमि सेना बनाई जाय परन्तु बजट में उसका जिक्र भी नहीं किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट वैसा है जैसा कि देहात में कहावत है कि नरम शासक और गरम बनिया और शरमदार पतुरिया, यह चीज हो तो काम नहीं हो सकता है। वैसे ही यह सरकार है। यह तीनों चीजें खराब हैं।

एक सदस्य––

आप अपने भी पेशे को बता दीजिए।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

आपने तो रास्ता बदल किया। मैं तो एक ही पेशे पर खड़ा हूं और जीवन भर खड़ा रहूंगा। आज कहा जा रहा है, हरिजनों की बात कही जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि 30 वर्ष की अवधि के अन्दर हरिजनों के लिए जो कांग्रेस सरकार ने किया है क्या वह किसी और सरकार ने किया है? जहां तक हम लोगों की पढ़ाई लिखाई का सम्बन्ध है अंग्रेजी साम्राज्यशाही के समय में हमें टाट पर बैठने तक नहीं दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। आज वे सारी चीजें आपके सामने हैं, आज हरिजन जज, कलेक्टर, आयुक्त और बड़े-बड़े पदों पर विराजमान हैं। आज इस जनता सरकार में जितने हरिजन अधिकारी हैं, वे भयावह हैं, उनकी नौकरियों के लाले प[illegible] रहे हैं, वे परेशान हैं। बहुत से हरिजनों को सस्पेन्ड भी किया जा रहा है। आज इस जनता पार्टी की सरकार में, जब ऐसा व्यवहार अधिकारियों के साथ किया जा रहा है तो जो हमारी गरीब जनता है, देहात में रहती है, मजदूरी पर अपना जीवन निर्वाह करती है, उनके साथ क्या होता होगा? उधर हमारे भाई हरी सिंह जी बैठे हैं, ये भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 30 वर्ष की अवधि में 13-13 हरिजनों को कहां पर एक साथ जिन्दा जालया गया। यह आज की सरकार का जमाना है माननीय लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी के प्रदेश बिहार में हुआ है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हरिजनों पर जो जुल्म हो रहे हैं, वे बेमानी हैं, गलत हैं या सत्य हैं।

अब मैं अपने क्षेत्र की एकन्दो बातें बताना चाहता हूं। हाल ही में हमारे जिले गोन्डा में 16 तारीख को सड़क के वरीयता के सम्बन्ध में एक मीटिंग वहां के जिलाधीश ने बुलाई उसमें उनके अतिरिक्त गोंडा के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ता भी थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस मीटिंग की मुझे सूचना तक नहीं दी गई जबकि मैं गोण्डा ही में मौजूद था। इस समय सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी तो उपस्थित नहीं हैं लेकिन सिंचाई मन्त्री माननीय बलबीर सिंह जी उपस्थित हैं, मैं उनसे आशा करता हूं कि वे मेरी बात को सुनकर उन तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। हमारे यहां पर एक स[illegible]क है जो मनकापुर से बभनान तक जाती है। उस पर 1 बैलगाड़ी टूट गई और 2 बैल मर गए। यह सड़क अधूरी पड़ी है, इस पर रो[illegible]ी प[illegible]ी है, खडंजा लग गया लेकिन अभी तक भी इसको पक्का नहीं किया गया है। वहां पर स्वामी नारायण का जन्म स्थान है और जिस स्थान पर 2 मील दूर तक महाराजा दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर से मारा था, उस स्थान के श्रवण पाकड़ महत्व को देखते हुए जहां पर दक्षिण के लाखों लोग आते हैं और सरकार को बहुत पैसा यात्रा-कर तथा रेलवे भा[illegible]ा से प्राप्त होता है। उस सड़क की ऐसी दुर्दशा हो, बड़े दुःख की बात है। मैं प्रार्थना करूंगा कि उस सड़क को पक्की बनाने की यह सरकार कृपा करे ताकि वहां पर यातायात सुलभ हो सके।

आज गांव में जो भूमि आबंटित हुई थी, 30 तारीख की बात है, यह हाल ही की बात है। भूमि आबंटन के सम्बन्ध में कुछ हरिजन जाटव गोंडा जिले की तहसील उतरौला है वहां जाकर उन्होंने तहसीलदार के सामने एक अरजी रखनी चाही। उन आदमियों की संख्या 10-15 आदमियों की। वहां जाने के बाद तहसीलदार ने इस युग में जब-कि छुआछूत की बात नहीं माननी चाहिए उन लोगों से कहा कि चमारो, तुम्हारी यह हिम्मत कि यहां पर चढ़ जाओगे और वह स्वयं उठा और चपरासियों से धक्के देकर उन लोगों को

तहसील के बाहर कर दिया। उन लोगों ने दिनांक 2 अगस्त, 1977 को सत्याग्रह के रूप में आमरण अनशन आरम्भ किया, जिलाधिकारी और परगनाधीश के सामने मामला आया। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तहसीलदार को शीघ्र से शीघ्र हटाया जायगा, परन्तु उसको अभी तक हटाया नहीं गया। आज भी वह वहां मौजूद है और इस तरह के अत्याचार वह हरिजनों के साथ कर रहा है। उसकी कोई रोकथाम नहीं की जा रही है जबकि जिलाधिकारी ने भी उस के ट्रान्सफर के वास्ते सिफारिश की है। तो इस सरकार के सामने यह ज्वलन्त प्रमाण है जो मैं रख रहा हूं।

एक बात और कहना है। यह प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोन्डा)—

5 मिनट और दे दीजिए। बड़ा गम्भीर विषय है। मुझे आप से कहना है कि इस प्रदेश में समस्या यह है कि यह बहुत लम्बा चौड़ा प्रदेश है। शासन भी लखनऊ में बैठ कर इतने लम्बे चौड़े प्रदेश को न मुख्य मन्त्री देख सकते हैं, न चीफ सेक्रेटरी देख सकते हैं। सिर्फ कागज का आवा गमन रहता है और आज हमारे यहां मनकापुर तहसील को बनाने का पिछली सरकार ने वादा किया था। इस सरकार ने उस तहसील को बनाने का कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने मुझे लेटर लिखा है, हमने उनको लिखा था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि राजस्व विभाग को हमने कागज भेज दिया है और वहां तहसील जरूर खुल जायगी। तो मुझे आशा है कि यह सरकार उसे करेगी।

इसके साथ ही साथ इस प्रदेश के बारे में माननीय गृह मन्त्री चौधरी चरण सिंह जी ने इसी सदन में कहा था कि इस प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। आज वह युग आ गया और इतने बड़े प्रदेश का प्रशासन ढीला चल रहा है, उसको देखते हुए इस प्रदेश का अवश्य बंटवारा होना चाहिए। यदि इस प्रदेश की भलाई करनी है और जनता के हितार्थ कार्य करना है तो बंटवारा अवश्य होना चाहिये और पूर्वी, पश्चिम दो प्रदेश होने चाहिए। इस कार्य से 10 करोड़ जनता के हितार्थ और लाभ के लिए समझकर अवश्य करें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोन्डा)—

मैं इस बजट का विरोध करता हूं और भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रेवतीरमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, ग्राम्य कल्याणकारी बजट जो पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं और 77 प्रतिशत देहात में रहने वाले ग्रामवासियों के जीवन में यह प्रथम चरण क्रान्ति का प्रवेश कर रहा है, इसका यह बजट संकेत भी दे रहा है। मगर इसके साथ मैं कुछ निवेदन भी करना चाहता हूं।

श्री चेतराम गंगवार—

कहीं गांव में रहते हैं?

[श्री रेवतीरमण रस्तोगी]

जरा सुनिए प्यारे ! नारायण के भक्तो सुनो ! ! पेयजल की व्यवस्था की दृष्टि से अभी चर्चा चली है। कदाचित् लगभग 2 हजार गांवों के अन्दर ही जल का प्रबन्ध किया गया है। सच बात है, जल वही पिला सकता है जिसमें जल है, पानी है। जिसमें पानी नहीं है वह पानी पिलाएगा तो कहां से ? अब क्रान्ति का समय आया है, सभी गांवों के अन्दर पानी का प्रबन्ध होने वाला है तीन वर्ष के अन्दर। लेकिन इस सम्बन्ध में कानपुर को मत भूलिए। वहां भी 800 प्राइवेट हाते हैं। और प्राइवेट के नाम पर 50 साल से वहां पानी का कष्ट उठा रहे है। वह बड़े-बड़े हाते हैं जहां लगभग 10 हजार की आबादी रहती है। केवल 77 प्रतिशत का ही ध्यान मत रखिए, 23 प्रतिशत का भी ध्यान रिखए। तब यह ग्राम कल्याण न हो कर जन कल्याण के मार्ग पर बढ़ेगा। यह शरीर भी 11 बार जेल में रहा है सन् 1948 से ले कर आपातस्थिति तक कानपुर के जेल में और वहां की छोटी सी टोंटी जिसके अन्दर जल भी पीने और नहाने के लिए नहीं मिलता और वहां की वह मैनुअल जो अंग्रेजों के जमाने की है, जब जेल मे जाना पड़ता था तो वहां का चित्र देखने के बाद मन में यह भाव उठता था कि भविष्य में वहां जल मिले और मैनुअल भी शुद्ध हो जाय।

(इस समय 3 बजकर 52 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन : पीठासीन हुए।)

शिक्षा के विषय में शिक्षा मन्त्री से निवेदन करना है कि संस्कृत पाठशालाओं एवं अरबी मदरसों में कर्मचारियों एवं अध्यापकों के लिए लाभत्रयी योजना लागू करने की बात कही गयी है। मेरा निवेदन है कि इसमें उर्दू स्कूलों का भी समायोजन किया जाय।

बिक्री-कर के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि यह खाद्यान एवं तेल से हटाना बिक्री-कर जनता के कल्याण के लिए भी होगा और भाव भी घटेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी तक जो 25 हजार तक की बिक्री करने वाले बिक्री-कर से मुक्त हैं यह मुक्ति 50 हजार तक हो जाय, क्योंकि 50 हजार तक बिक्री करने वालों के पास इतने साधन नहीं हैं कि वे एकाउन्ट्स मेन्टेन कर सकें। दूसरे, मेरा निवेदन है कि 1 लाख तक के रिटर्न जो भर कर भेजे जाते हैं उसमें स्वविवेक का प्रयोग न किया जाय। स्वविवेक आधार पर सेल्स-टैक्स अधिकारी मनमानी करते हैं और व्यपारी परेशान होता है। व्यापारी को कोसा जाता है कि वह सेल्स-टैक्स नहीं देता, गलत मार्ग पर जाता है मगर अधिकारी अपने दामन को भी तो देखें कि उनके दामन में कितने दाग हैं। व्यापारी अब भी शुद्ध है। जैसे शरीर के अन्दर वितरण की व्यवस्था पेट करता है, यहीं से उत्पादन और वितरण होता है वही काम व्यापारी का है। अगर हमें समाज में परिवर्तन लाना है तो व्यापारी को भी सम्मान देना होगा। उसे सम्मान कैसे प्राप्त होगा। वाणी की विशुद्धता एवं समरसता के आधार पर। इसी तरह से 1 हजार जिसको सेल्स टैक्स देना पड़ता है वर्ष में केवल एक बार उनको रिटर्न भरना पड़े। इसमें त्रैमासिक रिटर्न से उनको मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो प्रदेश हमारे प्रदेश से लगे हुए हैं हमें विचार करना पड़ेगा कि उन प्रदेशों और हमारे प्रदेश में सेल्स टैक्स के क्या रेट हैं। हमारे प्रदेश में अगर बिक्री कर ऊंचा है तो स्वाभाविक है कि प्रदेश के व्यापार में अन्तर आएगा। व्यापारी दूसरे प्रदेशों से माल लायेंगा। जो कारखाने यहां लगे हुए हैं उनके दाम मंहगे पड़ेगे तो स्वाभाविक

है कि प्रदेश में व्यापार में हानि होगी, यानी उत्पादन नहीं बढ़ेगा और प्रदेश की तरक्की नहीं होगी। इन सब दृष्टियों से विचार करना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश में कर की क्या प्रणाली है। जब तक सेल्स टैक्स को समाप्त नहीं करते तब तक हमको इन सब बातों को मद्देनजर रखना होगा। वित्त मंत्री कह सकते हैं कि आप हर चीज में कटौती चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आप बजट में आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। वह कैसे बढ़ा सकते हैं? हमारा लक्ष्य यह भी है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। अगर सेल्स टैक्स के अधिकारी या वे अधिकारी जो कर एकत्र करते हैं, उनकी सम्पत्ति का ब्योरा उनसे लिया जाय। कभी ऐसे बड़े अफसरों के घर का निरीक्षण किया जाय, रेड नहीं, निरीक्षण किया जाय। इससे एक आतंक पैदा होगा, वे शुद्ध होंगे। उससे कर की वसूली जो होंगी वह अधिक होगी और आमदनी बढ़ेगी और बजट में जो लिखा है वह आमदनी उससे आगे बढ़ेगी। सितम्बर, 1974 का थोक भाव सूचकांक 475.3 था और इस चालू समय में सूचकांक 331.8 है। मेरे उधर के बैठे हुए साथी बहुत शोर मचा रहे हैं, मंहगाई का मार सितम्बर, 1974 में हुकूमत में कौन बैठा था? आप अपने को देखें और पहचानें। वह इतना ही निवेदन है और इतना कहते हुए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, वक्ता महोदय ने अभी कहा कि मैं जनसंघ दल का सदस्य। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य जनसंघ के सदस्य हैं?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। श्रीमन्, मैं बहुत सुन रहा हूं, इस बजट के लिए कोई तो क्रान्तिकारी बजट कह रहा है, कोई कह रहा है बजट बिलकुल शून्य है। लेकिन मैं अपनी परिभाषा में कहूं तो यह बजट ठोस धरातल पर बना हुआ है और यह काल्पनिक बजट नहीं है। जहां इस बजट में शहरों की ओर ध्यान दिया गया है, वहां इस बजट का लक्ष्य गांवों की ओर है। और जैसा जनता पार्टी चाहती थी और गांधी जी की जो आवाज थी कि गांवों की ओर चलो, इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से वित्त मन्त्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीमन्, बजट के बारे में पूरा अध्ययन तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने किया है लेकिन एक सदस्य को जितना भी अध्ययन करना चाहिए था वह मैंने अध्ययन किया है। सबसे बड़ी घोषणा जो मैंने इस बजट में देखी वह पेयजल समस्याओं को हल करने के सम्बन्ध में है। हमारी सरकार पेयजल समस्या को मिटाने के लिए कटिबद्ध है। हमारे माननीय पर्वतीय विकास मन्त्री श्री जीना साहब ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हम 2 वर्ष के अन्दर सारे प्रान्त की पेयजल समस्या को हल कर देंगे। श्रीमन्, पहाड़ के निवासियों को जिनके यहां पानी की कमी नहीं है, गंगा, अलकनन्दा, भागीरथी, जमुना और झरने वहां हैं। लेकिन वहां की जमीन ऊबड़ खाबड़ होने के कारण जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। और 2–2 मील पानी के लिए जाना पड़ता है। मैंनें कहीं पढ़ा था।

[श्रीं भगवती चरण निर्मोही]

आठ मास जीता है चातक अपने धन का ध्यान किए,
आशा में निज घनश्याम की हमने वर्षों बिता दिए ।

हमने वर्षों बिता दिए हैं, पानी की आशा में । जल जिसे जीवन कहा जाता है, यह जीवन हमारे लिए उपलब्ध नहीं है ।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार को यह देखना चाहिए कि साल के अन्त तक कितना कार्यान्वियन किया गया है । कितना बजट साल भर के लिए, किस जिले के लिए था, कितना लैप्स हो गया है, दुरुपयोग हुआ है या सदुपयोग हुआ है, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि साल भर के अन्त में एक छोटी सी पुस्तिका तैयार की जाय कि जिस जिले में जो लक्ष्य रखे गए थे उन लक्ष्यों की पूर्ति कितनी हुई है और कितने काम रह गए हैं । जैसा मैंने देखा कि हमारे यहां कुछ सड़कें बन रही है, जो प्लान की सड़कें है और जिनका बजट केन्द्र से है । फिलहाल इन सड़कों का काम बन्द कर देने के आदेश हुए हैं इसलिए जनता में बड़ा रोष है कि बीच में काम कैसे बन्द कर दिया गया है । मान्यवर, हमारे यहां सड़कों की नितान्त आवश्यकता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है । मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैंने पहले भी इस सदन में कहा था । भारतवर्ष में जब श्रमदान का आन्दोलन चला तो हमारे यहां चीनकोट परगने में महिलाओं, बूढ़ों, बच्चों और नौजवानों ने 20–20 कि0 मी0 की दो सड़कें श्रमदान से बनाईं ।

भारतवर्ष में एक इतिहास है, आज भी इसकी तारीफ होती है कि वह पिछड़ा हुआ हिस्सा आगे बढ़ गया । लेकिन उन सड़कों की यह दुर्दशा ह कि अभी तक मरम्मत नहीं हुई है । वहां लोग धूल फांक रहे हैं । तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि श्रमदान को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी मरम्मत कराई जाय और उनको पक्का बनाया जाय । एक चीज की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित कराना चाहता हूं । श्रीमन्, बाढ़ आती है, बाढ़ का जिक्र आता है । हमारे देश में बराबर बाढ़ आती है यह हमारा दुर्भाग्य है कि फसलों का नुकसान होता है और भी बहुत नुकसान होता है । लेकिन एक नयी चीज जो अभी तक सदन के सदस्यों को भी मालूम नहीं होगी कि हमारे यहां जो बाढ़ आती है उसको 'पैरा' बाढ़ कहते हैं । सुनने में अटपटा लगता है कि यह पैरा बाढ़ क्या होती है ?

वहां मेंड़ें होती हैं । पहाड़ों पर जो गए होंगे तो देखा होगा कि एक खेत के ऊपर दूसरा खेत और दूसरे के ऊपर तीसरा खेत इसी तरह से सैकड़ों खेत चले गए हैं । लेकिन बरसात में यदि ऊपर का खेत गिरता है तो नीचे के 5–10 खेत भी टूट जाते हैं । जब खेत टूट जाते हैं तो वह लोग सारा समय और परिश्रम उसमें लगाते हैं । मैं नहीं चाहता कि हमारी सरकार उनको अनुदान दे लेकिन उन गरीब लोगों के लिए कुछ ऐसे ऋण की व्यवस्था हो जाय जो कम ब्याज पर मिले या साल–दो साल बिना ब्याज पर सहायता की जाय । इसलिए पैरा पीड़ितों पर सरकार ध्यान देगी ऐसी मुझे आशा है । मैंने बजट में देखा तो उद्योग धंधों के लिए तो राशि रखी गई है लेकिन सर्वे आदि का ध्यान नहीं रखा गया । इसलिए आपको सर्वे करना होगा कि कौन उद्योग कहां सफल होगा । गढ़वाल जिले में ताम्बे और पीतल

के बरतन पहले बनते थे। इसके अलावा सुन्दर-सुन्दर गगरिया और ढोल आदि भी बनते थे। थे। लेकिन आज उन कारीगरों के पास पैसा नहीं है। वह बरबाद हो गए हैं। वह ताम्बा और पीतल नहीं खरीद सकते। इसलिए यदि सहकारी समितियां बनाई जायं तो वह सहकारिता के आधार पर ताम्बे और पीतल के बरतन का काम करें तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। वह हरिजन लोग हैं। आज उनकी दशा गिर चुकी है। श्रीनगर में चमड़े का काम अच्छा होता था लेकिन धन के अभाव में वहां के लोग भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए उद्योग धन्धे खोले जायं तो जहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल सके वहीं खोले जायं न कि ऐसे उद्योग धन्धे खोले जायं जो कि आगे चलकर चौपट हों।

श्रीमन्, हमारे वहां खेती बाड़ी का प्रश्न है। तो जहां खेती उपजाऊ नहीं होती है, जैसे क्षंगोरा जिसको यहां सांवा कहते हैं हमारे यहां बोया जाता है वह अच्छी मात्रा में पैदा नहीं होता है, तो उस जमीन पर एक चीज उपयोगी हो सकती है जैसे फलोद्योन लगाए जायं। लेकिन उनको उपयोग में लाने के लिए सड़कें नहीं हैं। यदि सड़कें नहीं हैं तो फल जैसे सेब अखरोट, खूबानी आदि गांवों से 20–20 रुपए मन के हिसाब से बाजार में पहुंचाना प ता है तो बाजार में जो सेब दूसरी जगह से रेलगाड़ी से आयेंगे उनके मुकाबले उनका व्यापार वहां ठहर नहीं पाता है। इसलिए बगीचे लगाने का उपयोग तभी है जबकि वहां सड़कें बनें।

श्रीमन्, हमारे वहां पहले क्रैश प्रोग्राम से सड़कें बनी थीं लेकिन आज उनकी दशा खराब है। मैं समझता हूं कि सरकार का वह पैसा जो सड़कों को बनाने में लगा था, बरबाद हुआ। उन सड़कों पर आज मोटरें बिल्कुल नहीं चल रही हैं। यदि उस पैसे का सरकार को सदुपयोग करना है तो क्रेश प्रोग्राम की सड़कों को पूरा-पूरा बना देना चाहिए। यदि उनको लिंक रोड़ बनाना है तो कम से कम एक सड़क से दूसरी सड़क जहां मिले वहीं तक बनवा दें जिससे पैसे का सदुपयोग होगा। इसके साथ ही मैं पुन: बजट का समर्थन करते हुए आभार प्रकट करना चाहता हूं और चाहता हूं कि जैसे बजट के आंकड़े हैं उनका कार्यान्वयन हो और उनकी देख रेख हो। सरकार तो सब कर देती है लेकिन जिन अधिकारियों पर कार्यान्वयन का भार है उनकी भी देख-रेख जरूरी है ताकि सब सावधान रहें। एक प्रश्न और है। हमारी सरकार कल कारखाने खोलती है, बड़े-बड़े बांध बनाती है। मैं मानता हूं कि देश की चौमुखी उन्नति होनी चाहिए। कुरता है तो पाजामा चाहिए और टोपी भी चाहिए, तभी सजावट हो सकती है। लेकिन सामान्य जनता यह नहीं देखती कि कितने बांध बन रहे हैं। वह देखती है कि हमें अन्न, वस्त्र मिल रहा है या नहीं। इसलिए यह जो मंहगाई है इसको रोकने की ओर सरकार ध्यान दे जिससे जनता, जनता पार्टी के और अधिक निकट आ सके।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट चर्चा में भाग लेने का समय दिया। मान्यवर, माननीय वित्त मन्त्री दिघे जी से पुराना परिचय है क्योंकि दो तीन बार उनके साथ सदन का सदस्य रह चुका हूं। यह सोशलिस्ट व्यक्ति है लेकिन यह किसान विरोधी बजट....

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

यह सोशलिस्ट को क्या समझेंगे।

श्री चेतराम गंगवार —

मान्यवर मैं कह रहा था कि यह किसान विरोधी और मजदूर विरोधी बजट कहां से ले आए। मुझे तो ताज्जुब होता है। मैं अखबारों में पढ़ा था कि भूतपूर्व वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री से इन्होंने परामर्श किया और उसके बावजूद ऐसा बजट रखा जिसमें किसान और मजदूर के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे कुछ साथी उधर बैठे हैं। मैंने पूछा तो बताया कि दिघे जी की नहीं चल रही है। कुछ ऐसे गठबन्धन हैं जो पूंजीपति हैं और इनकी नहीं चल पा रही है। इस बजट पर हस्ताक्षर तो इनके हैं लेकिन बनाया दूसरों ने है। मान्यवर, तिवारी मन्त्रि मण्डल ने डिवीजनल बैठकें करके जगह-ब-जगह जाकर कुछ निर्णय लिए थे जैसे रुहेलखण्ड में यूनीवर्सिटी खुलेगी, कहीं शुगर मिल खुलेगी, कहीं सड़कें बनेगी। मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहूंगा कि वह कांग्रेस पार्टी का, उसकी नीतियों का विरोध करे लेकिन जो जनहित के कार्य हो गए हैं उनका विरोध न करे वरना जनता आपसे नाराज हो जायगी। कांग्रेस वालों ने तीस वर्ष यही किया कि विरोधी पक्ष को पनपने नहीं दिया। आप भी वही करने जा रहे हैं क्योंकि आप भी पुराने साथी रह चुके हैं। मैं कोई फर्क नहीं समझता चाहे चरण सिंह हों या मोरारजी देसाई हों। पिछली सरकार में रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। बहुत सी सड़कें स्वीकृत हुयीं। मैंने शिक्षा वालों से बात की कि यूनीवर्सिटी पर क्या हो रहा है। सुपरिण्टेंडिंग इन्जीनियर से बात हुई कि सड़कों के बारे में क्या हो रहा है। उन्होंने आदेश दिखा दिया। लिखित आदेश मैंने देखा कि जो कार्य तिवारी मन्त्रि मण्डल ने स्वीकृत किए थे उनको बन्द कर दिया जाय। इन कामों को आप रोक दें सिर्फ इसलिए कि तिवारी मन्त्रि मण्डल ने स्वीकृत किए थे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। अगर कार्य अच्छा है तो उसको होना चाहिए। विधायक से आप पूछें। अगर आप इस तरह रोक देंगे तो वहां की जनता क्या कहेगी। वह कहेगी कि कांग्रेस का विधायक था तो यह हो रहा था और आज जनता के विधायकों के आने पर कार्य बन्द हो गया। मैंने परसों ही यहां पर जिक्र किया था। यहां पर एक प्रश्न आया था कि मेरठ में तिवारी मन्त्रि मण्डल ने एक बेंच खोलने का निर्णय लिया। हमारे न्याय मन्त्री जी जवाब दे रहे थे कि हम किसी पक्ष में नहीं हैं चाहे खुले चाहे न खुले। मान्यवर मैं खबरदार कर देना चाहता हूं जनता सरकार वालों को चाहे वह चौधरी साहब हों चाहे मोरार जी देसाई साहब हों कि उनको नाक कांग्रेस ने दी है। इन्हें कांग्रेस ने पनपाया है। इस सरकार को चाहिए कि जन-हित का कार्य करें। आज ही आदेश जारी कर दें। हमारे भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं। आज भी मन्त्री हैं शासन में। मेरा नम्र निवेदन है कि आज ही आदेश जारी कर दें कि तिवारी मन्त्रि मण्डल ने जो जनहित के कार्य किए हैं कल से ही उन में कार्य शुरू कर दें।

श्री हिम्मत सिंह—

कोई कार्य तो बतायें जो स्टे हो गया है।

श्री चेत राम गंगवार—

बरेली में यूनिवर्सिटी की बात थी। सिरौली में दो सड़कों का काम बन्द हो गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे कार्य हैं। खुद आपके जिले में रोके गए हैं हिम्मत सिंह जी। मान्यवर इनके शब्द कुछ हैं और परिभाषा कुछ और है। बजट में लिखा है कि हरिजनों तथा

समाज के अन्य कमजोर वर्गों को पूरा संरक्षण प्रदान करना वर्तमान सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है। आप कहते हैं कि शासन को पूरा एहसास है कि इस नई सरकार से सभी वर्गों, विशेषतया पिछड़े और कमजोर वर्गों को बहुत आशाएं और आकांक्षाएं हैं। आप कहते हैं कि सूचकांक सितम्बर, 1974 में अपनी चरम सीमा 475.3 पर पहुंच गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि गांव-गांव, हरिजन-हरिजन चिल्लाते रहते हैं कि हम कोई कल्याणकारी कार्य गांव के लिए कर रहे हैं। कितना पैसा इस वर्ग के लिए रखा है? मान्यवर, मैं सन् 1948 में एस0डी0एम0 डिप्टी कमीश्नर को देख रहा हूं और यहां भी मुझ तीन-चार बार आने का मौका मिला है। मैंने यह देखा कि इनके शब्द कुछ और हैं और परिभाषा कुछ और। करते कुछ और है और कहते कुछ और। हमारे माता प्रसाद जी जो बीस, पचास कलेक्टरों में सबसे अच्छे आदमी थे हमारे जिले के उनको सस्पेंड कर दिया गया। डा0 ए0 के0 सिंह शेडयूल्ड कास्ट के आदमी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या ये माता प्रसाद जी वही हैं जिन्होंने 1975 में बरेली में कोतवाली के पास लड़कों पर गोली चलाई ?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं नहीं जानता वही माता प्रसाद है या दूसरे। मैं कह रहा था कि हरिजन हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। आप हाउस की, एम0एल0एज0 की या एम0एल0सीज0 की एक कमेटी डिप्यूट कर दें जो किसी भी अधिकारी की जांच करे। नतीजा वही होगा जो मैं कह रहा हूं। मान्यवर, इसी तरह जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, हरिजन लोग हैं....

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

आज तक लखनऊ में कोई हरिजन एस0एस0पी0 नियुक्त नहीं हुआ। इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक हरिजन व्यक्ति को लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्री चेतराम गंगवार—

बड़ा तीर मारा आपने। बीसों को सस्पेंड करके एक को एप्वाइन्ट कर दिया।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जन विरोधी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, मंहगाई बढ़ी है। आज तेल है, घी है लेकिन मिलता नहीं है। मिलता भी है तो 12, 13 रुपए प्रति किलो। जब से यह सरकार आई है तो कोई दिवान बिना रुपए लिए रपट नहीं लिखता मान्यवर, कोई लेखपाल बिना रुपए लिए इन्दराज नहीं करता। कोई पेशकार या अहलमद बिना रुपया लिए मुकदमें पर फैसला नहीं लिखता या तारीख नहीं देता। जब से यह सरकार आई है तबसे ये सारी चीजें प्रचलित हो गई हैं? इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है।

एक चीज मैं यह कहूंगा कि यह सरकार जनतन्त्र की हत्यारी है। इन्हीं ने जनतन्त्र के जो प्रेमी थें महात्मा गांधी उनकी हत्या की। अब जिला परिषदों, म्युनिसिपैलिटीज को खत्म करके, टाउन एरियाज को खत्म करके नौकरशाही को उनको सौंप दिया तो यह

[श्री नेतराम गंगवार]

जनतन्त्र की हत्या है। ऐसी हालत में ये देश की रक्षा क्या करेंगे जो अपने साथियों की रक्षा नहीं कर सकते। आपने अध्यक्ष महोदय, स्वयं देखा कि मन्त्रि मण्डल के एक सदस्य ने विभाग के एक दो आदमियों को सस्पेंड कर दिया और वह फाइल जब सेक्रेटरी साहब के पास जाती है तो उनकी बात नहीं मानी जाती है। मन्त्री जी कहते है ऐसी स्थिति में वह मन्त्री रहना नहीं चाहते। उन्होंने रिश्वत लेते पकड़ा है। कोई डाक्टर रिश्वत मांग रहा था किसी मरीज से जिसके प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मन्त्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। जो अपने कुलीग की रक्षा नहीं कर सकते वह प्रदेश में जो 10 करोड़ आदमी रहते है उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? देश में तथा प्रदेश में आप चतुर्मुखी विकास करने की बात करते हैं तो यह जो आपस में विरोध है इसे छोड़ दीजिए और यह कहना छोड़ दीजिए कि कांग्रेस ने यह किया, वह किया। आप यह बतलायें कि आप 80 या 90 प्रतिशत किन-किन गांवों में बिजली दे रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं और ये-ये जनहित के कार्य कर रहे हैं? इन शब्दों के साथ मैं इस जन विरोधी बजट का खुलकर विरोध करता हूं। धन्यवाद।

डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—

[× × ×]

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है। हम लोग बजट पर बोल रहे है क्या एक व्यक्ति एक ही बार बोल सकता है या ज्यादा बार?

श्री अध्यक्ष—

एक बार।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

माननीय सदस्य जो बोल रहे ह वह पहली बार बोल रहे है या दूसरी बार?

श्री अध्यक्ष—

पहली बार बोल रहे है।

डाक्टर जवाहर लाल—

[× × ×]

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं।

डाक्टर जवाहर लाल—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप आहिस्ता बोलिए।

डाक्टर जवाहर लाल—

[× × ×]

नोट—[×××] डा0 जवाहर लाल द्वारा दुबारा भाषण देने के कारण उनका भाषण श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

श्री शतरुद्ध प्रकाश ने अभी आपत्ति ठीक उठाई थी। मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने भूल की। 29 तारीख को वह बोल चुके थे और एक ही मर्तबा उनको बोलना चाहिए था।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

श्रीमन्, 29 अगस्त, 1977 के कार्यवृत में स्पष्ट लिखा हुआ है. . ..

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूं। जवाहर लाल जी यह आपकी तरफ से अनुचित था।

श्री राजेन्द्र कुमार—

तो श्रीमन्, जो शतरुद्ध प्रकाश जी ने क्षमा-याचना की, उसको कार्यवाही से निकाल दीजिए।

***श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)†—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तमाम लोगों ने इस पर चर्चा की, लेकिन इसका क्या गुण दोष है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूरी चर्चा में हरिजन वाली बयार ही बही है। यह बयार किस कारण बही है, इसका पता नहीं। हरिजन बहुत सताया गया है, वह आर्थिक और सामाजिक दशा में बहुत पिछड़ा हुआ है, उसकी कहीं इज्जत नहीं है, इस तरह की बातें बार-बार कहकर, उनके प्रति बड़ा दुख-दर्द दिखाया गया है। मैं समझता हूं कि इस सबकी एक ही वजह है कि हरिजन के पास एक चीज है और वह है उसका वोट। उसी की बड़ी कीमत है और उसी को लूटने के वास्ते लोग हरिजनों का नाम लेते हैं। हम तो देखते हैं कि जो लोग यहां हरिजनों के वास्ते बड़े घड़ियाली आंसू बहाते हैं, वह वास्तव में बड़ी मौज-मस्ती काटते हैं। आज हरिजन की क्या स्थिति है, इस पर कोई बात नहीं करता है। जो भूमि बंटी हुई है, उसको आप देखें। जब भूमि आवंटित हुई तो हरिजन की बयार बही. . . .

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, इस सदन की भाषा हिन्दी, देवनागरी लिपि में है, किन्तु माननीय सदस्य अन्य किसी भाषा में शायद भोजपुरी में बोल रहे हैं, जो समझ में नहीं आती है। मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि जो यह रिपोर्ट्स हैं वह किस भाषा में उनकी बात लिख रहे हैं?

(व्यवधान)

---

†नोट—माननीय सदस्य भोजपुरी में बोले थे किन्तु उसका भाषण हिन्दी रूपान्तर में छापा गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य कृपया हिन्दी में बोलें। उनकी स्पीच लिखने में कठिनाई होगी।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

एक सदस्य—

यह विशुद्ध हिन्दी है। हिन्दी यही है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

व्यवस्था का सवाल है। माननीय सदस्य 1974 में इस विधान सभा के सदस्य थे। विधान सभा में वह इसी भोजपुरी भाषा में बोला करते थे। इस सदन की व्यवस्था है। उनको अनुमति दी थी। माननीय अध्यक्ष बासुदेव सिंह जी ने। वह भोजपुरी भाषा में बोला करते थे। बाकायदा उनका रेकार्ड हुआ करता था।

श्री अध्यक्ष—

लिखने में दिक्कत होती है।

एक सदस्य—

लिख काहे में रहे हैं ?

श्री श्रीनारायण—

मूल झगड़ा जो बा. . . .

श्री रियासत हुसैन—

मेरा प्रश्न रिपोर्टिंग का है। रिपोर्टिंग कैसे हो रही होगी।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया माननीय सदस्य हिन्दी में बोलें ताकि उनका भाषण लिखा जा सके, अन्यथा लिखा नहीं जायगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

भोजपुरी भाषा हिन्दी है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया खड़ी बोली में बोलें।

श्री श्रीनारायण—

हम यह कहते थे कि हरिजन को जमीन का आबंटन दिखवले रहा। कांग्रेस के शासन में इतने जोर बयार बहत रही, जमीन बांटने पर उनको. . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्रीनारायण, कृपया आप खड़ी बोली में बोलिए अन्यथा रिपोर्टर आपका भाषण नहीं लिख सकेंगे। उसी भाषा में आपको बोलना चाहिए।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर—शोर)

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग बैठिए। शान्त रहें।

श्री श्रीनारायण—

सरकारी कागज जब उठाया, कागज देखकर जहां-जहां बन्जर लिखा था उठाकर हरिजन को दे दिया। मौके पर रहा वह खलिहान, और वह रहा घर, जमीन कहीं नहीं रही। बुन्देलखण्ड में, बांदा में जो जमीन बाटी वह पहा; की चढ़ाई पर है। हमने कहा कि कलेक्टर साहब चढ़ कर घूमो। हरिजन लोग रोते थे कि इस पर कैसे चढ़ सकेंगे, कैसे जोत सकेंगे। हमारे नाम से लगान लग गया। उसको कटवा दें। टोकाटोकी में हमारा समय खत्म हो गया। हमको बोलने का. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण कृपया समाप्त कीजिए।

श्री श्रीनारायण—

जमीन का झगड़ा लेकर हरिजन लोग चारों तरफ सताए गए। एक तो लोगों को वह जमीन मिली जो सीलिंग में निकली थी। हलवाहे की हलवाही, पर जमीन मिली थी, धोबी को धुलाई के लिए जमीन मिली, नाई को बाल बनाने के लिए जमीन मिली थी। लेकिन उसका नाम नहीं लिखा था। नाम जमींदार का लिखा था। जब सीलिंग आई तो जल्दी-जल्दी उनको पैसा देकर कहा छो; दो नहीं तो सीलिंग में दे देंगे। उन लोगों से पैसा ले लिया।

श्री अध्यक्ष—

अब कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, एक निवेदन सुन लीजिए। मैं आपकी सेवा में बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो व्यवस्थाएं देते हैं वह शिरोधार्य हैं। लेकिन आपकी व्यवस्थाएं केवल आज के लिए नहीं हैं सदा सर्वदा के लिए मान्य होगी। अभी आपने व्यवस्था दी जब श्री श्रीनारायण जी बोल रहे थे कि आप हिन्दी की खड़ी बोली में बोलें। बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं। उस आदरणीय सदन की भाषा है देवनागरी में लिखी जायगी। श्रीनारायण जी ने हिन्दी भाषा ही एक बोली जिसमें बोल रहे थे, बोलते रहे हैं। जो शार्ट-हैन्ड के लिखने वाले हैं उनको आज तक कभी असुविधा नहीं हुई है। इसलिए असुविधा का कोई प्रश्न नहीं है की व्यवस्था आपने दी है उस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें क्योंकि यह सदा के लिए लागू हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—

इस सदन में जितनी रिपोर्टें हैं सब खड़ी भाषा में हैं, बृज भाषा, अवधी और भोजपुरी बोली जायेगी तो असम्भव हो जायगा और अब तक जितनी कार्यवाही है वह केवल खड़ी बोली में है। इसलिए अनुमति नहीं है और मैंने माननीय डा0 जवाहर लाल के भाषण को प्रोसीडिंग से निकालने के लिए आदेश दिया है क्योंकि वें दुबारा बोलें।

एक सदस्य—

भोजपुरी कोई भाषा नहीं है। यह बोली है और हिन्दी है। यह जो व्यवस्था दी है इस में संशोधन करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

यह तो बोली है और हिन्दी है। इसमें बोलने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

1950 में भाषा का अधिनियम पास हुआ है। आप प्रोसीडिंग में पहले ऐसी परम्परा मुझे दिखला दें जिसमें भोजपुरी या अन्य किसी अवधी या पहाड़ी भाषा में भाषण रिपोर्ट किया गया हो तो मैं पुनर्विचार करूंगा और कल मुझे बता दें। अब इस पर विचार नहीं होगा।

अब सामान्य विवाद का समय समाप्त हुआ। उस पर कल पुनः विवाद होगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसमें माननीय श्री राजेन्द्र कुमार का सीतापुर नगर के पास गौरा अर्जुनपुर ग्राम में एक 15 वर्षीय नवयुवक राम कुमार की बिजली से नीचे लटकते हुए तार के छू जाने से मृत्यु तथा उसकी पत्नी तथा पुत्र का गम्भीर रूप से घायल होना है। इसको मैंने स्वीकार किया है। माननीय विद्युत् मन्त्री जी।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

जो मृतक था उसकी विधवा को 500 रु0 दे दिया गया है। बाकी चीजों की जांच कराई जा रही है। एक सप्ताह का अवसर दे दिया जाय ।

श्री अध्वक्ष—

एक सप्ताह बहुत अधिक है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैंने लखनऊ के बारे में. . . .

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न समाप्त हो जाने दीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

नियमों में व्यवस्था है कि कम से कम 5 हजार रुपया देना चाहिए और जिन कर्मचारियों की गलती थी उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी इस पर कृपया अपना वक्तव्य शीघ्र दे दें। क्या इस पर परसों वक्तव्य नहीं हो सकता है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

श्रीमन्, इसमें जिले से बाहर से सूचना मंगानी होगी ।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

शासन को कुछ कठिनाइयां होती हैं, शासन की ओर से कोई आश्वासन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे पुनरावृत्ति हो। कृपया सात दिन का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है।

लखनऊ नगर महापालिका तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों में मारपीट के फलस्वरूप हड़ताल की नोटिस के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

लखनऊ डेवलपमेंट के बारे में मुझे मालूम हुआ है कि कुछ बातचीत हुई है। इस समय सदन में माननीय मन्त्री जी मौजूद हैं, यदि उचित समझें तो सदन को अवगत करा दें ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह प्रश्न स्वीकार नहीं किया है। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री यदि सदन को सूचना देना चाहें तो दे दें ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

लखनऊ विकास प्राधिकरण और जल-कल विभाग के कर्मचारियों तथा नगर महापालिका में 30 अगस्त को एक घटना घट गयी और उस सम्बन्ध में हड़ताल की नोटिस दी। चूंकि लखनऊ नगर का जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने वाला था इसलिए उनके प्रतिनिधियों और संघ के पदाधिकारियों को और साथ ही साथ लखनऊ के प्रशासक, जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बुलाया था। उनकी जो शिकायत थी वे दूर हो गयी हैं, निश्चित रूप से कर्मचारियों को आश्वासन दे दिया गया है और उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। अब उन्होंने हड़ताल की नोटिस वापस ले लिया है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी मांगें क्या थीं और किन-किन को स्वीकार किया गया है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आप माननीय रियासत हुसैन से बात कर लें ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें अब कोई प्रश्न नहीं किया जायगा।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 47 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
31 अगस्त, 1977

सत्य प्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—एल० 259 वि० सभा (615)—1977—840।